लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ३, १९५५

(२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

1st Lok Sabha

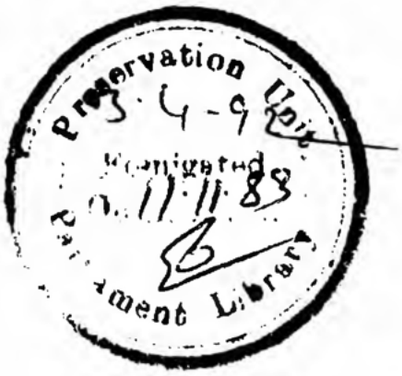

नवम् सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ४१ से ५२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ३, अंक ४१ से ५२—२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

अंक ४१—बुधवार २० अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३९९, २४०१, २४०३, २४०५, २४०९, २४११, २४१४ से २४१९, २४२१ से २४२३, २४२६, २४२७, २४२९ से २४३६, २४३९, २४४०, २४४२, २४४३, २४००, २४०४, २४०६ और २४१३ . . . . . २९७३—३०१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०७, २४०८, २४१२, २४२०, २४२४, २४२५, २४२८, २४३७ और २४४१ . . . . ३०१५—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०९ से ९११, ९१३ से ९४५ और ९४७ . ३०१९—४२

अंक ४२—शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २४७७ से २४८३, २४८६ से २४८८, २४९०, २४९१, २४९३ से २४९५, २४९८, २५०१, २५०२, २५०४ से २५०६, २५०८ से २५१०, २५१२, २५१६ और २५१७ . . . ३०४३—७९

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . . ३०८०—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४४४ से २४७६, २४८४, २४८५, २४८९, २४९२, २४९९, २५००, २५०३, २५०७, २५११, २५१३ से २५१५, २५१८ और २५१९ . . . . . ३०८७—३१११

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९८३, ९८५ से ९९१ और ९९३ . ३१११—३१४०

अंक ४३—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२१, २५२४ से २५२६, २५४०, २५४२, २५४४ से २५४७, २५५०, २५५२, २५५५ से २५५७, २५५९, २५६२ से २५६४, २५४१ और २५३८ . . . . . ३१४१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५२०, २५२२, २५२३, २५२७ से २५३७, २५३९, २५४३, २५४८, २५४९, २५५१, २५५३, २५५४, २५६० और २५६१ ३१६५---३१७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १०१९ और १०२१ से १०४३ . ३१७८---३२०८

अंक ४४---मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५६५ से २५६८, २५७०, २५७३, २५७४, २५७७, २५७९, २५८०, २५८२, २५८४, २५८५, २५८७, २५८८, २५९० से २५९७, २५९९, २६०२, २६०३, २५७८ तथा २५६९ . ३२०९---३२४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५७१, २५७२, २५७५, २५७६, २५८१, २५८३, २५८९, २५९८, २६००, २६०१, २६०४ . . . ३२४७---३२५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४४ से १०५७, तथा १०५९---१०७० . ३२५२---६८

अंक ४५---बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०५, २६०७, २६०८, २६१० से २६१८, २६२० से २६२२, २६२४, २६२५, २६३०, २६३२ से २६३४, २६३८, २६४०, २६४२, २६४५ से २६४९, २६५१, २६५६, २६५६-क, २६०६, २६२८ और २६५३ . . . . ३२६९---३३१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०९, २६१९, २६२३, २६२७, २६२९, २६३१, २६३६, २६३७, २६३९, २६४१, २६४३, २६४४, २६५०, २६५२, २६५४, २६५५ और २६५७ . . . . ३३१२---३३१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७१ से ११०४, ११०४-क और ११०४-ख ३३१९---३३४०

अंक ४६—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६५८ से २६६२, २६६४, २६६७, २६७० से २६७२, २६७४ से २६७७, २६७९, २६८२ से २६८४, २६८६, २६८७, २६८९, २६९०, २६९०—क, २६९१, २६९२, २६९३—क, २६९४, २६९६, २६९८, २६९३, २६९६, २६८५, और २६९९ ३३४१—३३८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६५, २६६८, २६७३, २६७८, २६८०, २६८१, २६८८, २६९३, २६९५, २६९७ और २६९९ ३३८८—३३९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०५ से १११८, ११२० से ११२७, ११२९ से ११५३ और ११५३—क. ३३९३—३४२६

अंक ४७—शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७००, २७०१, २७०३, २७०६, २७१२, २७१३, २७१५, २७१८, २७२२ से २७२५, २७०९ और २७१० ३४२७—३४४५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि— ३४४५-३४४६

तारांकित प्रश्न संख्या २७११ ३४४६-३४४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०२, २७०४, २७०५, २७०७, २७०८, २७१४, २७२०, २७२१ और २७२६ ३४४७—३४५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५४ से ११६०, ११६१ से ११८७ ३४५१—३४७०

अंक ४८—सोमवार, २ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० ३४७१—३४७४

अंक ४९—मंगलवार, ३ मई, १९५५

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२८, २७२९, २७३१ और २७३२	३४७५-३४८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२७ और २७३०	३४८१-३४८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से ११९४	३४८३-३४८८

अंक ५०—बुधवार, ४ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२	३४८९-३४९४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	३४९४-३४९६

अंक ५१— गुरुवार, ५ मई, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३४९७
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५	३४९७-३५०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६	३५०६

अंक ५२—शनिवार, ७ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ और १८	३५०७-३५१२
अनुक्रमणिका	१-८९

लोक-सभा

शनिवार, ७ मई, १९५५

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

इस्पात संयंत्र

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७. डा० राम सुभग सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इस्पात संयंत्र प्रतिनिधि-मंडल ने तीसरे इस्पात संयंत्र के स्थान के सम्बन्ध में भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है :

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस स्थान का सुझाव दिया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) दस सप्ताह में एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस्पात संयंत्र के लगाये जाने के स्थान के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय करने से पहले भारत सरकार उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सम्बद्ध सरकारों से परामर्श करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस समय इस प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं दे सकता । यह सब उस प्रतिवेदन पर ही निर्भर करता है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि इस तरह की कोई समझ बूझ है कि स्थान के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय करने से पहले सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् यदि विकल्प के रूप में एक, दो या तीन स्थानों की सिफारिश की जाय, तो सम्बद्ध सरकारों से परामर्श करना पड़ेगा, और इस स्तर पर मेरे लिये जरा कठिन है कि मैं उस प्रकार के कल्पनात्मक प्रश्न का उत्तर दूं ।

श्री बी० के० दास : कहां-कहां पर इस स्थान के होने के सम्बन्ध में सिफारिश की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी कोई भी सिफारिश नहीं की गई है ।

श्री मात्तन : गैर-सरकारी क्षेत्र से कितनी पूंजी मिलेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं जानता । अभी हम परियोजाना पर विचार करने की स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं। किन्तु, इस समय सरकार का यह अभिप्राय है कि सरकार को आवश्यकतानुसार पूंजी का साधन ढूंढ़ना चाहिये ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने स्थान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेजे, और यदि हां, तो बिहार सरकार ने उसमें क्या कारण बताये हैं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बिहार सरकार न सइ मिशन (प्रतिनिधि-मंडल) से मिलने के लिये प्रतिनिधि भेज दिये । मैं यह नहीं जानता कि उन्हों ने मिशन के समक्ष क्या बातें रखीं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में बिहार सभा के इस सर्वसम्मत संकल्प की ओर आकर्षित किया गया है कि इस इस्पात संयंत्र को सिंदरी या उस के निकट कहीं अधिष्ठापित किया जाय ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान् ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि देश को ब्रिटिश, जर्मन या रूसी संयंत्र से क्या-क्या लाभ होंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार इस बात का मूल्यांकन करने की स्थिति मे नहीं कि इन तीन विभिन्न संयंत्रों के सापेक्ष गुण या अवगुण क्या होंगे ?

श्री बी० एन० मिश्र : चूंकि माननीय मंत्री ने कहा है कि इस सम्बन्ध में तीन स्थानों की सिफारिश की गई है, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि ये तीन स्थान कौन कौन से हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने ऐसा नहीं कहा । उन्हों ने कहा कि वह ब्रिटिश, रूसी और जर्मन इस्पात संयंत्रों के सापेक्ष गुणावगुण को नहीं कूत सकते ।

मणीपुर में चक्रवात

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८. श्री रिशांग किशिंग : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ अप्रैल १९५५ को मनीपुर में विनाशकारी चक्रवात चले जिन से बहुत हानि हुई ।

(ख) यदि हां तो, उन के परिणाम स्वरूप पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में कितनी हानि हुई;

(ग) चक्रवात से कितने क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा, और

(घ) सरकार ने क्या सहायता-कार्यवाही की है या करने वाली है ।

गृह कार्य-उपमंत्री (श्री दातार) : २९ अप्रैल, १९५५ को मध्यान्होंपरान्त इम्फाल और आस पास के क्षेत्र में थोड़ी देर के लिये बहुत अधिक ओले बरसे । कुछ पेड़ उखड़ गये और मकान गिर गये । कुछ देर के लिये संचार का आना-जाना भी बंद रहा, परन्तु फसलों को हानि नहीं हुई क्योंकि क्षेत्र में बुआई आरम्भ नहीं हुई थी । राज्य सरकार को कोई ऐसा प्रतिवेदन या अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिस से विदित हो कि हानि इतनी हुई है कि कोई आपत्ति, सहायता कार्यवाही की जाये, परन्तु यदि कोई मामला सहायता का

पात्र है तो राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मनीपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता भेजने की प्रार्थना की है ?

श्री दातार : मैं बता चुका हूं कि हमें कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री रिशांग किशिंग : माननीय मंत्री ने जो जानकारी दी है तो क्या वह चक्रवात के बारे में पूरी जानकारी है ?

***श्री दातार** : क्या मैं उस पूर्ण प्रतिवेदन को जो हमें मुख्य आयुक्त से प्राप्त हुआ हैं, सभा के समक्ष प्रस्तुत करूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

दिनांक ४ मई, १९५५

*गृह मंत्रालय नई दिल्ली को

मुख्य आयुक्त इम्फाल की ओर से मेथ्यू की ओर से सहगल को, आप का तार यहां दिनांक तीन की रात को प्राप्त हुआ । यहां २९ मध्याह्न पश्चात्, इम्फाल और इस के चारों ओर इतना घोर तूफान आया जैसा कि कभी नहीं आया, यद्यपि यह थोड़ा समय रहा । मकान और वृक्ष गिर गये और कुछ मकानों को क्षत्ति पहुंची । खेती को कोई हानि नहीं हुई क्योंकि इस क्षेत्र में खेती बोनी आरम्भ नहीं हुई । इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन नहीं मिला कि इस तूफान का प्रभाव किसी और क्षेत्र पर भी पड़ा है । सरकार को इतनी अधिक हानि की कोई सूचना या अभ्यावेदन नहीं मिला जिसके लिये सरकार से पीड़ितों की सहायता व्यवस्था की मांग की जाये ।

खण्ड ४—अंक ५८

७ मई, १९५५ (शनिवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha *(Session IX)*

(खंड ४ में अंक ४६ से अंक ५८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६ आने (देश में) २ शिलिंग (विदेश में)

151 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर	६०६९
सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन . .	६०६९-७०
हीरा कुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य . . .	६०७०
तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के उत्तर में शुद्धि . . .	६०७०-७१
पांडीचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य . .	६०७१—७३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में बेकारी . . .	६०७३—७५
लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया . .	६०७५-७६
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६
भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६-७७
भूमि सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	६०७७
सभा का कार्य—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	६०७७-७८
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	६०७८—६१८७
श्री वेंकटरामन् . .	६०७८—८१
श्री एन० सी० चटर्जी	६०८१—८८
श्री सिंहासन सिंह .	६०८८—९८
श्री विभूति मिश्र .	६०९८—६१०६
श्री एच० एन० मुकर्जी	६१०६—११
श्री एन० आर० मुनिस्वामी	६१११—१४
श्रीमती शिवराजवती नेहरू . . .	६११४—२०
श्री टंडन	६१२१—२८
श्री लोकनाथ मिश्र	६१२८—३२
श्री पी० सुब्बा राव	६१३२—३४
श्री लक्ष्मय्या	६१३४—३६
श्री बोगावत	६१३६—३९
श्री एस० एन० दास	६१३९—४८
श्री एम० डी० जोशी . . .	६१४८—५१

कृपया बाकी मैटर कवर के पृष्ठ तीन पर देखिए

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
मद्रास मनोरंजन कर आन्ध्र (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र भवन अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५५	४५९२
भारतीय विमान नियम, १९३७ में संशोधन, एक व्याख्यात्मक टिप्पण	४५९२
सहित—चाय नियम, १९५४ में संशोधन	४५९२
सम्पदा शुल्क नियम, १९५३, में संशोधन	४५९२–४५९३
विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणा—	४५९३–४५९४
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर	४५९४
राज्य सभा से सन्देश	४५९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४५९४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
किरकी में सेना के वर्कशाप के व्यक्तियों द्वारा हड़ताल	४५९५–९७
सभा का कार्य	४५९७
वित्त-विधेयक	४५९७–४६०९
अनुसूचियां तथा खंड १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६०९–४६३०
प्रधान सेनापति (पद नाम में परिवर्तन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६३०–४६३४
खंड १ से ३ तथा अनुसूची	४६३२–४६३३
भारत में राज्य बैंक विधेयक—	४६३४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बधी समिति—	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	४६३६
बाहों तथा नापों के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में पारित	४६३६–४६५५
केन्द्रीय कृषिवित्त निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त	४६५५–४६८४
अंक ४७— शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५	
भारत का राज्य विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६८५–४७७०
सभा का कार्य	४७७०
संख्या ४८—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कतिपय सत्याग्रहियों का निर्वासन	४७७१–४७७२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति —	

	स्तम्भ
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	४७७२–४७७३
प्राक्कलन समिति	४७७३
लोक-लेखा समिति	४७७३
राज्य सभा के सदस्यों को लोक-लेखा समिति में रखने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक—पुरःस्थापित—	४७७४
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४–४८७८
राज्य सभा से सन्देश—	४८७८
अंक ४९—मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र—	
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना	४८७९
भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९५१–५२—खंड १ (साधारण)	४८७९
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	४८७९–४८८०
बीमा (संशोधन) विधेयक—	४८८०–४८८७
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८०–४८८२
श्री बी० आर० भगत	४८८२–४८८४
श्री के०के० बसु	४८८४–४८८५
श्री मात्तन	४८८७
खण्ड १ और २	४८८७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	
भारत का रक्षित बैंक श्री बी० आर० भगत (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८७–४९१६
खण्ड १ से ११	४९१६–४९२०
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०
भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०–४९२२
खण्ड १ और २	४९२२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२२
हिंदू विवाह विधेयक—	४९२२–४९८४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४९२४
राज्य सभा से संदेश	४९८२
अंक ५०—बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
उनतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४९८५
तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि	४९८५–४९८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९८६–५०६०

अंक ५१—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . ५०७९

राज्य सभा से संदेश . . ५०७९

सभा का कार्य . . ५०८०–५०८१,५१८६

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

खंड ३ से १७ और अनुसूची . . . .

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ५०८१–५१८०

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८०–५१८४

खण्ड १ और २ ५१८५

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८५–५१८६

अंक ५२—शुक्रवार, २९ अप्रल, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . ५१८७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ५१८७–५१८८

सभा का कार्य— ५१८९–५१९८,५२०२

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा से पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . ५१८९,५१९८,५२०२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . ५२३०–५२३१

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५२३१

जाति भेद उन्मूलक विधेयक .

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५२३१–५२४४

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया . . . ५२४५–५२६५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव—अ समाप्त ५२६५–५२८०

अंक ५३—शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन . . ५२८१

संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२-३-५५ . . . . ५२८१

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—नवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . ५२८२

	स्तम्भ
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही उपस्थापित	५२८२
बांडुंग में हूए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . .	५२८२–५२९५
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त . .	५२९५–५४५८
खंड २ से ५३ और १ . . .	५२९५–५४३०
अनुसूची एक से चार	५४३०–५४५८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४५८–५४७२
सरकारी मकानादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय—बढ़ाया जाना .	५४७२–५४७४

अंक ५४—सोमवार, २ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
कानपुर में श्रम स्थिति .	५४७५–५४७७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५४७७
राज्य-सभा से सन्देश	५४७८
पटल पर रखे गये पत्र—	
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३–५४ के संतुलन पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आदि	५४७८
दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४–५५ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५–५६ का आयव्ययक प्राक्कलन . .	५४७९
याचिका समिति—	
पंचम प्रतिवेदन—उपस्थापित	५४७९
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	५४७९
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	५४८०–५४८२
नागरिकता विधेयक —पुरःस्थापित . .	५४८२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५४८३
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४८३–५५६८
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	५५६८
सभा का कार्य	५६१४

अंक ५५—मंगलवार, ३ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
लोक-ऋण (प्रतिकर बंध) नियम, १९५४	५६१५–५६१६
लोक-ऋण (वार्षिकी पत्र) नियम, १९५४	५६१५–५६१६

	स्तम्भ
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . .	५६१६
तृतीय प्रतिवेदन—उपस्थापित	५६१६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . .	५६२२
टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् . . .	
ब्रिटेन से आने वाले सूती वस्त्र पर आयात शुल्क में कमी के बारे में वक्तव्य	५६१६–५६१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप	५६१७–५६२२
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	५६२३–५७५२
खंड २ से १२ .	५६२३–५७५२

अंक ५६—बुधवार, ४ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन .	५७५३–५७५८
कानपुर में श्रम स्थिति	५७५८–५७६२
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन . .	५७६२
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	५७६२–५७६३
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन.	५७६४
समवाय विधेयक पर साक्ष्य .	५८४८
राज्य सभा से सन्देश . .	५७६४–५७६८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया .	५७६८
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में खंडों पर विचार—	
असमाप्त	५७६८–५८४७, ५८४८–५९१६
खंड ९ से १२ . .	५७६८–५७७९
खंड १३ से १८ . .	५७७९–५८४७
खंड १९ से २३ . .	५८७२–५८९२
खंड २४ से २८ . .	५८९२–५९१६

अंक ५७—गुरुवार, ५ मई, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हिन्दी आयोग की नियुक्ति . .	५९१७–५९१९
राज्य सभा से सन्देश	५९१९

	स्तम्भ
आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	५९१९
तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तर में शुद्धि .	५९१९
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त	५९२०
खंड २४ से ३० और १ . .	५९२०–५९४१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५९४१–५९८०
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे मे प्रस्ताव—असमाप्त .	५९८१–६०६८

अंक ५८—शनिवार, ७ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों क उत्तर	६०६९
सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन	६०६९–६०७०
हीराकुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य	६०७०
तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के उत्तर में शुद्धि	६०७०–६०७१
पांडिचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य .	६०७१–६०७३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में बेकारी . . .	६०७३–६०७५
लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	६०६५–६०७६
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६
भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६–६०७७
भूमि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	६०७७
सभा का कार्य	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	६०७७–६०७८
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	६०७८–६१८७
श्री चिनारिया का निधन—	६१८७–६१८८

लोक-सभा

शनिवार, ७ मई, १९५५

लोक-सभा साढ़े दस बज समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१०-३६ म० पू०

पटल पर रखे गये पत्र

१९५५-५६ के लिए अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं कुछ ऐसे विवरणों की प्रतियां जिन में १९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों से प्राप्त ज्ञापनों के उत्तर दिये हुये हैं, सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या]**

सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आयव्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : श्रीमान्, मैं आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई उन बातों के बारे में, जिनका मंत्री ने उत्तर नहीं दिया था, तथा सिंचाई और विद्युत परियोजना से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्व-पूर्ण बातों के विषय में जानकारी देने वाले ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या]**

हीराकुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य

श्री हाथी : श्रीमान्, मैं हीराकुड बांध परियोजना के विषय में कथित वित्तीय, लेखा सम्बन्धी तथा अन्य अनियमितताओं जिनमें आपराधिक प्रकार की अनियमिततायें भी सम्मिलित हैं, के मामलों में कार्यवाही की प्रगति दिखाने वाले विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या]**

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : ३१ मार्च, १९५५ को लोक-सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के अनुपूरकों के निदेश से श्रीमती सुचेता कृपलानी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का निम्नलिखित उत्तर दिया गया :

"सरकार इस समय प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है । किन्तु 'नियमित अस्थायी संस्थापन' (रेगुलर टेम्पोरेरी इस्टैब्लिशमेंट) नाम का एक वर्ग भी है । उसमें कुछ वरिष्ठता रहती है इसका तात्पर्य यह है कि कुछ अस्थायी सरकारी कर्मचारी सम्मिलित होने के अधिकारी हैं ।"

ठीक स्थिति यह है कि असिस्टैंटों के नियमित अस्थायी वर्ग में से जो लोग १ जनवरी, १९५४ से केंद्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी ४ में पक्के किये गये हों और उन्हें १ जनवरी

[श्री दातार]

१९५१ से पूर्व की किसी तिथि से असिस्टेंट अथवा उसके समान श्रेणियों में वरिष्ठता प्राप्त हो, तो वे सहायक अधीक्षकों के नियमित अस्थायी वर्ग में पदोन्नति के लिये आरम्भ होने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा दे सकते हैं। श्रेणी ४ में स्थायी होने की शर्त को स्थायी विस्थापित कर्मचारियों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों के मामलों में हटा दिया गया है।

श्री कामत (होशंगाबाद) : इस सुधार या शुद्धि करने में एक मास से भी अधिक देर क्यों लग गई ?

श्री दातार : श्रीमान्, शुद्धि का पता लगा और फिर उसकी पड़ताल की गई अतः इसमें समय लग गया।

पांडिचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं पांडिचेरी के कपड़े की मिलों के सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहता हूं। उसकी स्थिति इस प्रकार है :—

पांडिचेरी में तीन कपड़े की मिलें भारथी, सवाना, और रोडिये हैं। ये मिलें मुख्यतः फ्रांसीसी अफ्रीकन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिये कपड़े का उत्पादन किया करती थीं अतः उसमें केवल ऐसे विशेष प्रकार के कपड़ों के उत्पादन के यंत्र लगे हुये हैं जो भारत में अथवा भारत के प्राचीन निर्यात सम्बन्धी बाजारों में सुगमता से नहीं बिक सकते। पांडिचेरी के मिलों में कार्यभार और वेतनक्रम भारतीय मिलों की तुलना में भिन्न है। इसके अतिरिक्त उनके श्रमिकों के लिये सेवा-निवृत्ति-वेतन की पद्धति है। इन सब कारणों से उनके उत्पादनों की लागत बढ़ जाती है। अतएव पांडिचेरी मिलों के उत्पादों की बिक्री बहुत कठिनाई से होती है। सवाना और भारथी मिलें पहले ही उत्पादन काय बंद कर चुकी हैं और रोडिये मिल ने अपने उत्पादन में ५० प्रतिशत कमी कर दी है। इन मिलों के बंद होने अथवा उत्पादन में कमी से पैदा होने वाली कठिनाइयों को सरकार समझती है।

पांडिचेरी प्रशासन ने भारत सरकार को इस विषय में सूचना दी थी और कम से कम और छः मास के लिये पांडिचेरी के कपड़े के हेतु अफ्रीका के बाजारों में सुविधायें दी जायें, इसके लिये फ्रांसीसी सरकार की सहायता द्वारा प्रयत्न किया गया है। दुर्भाग्यवश फ्रांस की सरकार ने इसके पक्ष में कोई उत्तर नहीं दिया और हमें पता लगा है कि इस बात की कोई संभावना नहीं कि फ्रांस की सरकार अफ्रीकन क्षेत्रों में पांडीचरी के कपड़े के लिये कोई विशेष सुविधायें देने के लिये तैयार होगी।

इस प्रकार की प्रायः गम्भीर समस्या के लिये, हम अन्य हल ढूंढने के लिये आतुर हैं। वस्त्र आयोग के कार्यालय के दो पदाधिकारी लगभग दो सप्ताह पूर्व पांडिचेरी गये थे और उन्होंने कतिपय सिफारिशें की थीं जिन पर विचार किया जा रहा है। मुख्य बात उत्पादन की उच्च उत्पादन लागत और प्रतियोगितात्मक मूल्यों पर उत्पादों को बेचने में कठिनाई है। जब तक कार्यभार को कम न किया जाये और निवृत्ति-वेतन के दायित्व में कमी न की जाये तब तक इन मिलों के प्रबन्धक उत्पादन लागत को कम करना कठिन समझते हैं और इन दोनों बातों के सम्बन्ध में श्रमिक विरोध कर रहे हैं। क्यों कि प्रबन्धकों और श्रमिकों ने जो प्रश्न उठाये हैं उनकी जांच करने में कुछ समय लगेगा इसलिये भारत सरकार की यह इच्छा है कि तब तक के लिये ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि जिससे ये मिलें अपना उत्पादन कार्य जारी रख सकें, क्योंकि इससे

विशेषत: वहां लगे हुये कर्मचारियों को भी हानि पहुंचती है । इस बात को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार कतिपय विशेष उपायों पर विचार कर रही है । वे ये हैं :

(१) उदार नीति से धागे के निर्यात की अनुमति देना;

(२) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा ऐसी संभावनाओं का परीक्षण जिन से पांडिचेरी मिलों को कपड़े के लिये विशेष आदेश दिये जा सकें ताकि ये मिलें उत्पादन कार्य करती रहें ;

(३) इसी प्रकार केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पांडिचेरी की मिलों के कपड़ों पर निर्यात शुल्क की विमुक्ति देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है जिससे आशा है कि उत्पादन बढ़ेगा और पांडिचेरी की मिलों का निर्यात बढ़ेगा ।

आशा है कि इन विधानों से मिल के प्रबन्धक उत्पादन जारी रख सकेंगे और सारे श्रमिकों को नौकरी में रख सकेंगे । हमें यह भी आशा है कि पांडिचेरी के उद्योग को जो विशेष सुविधायें दी गई हैं उन्हें श्रमिक संघ भी पसन्द करेंगे और सद्भावनापूर्ण तथा सहयोग के भाव से काम करेंगे। इन अविलम्ब सुविधाओं के अतिरिक्त पांडिचेरी सरकार श्रमिकों और मिल प्रबंधकों की इच्छा अनुसार एक मध्यस्थ आयोग नियुक्त करेगी । इस आयोग में विशेषज्ञ लोग होंगे और वे पांडिचेरी वस्त्र उद्योग के पुनर्संस्थापन के लिये दीर्घ-कालीन विधानों के सम्बन्ध में सिफारिशें कर सकेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में बेकारी

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : नियम २१६ के अधीन मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"फ्रांसीसी बस्तियों के भारतीय संघ में विलय के फलस्वरूप मद्रास राज्य में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कर्मचारियों में आशंकित बेकारी ।"

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : सदन को याद होगा कि इस प्रश्न को श्री सारंगधर दास ने १५-३-१९५५ को एक तारांकित प्रश्न द्वारा उठाया था । मैं आपका ध्यान उस विवरण की ओर दिलाता हूं जो मैंने इसके उत्तर में पटल पर रखा था और अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर भी दिलाता हूं । जैसा कि मैंने उक्त विवरण में कहा था विभिन्न श्रेणियों के उन ८६४ पदाधिकारियों में से, जो कि इन बस्तियों के हस्तांतरण के समय सीमांतों पर काम कर रहे थे, ७८७ पदाधिकारी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहार कार्यालय, मद्रास के लिये अतिरिक्त हो गये थे, और शेष ७० को समाहार कार्यालय में ही वर्तमान रिक्तियों में नियुक्त कर दिया गया था । साधारणतया अतिरिक्त कर्मचारियों में से कुछ को १-५-५५ को और शेष को १-६-५५ को निवृत्त कर दिया जाता । किन्तु सरकार ने यह निर्णय किया कि जहां तक हो सके इन सब को वैकल्पिक काम दिया जाये । अन्य समाहार कार्यालयों में कुछ रिक्तियां थीं । इन के समाहर्ताओं से कहा गया था कि जहां तक हो सके, वे मद्रास कार्यालय के अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करें । वर्तमान जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या से अधिक है । अत: यदि वे अन्य समाहार कार्यालयों में काम करने के लिये तैयार हुये तो इन सब को काम मिल जायेगा । साथ ही यह प्रयत्न भी किया जा रहा है कि इन में कुछ कर्मचारियों को, विशेषतया कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मद्रास क्षेत्र

[श्री ए० सी० गुह]

में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नियुक्त किया जाये । उदाहरणतया रेलवे मंत्रालय ने उपयुक्त फालतू कर्मचारियों को मद्रास में दक्षिण रेलवे और इन्टेग्रल कोच फैक्टरी के कार्यालयों में काम देना मंजूर कर लिया है ।

अतः विलय के कारण मद्रास समाहार कार्यालय में किसी के बेकार हो जाने की शंका नहीं है । यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि उन्हें उसी क्षेत्र में ही रखा जाय जहां वे अब काम कर रहे हैं और उन्हें देश के दूर दूर भागों में स्थानान्तरित न किया जाये ।

———

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ में और आगे संशोधन करने तथा भाग "ग" राज्य शासन अधिनियम, १९५१ में कुछ आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक को, प्रवर समिति द्वारा भेजे गये रूप में वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, यह विधेयक १९५३ में चुनाव सम्बन्धी विधि में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने के लिये पुरःस्थापित किया गया था और इसे एक प्रवर समिति को सौंपा गया था । प्रवर समिति में चर्चा के दौरान में अनुभव किया गया था कि इसे उन उद्देश्यों तक सीमित नहीं रखा जा सकता और चुनाव विधि में कुछ व्यापक संशोधन करना आवश्यक है । इस बीच में चुनाव आयोग की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है जो सदस्यों में परिचालित कर दी गई है । अतः यह आवश्यक हो गया है कि एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाये जिसमें उन सब प्रश्नों का उल्लेख हो, जो कि गत निर्वाचनों में चुनाव विधि के प्रवर्तन से प्राप्त अनुभव के कारण उत्पन्न हुये हैं । इसी लिये मैं सभा से इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : वह विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायेगा ?

श्री पाटस्कर : जब तक इसको वापस न लिया जाये, कुछ नहीं हो सकता । दूसरे विधेयक का प्रारूप तैयार है और इसके वापस लिये जाने के बाद, मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसे सूचना पत्र में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाये । ऐसा करने से इसे सदन में पुरःस्थापित नहीं करना पड़ेगा और समय बच जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

———

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता १९०८ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री पाटस्कर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

———

भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय सिक्का अधिनियम १९०६ में और

आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया है तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० सी० गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भूमि सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि सीमा शुल्क अधिनियम, १९२४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० सी० गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : कहा गया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और आंग्ल-भारतीयों के आयुक्त की १९५३ की रिपोर्ट को इस सत्र में प्राथमिकता दी जायेगी । अब सत्र समाप्त होने को है । १९५३ की रिपोर्ट पर अब चर्चा करना निरर्थक होगा ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : सदन को विदित है कि हमने इस रिपोर्ट पर चर्चा करवाने का भरसक प्रयत्न किया था किन्तु परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि इस सत्र में ऐसा नहीं हो सका । हमने अनुसूचित जातियों के सदस्यों से परामर्श भी किया था । अब नई रिपोर्ट भी सदन को प्रस्तुत की जा चुकी है । पुरानी और नई रिपोर्टों पर अगले सत्र के पहले दिन या सप्ताह में चर्चा करना ठीक होगा ।

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक––जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा ५ मई, १९५५ को प्रस्तावित श्री पाटस्कर के इस प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी कि यह सदन राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि यह हिन्दुओं में वसीयत रहित उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिता बद्ध करने वाले विधेयक के बारे में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो । श्री वेंकटरामन् अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री वेंकटरामन् (तंजोर) : पिछले अवसर पर मैंने यह प्राथना की थी कि मिताक्षरा संयुक्त हिन्दू परिवार को उत्तराधिकार विधेयक के कार्य क्षेत्र में लाया जाये । माननीय मंत्री ने कहा था कि सरकार इस बात के गुणावगुण पर विचार करने के लिये तैयार है। यदि सरकार मेरा सुझाव स्वीकार कर लेती है, तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि परिवार का पृथक्करण तुरन्त हो जायेगा या बाद में । इस विषय में दो रायें हैं । मूल विधेयक में जो कि राव समिति की रिपोर्ट पर आधारित था सरकार इस बात के पक्ष में नहीं थी कि पृथक्करण तुरन्त हो, बल्कि इस बात के पक्ष में थी कि उत्तराधिकार विधि तब लागू हो जब संयुक्त परिवार में कोई मृत्यु हो । किन्तु संयुक्त समिति की राय यह थी कि इस विधि के लागू होते ही पृथक्करण हो जाना चाहिये । मेरा निवेदन यह है कि संयुक्त समिति के इस निर्णय से मिताक्षरा संयुक्त परिवारों में बहुत गड़बड़ पैदा हो जायेगी । मेरे विचार में, राव समिति ने जिस प्रक्रिया की सिफारिश की है, उसे अपनाना अधिक लाभप्रद होगा क्यों कि मृत्यु होने पर ही, वह अंश

[श्री वेंक्टरामन]

उत्तराधिकार विधि के अनुसार, उत्तराधिकारियों को मिलेगा । इसका परिणाम यह होगा कि परिवार के दूसरे सदस्य यदि चाहें तो संयुक्त परिवार के सदस्य रह सकते हैं, जब तक कि अन्तिम सदस्य न मर जाये। इसके बाद प्रत्येक परिवार पर नई उत्तराधिकार विधि लागू होगी । मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति राव समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लेगी ।

स्त्री को अंश देने के विरुद्ध कुछ तर्क दिये गये थे । उन में से एक यह था कि ऐसा करने से भाई और बहिन में संघर्ष पैदा होगा । किन्तु बहिन को यह कहने से कि उसे अंश नहीं मिलेगा क्या उसका प्रेम बढ़ जायेगा ?

यदि आप नारी को सम्पत्ति अधिकार नहीं देंगे, तो इससे उसका परिवार के प्रति और विशेषतः भाइयों के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा ।

फिर ऐसा कहा गया है कि नारी को सम्पत्ति अधिकार देने से पैतृक सम्पत्ति छोटे छोटे खण्डों में विभाजित हो जायेगी। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं । मान लो कि किसी व्यक्ति के चार पुत्र और तीन पुत्रियां हैं, तो इस विधेयक के अनुसार उसे अपनी सम्पत्ति सात खण्डों में विभाजित करनी पड़ेगी । परन्तु इसमें दुःख की बात ही कौनसी है, क्यों कि यदि उसके सातों ही पुत्र होते तो भी उसे अपनी सम्पत्ति को सात ही खण्डों में विभाजित करना पड़ता । अतः हमें पुत्र और पुत्री में भेद नहीं रखना चाहिये ।

डा० अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किये गये बिधयक में सम्पत्ति विभाजन से सम्बन्ध रखने वाले खण्डों में साथ ही साथ उदाहरण भी दिये हुये थे । इससे खण्डों की व्याख्या में बड़ी ही सहायता मिलती है । अतः मेरा निवेदन है कि खण्ड संख्या १०, ११ और १४ में तत्सम्बन्धी और संगत उदाहरण सम्मिलित किये जायें ।

जहां तक नारियों को दिये जाने वाले सम्पत्ति-अंश का सम्बन्ध है, मेरा तो यह मत है कि उन्हें भी पुरुषों के समान ही अधिकार दिया जाये । पुत्र और पुत्री में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो ।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक में विधवा नारियों के साथ कोई न्याय नहीं किया गया है । विधवा माता को तो पुत्री से भी कम अंश दिया गया है । पति की मृत्यु से पूर्व तो वह सारी सम्पत्ति की स्वामिन है, परन्तु पति के आंख मूंदते ही उसका अंश पुत्री से भी कम हो जाता है । अतः मेरा सुझाव है कि उसे भी पुत्र के समान पूरा एक अंश प्राप्त हो और यदि किसी व्यक्ति की दो या तीन नारियां हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उन में से प्रत्येक को पुत्री के समान आधा भाग प्राप्त हो ।

इसके अतिरिक्त नारी को उत्तराधिकार में दी गई सम्पत्ति स्त्री धन के रूप में न समझी जाये । खण्ड १७ के अनुसार तो इस सम्पत्ति पर पहले पुत्रों का अधिकार है और तत्पश्चात् पति का अधिकार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्पत्ति पर पुत्रों के साथ ही साथ पति का भी अधिकार होना चाहिये । अन्ततः नर और नारी एक हैं । उन दोनों के अधिकार एक समान हैं ।

एक और बात मैं यह कना चाहता हूं कि खण्ड १९ के अनुसार नारी को सम्पत्ति के सम्बन्ध में केवल इतना ही अधिकार दिया गया है कि वे जब तक जीवित हैं उसका तब तक उस पर अधिकार है, परन्तु यह अधिकार

सीमित सा है । मेरा यह सुझाव है कि यदि उन्हें सीमित सम्पत्ति अधिकार के स्थान पर पूर्व सम्पत्ति अधिकार दिये जायें तो इससे कोई हानि न होगी ।

ये ही कुछ एक परिवर्तन हैं जिन पर विचार करने के लिये मैंने निवेदन किया है । आशा है कि संयुक्त समिति इन पर सोच विचार करके इस विधेयक को सुधारने का प्रयत्न करेगी ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक तो हिन्दू विवाह विधेयक से भी अधिक महत्वपूर्ण है क्यों कि हम हिन्दू विवाह विधेयक के प्रभाव से छूट सकते हैं, परन्तु इसके प्रभाव से नहीं छूट सकते । इससे तो हमारा सारा का सारा सामाजिक ढांचा हिल उठेगा । इस भयंकर और आपत्तिजनक विधेयक के विरुद्ध सात कारण हैं ।

मैं संयुक्त समिति से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह चाहते हैं कि कई हजारों वर्षों से जिस विधि के अनुसार हमारा सारा समाज सुचारू रूप से सारा कार्य चलाता आया है, इस समय उसे छोड़ दिया जाये । हमारी प्राचीन विधि तो वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर ही आधारित है ।

इस विधेयक के लागू होते ही मुकदमेबाजी प्रारम्भ हो जायेगी । न्यायालय मुकदमों से भर जायेंगे और वकील अपने आनन्द मनायेंगे ।

अतः इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरा प्रथम विरोध यह है कि इस प्रकार के साम्प्रदायिक नियम को लागू करना संविधान के आधारभूत सिद्धान्त के विरुद्ध है । हमारा संविधान तो धर्म निरपेक्ष राज्य चाहता है । वह साम्प्रदायिकता का विरोध करता है, परन्तु आप इस समय साम्प्रदायिक नियमों को लागू करने पर तुले हुये हैं । आप तो स्पष्टता संविधान के आधारभूत सिद्धान्तों का विरोध कर रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक का लाभ ही क्या होगा जब कि ८५ प्रति शत व्यक्तियों को इससे अपवर्जित कर दिया गया है । यह विधि उन लोगों पर लागू नहीं होती जो कि मिताक्षरी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि मिताक्षरा संयुक्त परिवार को इस विधेयक से अपवर्जित क्यों किया गया है ? क्या यह अन्याय नहीं है कि आसाम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोग जो कि दायभाग पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, उन पर तो यह विधेयक अनिवार्य रूप से लागू हो और मिताक्षरी पद्धति का अनुसरण करने वाले लाखों लोगों पर यह विधेयक लागू न हो ? यह एक अनुचित कार्यवाही है, यह घोर अन्याय है । आप दायभाग पद्धति और मिताक्षरा पद्धति में भेदभाव क्यों उत्पन्न कर रहे हैं । दायभाग पद्धति भी उतनी ही उत्तम और वैध है जितनी कि मिताक्षरा पद्धति । अपितु मैं तो यह कहूंगा कि दायभाग पद्धति मिताक्षरा पद्धति से भी अधिक प्रगतिशील है, इसे सर्व पद्धति विधि वेत्ता श्री जीमूतवाहन ने प्रारम्भ किया था । अतः मेरा यही निवेदन है कि दायभाग पद्धति और मिताक्षरा पद्धति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न रखा जाये ।

तीसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि इस विधेयक को शून्य भी किया जा सकता है । तो इसका अर्थ यह है कि पढ़े लिखे लोग और धनवान लोग तो इससे मुक्त हो जायेंगे, परन्तु अनपढ़ और निर्धन लोग इसमें फंसे रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं ?

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं यह कहना चाहता हूं कि एक विवाहित नारी को

[श्री एन० सी० चटर्जी]

साथ ही साथ उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिये । और इसके अतिरिक्त मैं इस बात का भी बिरोध कर रहा हूं कि इसे केवल कुछ लोगों पर लागू किया जाए और अन्य सभी को मुक्त कर दिया जाये ।

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : जहां तक मेरे व्यक्तिगत विचारों का सम्बन्ध है मैंने कहा था कि मैं यह चाहता हूं कि सारे देश पर एक ही विधि लागू हो – और वह विधि दायभाग पद्धति है । परन्तु यदि सभा की ऐसी इच्छा है कि सारे देश पर मिताक्षरा पद्धति लागू हो, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं । इन सभी बातों पर प्रवर समिति अच्छी प्रकार से सोच विचार करेगी ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके सम्बन्ध में अपने विचार भी प्रकट करें, वे सारा भार प्रवर समिति पर न छोड़ दें। क्योंकि प्रवर समिति में विधि की दृष्टि से इतने योग्य व्यक्ति नहीं रखे गये हैं जो कि इसके सम्बन्ध में कोई उपयुक्त निर्णय कर सकें ।

और फिर आप उनके निर्णय के सम्बन्ध में यह कहेंगे कि प्रवर समिति के ४९ सदस्यों ने अच्छी प्रकार से सोच विचार करने के उपरान्त इसे पारित किया है । अतः मैं यह कहता हूं कि सारा काम प्रवर समिति पर मत छोड़ दीजिये, कुछ अपने विचार भी प्रकट कीजिये, कुछ अपने सुझाव भी दीजिये ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई ऐसा विधेयक नहीं है जिसे कि किसी प्रवर समिति को निर्देशित किया जा सके । इस महत्वपूर्ण विधेयक पर इस संसद् में विस्तार-पूर्वक चर्चा की जाये ताकि सारे देश को ज्ञात हो सके कि आप मिताक्षरा और दायभाग पद्धति में इतना भेद कर रहे हैं ।

श्री वेंकटरामन् : क्या आपका निर्णय यह है कि प्रवर समिति विधेयक के उपबन्धों में परिवर्तन नहीं कर सकती ?

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतया नियम यह है कि प्रवर समिति किसी विधेयक के मौलिक सिद्धान्तों को नहीं बदल सकती । अन्य प्रासंगिक बातें बदली जा सकती हैं, परन्तु मौलिक सिद्धान्त नहीं बदले जा सकते । तो इन सभी बातों के सम्बन्ध में हम उस समय निर्णय करेंगे जब विधेयक चर्चा के लिये प्रस्तुत किया जायेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : पिछली बार हिन्दू संहिता विधेयक के सम्बन्ध में जब प्रवर समिति बनाई गई थी तो डा० अम्बेदकर कोई परिवर्तन करना चाहते थे । तो उसके लिये उन्हें विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता – दक्षिण पूर्व) : मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि सभा के सदस्य ऐसा चाहते हैं कि यह विधेयक मिताक्षरा अविभाज्य परिवार पर भी लागू हो ।

श्री पाटस्कर : मेरा अपना मत तो यह है कि जब तक प्रवर समिति इस विषय पर विचार नहीं करेगी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा । अतः मैं समझता हूं कि उसे इस विषय पर अपना निर्णय अवश्य देना चाहिये । इस विधेयक का मूलभूत सिद्धान्त बेटी को सम्पत्ति में दायभाग देना है । अभी तो मिताक्षरा के अन्तर्गत परिवार अपवर्जित हैं । प्रवर समिति को अवश्य ही यह अधिकार प्राप्त है कि उन्हें भी सम्मि-लित कर लिया जाये । यह देखना उनका काम है कि क्या परिवर्तन किये जायें । इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : क्या सर-कार कोई ऐसा विधेयक ला सकती है जिसके

बारे में उसकी अपनी कोई निश्चित धारणा नहीं है ?

श्री पाटस्कर : निश्चित धारणा है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : वे यह निश्चित कर चुके हैं कि मिताक्षरा परिवारों को सम्मिलित न किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी सदस्य चाहे जो विधेयक पुरःस्थापित कर सकता है चाहे वह कितना भी अनिश्चित प्रकार का क्यों न हो और सभा को भी यह अधिकार है कि उसे अस्वीकृत कर दे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह बात अभी से स्पष्ट होनी चाहिये जिससे लोग इसके बारे में प्रवर समिति के सम्मुख अपने विचार रख सकें ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं कोई प्राविधिक वाद विषय नहीं उठा रहा हूं । किन्तु यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है । खंड ५ में कहा गया है कि यह अधिनियम कतिपय सम्पत्तियों पर लागू नहीं होगा । इन में संयुक्त परिवार की सम्पत्ति भी सम्मिलित है और वह सम्पत्ति भी जिस पर भारत उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है । तीसरी चीज़ जो वर्तमान विधेयक से अपवर्जित समझी गई है वह ऐसी सम्पत्ति है जिस पर मद्रास मारुमकट्टायम अधिनियम लागू होता है । यह एक आधारभूत चीज़ है । अब यदि इन सब प्रकार की सम्पत्तियों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाया जाता है तो यह संसद् और जनता के प्रति अन्याय करना होगा । यदि सरकार का कुछ ऐसा बिचार है तो उन्हें इस बात को अभी से स्पष्ट कर देना चाहिये जिससे वह करोड़ों लोग जिन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है इस विषय में उचित उपाय सोच सकें । आपको यह विधि लोगों पर अनुचित ढंग से थोपनी नहीं चाहिये ।

मैं इस विधेयक का दृढ़ आर्थिक कारणों के आधार पर भी विरोध करता हूं । इसका देश की कृषि व्यवस्था पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । विवाहित लड़कियों को सम्पत्ति का अंश देकर आप दामाद को सहांशभागी बना रहे हैं । इसका दुष्परिणाम होगा । वह परिवार एक एकक के रूप में नहीं चल सकेगा । व्यापारी परिवार का व्यापार भी लड़की को अंश मिलने पर नष्ट भ्रष्ट हो जायेगा ।

कल्पना कीजिये कि तीन भाई और तीन बहनें जिन में से एक कलकत्ता एक बम्बई और एक लखनऊ में हो तो क्या जामाता उस परिवार को कारोबार चलाने देंगे ? इससे कृषि जीवन और वाणिज्यिक जीवन विनष्ट हो जायेगा ।

यदि बहन पिता की मृत्यु पर भाई से कोई अंश नहीं लेना चाहती तब भी आप उसे अंश दे रहे हैं । इसका गम्भीर प्रभाव पड़ेगा । बंगाल में सर फ्रेंसिस फ्लाउड की अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग के सदस्यों ने कहा था कि पुत्रियों को अंशहर बना कर भूमि के खंड विभाजन से सब से अधिक कठिनाई होगी । इससे तो किसी की मृत्यु पर तब तक उसे शमशान भूमि नहीं ले जाया जा सकता जब तक जामाताओं को सूचना नहीं दी जाती, जो सम्पत्ति का तुरन्त विभाजन करना चाहेंगे । इससे मुक़दमाबाजी ही बढ़ेगी ।

इससे सगे चचेरे भाई बहनों में विवाद होने लगेगा जिसे हम अगम्यगामी समझते हैं । बंगाल की एक लोकोक्ति है :

"चाचा अपना, चाची पराई है, चाचा की लड़की अपनी कर ले ।"

विधान से इस प्रकार के सम्बन्धों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

यह हमारी सामाजिक और धार्मिक पद्धति के विरुद्ध है जो भारत में शताब्दियों से प्रचलित है । मनु ने कहा है :

अनन्तर सपिण्डात्पःतस्य तस्य धनं भवेत ।
अत ऊर्ध्वं सकुल्य स्यात् आचार्य शिष्य राव चः ।।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

पुत्र और पुत्रियों के बीच विभेद का कोई प्रश्न ही नहीं है। परन्तु हम वस्तुतः अनुमान करते हैं कि जब पुत्री का विवाह कर दिया जाता है तो उसका आध्यात्मिक संस्कार होता है और उसका अभिप्राय उसका पुनर्जन्म है। वह सर्वथा दूसरे परिवार का अंग वन जाती है। भारत आर्य सभ्यता में पूर्वज पूजा और सम्पत्ति के उत्तराधिकार का सम्बन्ध एक मूल सिद्धान्त है जिससे हमारी उत्तराधिकार विधि निश्चित हुई है। इस सम्बन्ध को नहीं तोड़ना चाहिये।

समाज के क्रमिक विकास के लिये वर्ग जीवन के कुछ स्थायी स्वरूप होने चाहियें। संयुक्त परिवार उत्तराधिकार की हमारी वैयक्तिक विधि पर आधारित है। और पृथक रहते हुये भी भाई पारिवारिक बन्धन में एक दूसरे की सहायता करते हैं।

इस उपबन्ध से पारिवारिक व्यापार वाणिज्यिक जीवन और कृषि जीवन अव्यवस्थित और विनष्ट हो जायेगा। यह कहना कि एक हिन्दू पिता अपनी पुत्री से कम प्रेम करता है उसका अपमान करना है।

परन्तु पुत्रियों को सम्पत्ति का अंश देना वस्तुतः जामाताओं को सम्पत्ति देना है। इससे कटुता पैदा होगी और प्रत्येक वसीयत पर अभियोग चला करेंगे।

संयुक्त समिति से मेरा निवेदन है कि वे स्त्रीधन को विस्तृत करने और सीमित भूति के विशेष भाव को समाप्त करने के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करें। हमारे धर्मशास्त्रों में सीमित भूति के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा। दुर्भाग्यवश कोल ब्रुक ने ग़लत अनुवाद कर दिया था जिसके आधार पर प्रिवी कौंसल ने नारी की भूति को सीमित भूति घोषित कर दिया।

अन्त में मैं प्रवर समिति और सभा से इस बात पर विचार करने के लिये कहता हूं कि इस उपबन्ध से नारी को दो अंश मिलेंगे एक तो अपने पिता के परिवार से और दूसरा अपने पति के परिवार से। इससे झगड़े कटुता और अशांन्ति पैदा होगी। यदि एक बहिन अपने भाइयों से अच्छा सम्बन्ध बनाये रखने के लिये पिता की वसीयत का सम्मान करना चाहेगी तो उसका पति झगड़ा करके अपना अंश लेने के लिये उसे उकसायेगा। इससे हिन्दू परिवार विच्छिन्न हो जायेंगे। अतः स्त्री धन और नारी की भूति में कोई भेद नहीं होना चाहिये। यदि कुछ हो तो वह समान आधार पर होना चाहिये और नारियों को पूर्ण अधिकार होना चाहिये।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर-दक्षिण) : कोई विधेयक जो सरकार की तरफ से या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से भवन के सामने आता है, उसका कोई लक्ष्य तो स्पष्ट रूप से बतलाया जाना चाहिए। हमने हिन्दू कोड के नाम पर एक विधेयक लाने का बहुत दिनों से प्रयत्न किया, वह किसी कारण से सफल न हो कर के उसके टुकड़े टुकड़े होकर के आज हमारे सामने आ रहे हैं। एक विधेयक हिन्दू मैरिज बिल अभी हमने पास किया। अब उसका दूसरा संस्करण हमारे सामने यह हिन्दू विरासत का कानून आया है। इस विरासत के कानून से हिन्दू समाज में कोई विशेष प्रगति होगी, समाज की रूपरेखा बदले या उसके अन्दर कुछ खराबी आयगी, हम समझते हैं कि हमारी सरकार के सामने और इस विधेयक के बनाने वालों के सामने उसका कुछ स्वरूप होगा, लेकिन विधेयक के देखने के बाद यह मालूम होता है कि बिला किसी स्वरूप को देखे हुए यह विधेयक इस भवन के सामने आज प्रस्तुत कर दिया गया है।

अभी हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि संयुक्त प्रवर समिति को यह अधिकार होगा कि इसके अन्दर जो धाराएं हैं, उनमें आमूल

परिवर्तन करे या उनमें कुछ इधर, उधर परिवर्तन करे । अगर इस तरह की भावना है तो इसके माने यह होते हैं कि अभी तक सरकार इस बात पर निश्चित नहीं है कि विधेयक जिस रूप में है, उसमें कुछ इधर, उधर का परिवर्तन करके इसे पारित किया जाये या विधेयक में आमूल परिवर्तन किया जाये । मेरे विचार में यह विधेयक अगर पास हुआ और जैसी कि सम्भावना है कि आगे चल कर यह पास हो जायेगा तो समाज में शान्ति पैदा करने और समाज को व्यवस्था को सुधारने के स्थान में समाज में आये दिन रोज बरोज झगड़े पैदा करेगा । अभी श्री चटर्जी ने यह बतलाते हुए कि इस बिल के पास हो जाने के बाद बिजनेस पर कैसा प्रतिकूल असर पड़ेगा स्वयं अपना उदाहरण देते हुए बतलाया कि उनके अन्य भाई आज बिजनेस चला रहे हैं और उनमें आपस में भाइयों और उनकी जो बहिन हैं, प्रेम भाव है और कारोबार सही रूप में चल रहा है और उसको वजह यह कि उनकी बहन कारोबार में शामिल नहीं है । मैं अपने वहां का आपको एक उदाहरण दे कर बतलाऊं कि हमारे वहां एक नूरी नाम के मुसलमान सज्जन थे जो शुरू में एक बहुत छोटे आदमी थे और नमक बेचा करते थे, लेकिन भाग्य ने उनका साथ दिया और आगे चल कर वह शख्स करोड़पति हो गया और आगे चल कर उसके नाम से कई मिलें चीनी कि, चावल की और तेल की चलने लगीं और वह बड़ा भारी आदमी हो गया । उसके मरने पर मुसलमानो कानून के मुताबिक लड़कों के साथ उनकी लड़कियों को भी जायदाद में हक मिला और हमने देखा कि नौबत यह आ गई कि उनकी मिल नीलाम होने लग गयी । उनके दामाद जो मेरे गांव क रहने वाले हैं,उनसे पूछते हैं कि भाई आपस में तय क्यों नहीं कर लेते, क्यों आपस में लड़ते हो, तो वह जवाब देते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, उनके लड़के तसफिया ही नहीं करते, हम क्या करें और लड़कों से पूछो तो वे कहते हैं कि हम क्या करें, दामाद ही झगड़ा तय नहीं करते और इसका नतीजा यह हुआ कि सात, आठ वर्ष से वह मिल जो देवरिया में सबसे बड़ी मिल थी, वह आज बंद पड़ी है । मिल के बंद हो जाने से काश्तकारों को तकलीफ हुई और सब को तकलीफ हुई । अभी मिल १० लाख रुपये पर नीलाम हुई, फिर ऐसा सोचा गया कि आपस में मिल कर के उसका अधिक दाम उन्हें मिल सकता है, लेकिन नहीं मिल सका और नीलाम मंसूख हुआ । अभी लाखों रुपये गवर्नमेंट का उस मिल पर बाकी पड़ा हुआ है और वह गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, वही सूरत में समझता हूं कि इस विधेयक के कानून बन जाने से हिन्दू परिवारों में हो जायेगी । हम उम्मीद करते थे कि जब विधेयक आयेगा तो सब हिन्दुओं पर समान रूप से आयेगा और होना भी यही चाहिए था, अगर इस तरह का कानून सरकार लाना चाहती थी । जितने हिन्दू इस देश में बसते हैं, उनके लिए विरासत का कानून समान रूप का होना चाहिए था और उनमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए थी । जिस तरह से कि मैरिज का कानून हमने बनाया, और उसमें सबको समान रक्खा, उसमें हमने मद्रास की औरतों, पंजाब की औरतों और उत्तर प्रदेश या बंगाल की औरत मर्द का कोई भेद नहीं रक्खा और सारे हिन्दुओं को उसमें हमने समान अधिकार दिया, लेकिन हम देखते हैं कि इस विधेयक के अन्दर हमने असमानता बर्ती है । हिन्दुओं के अन्दर हमने कई क्लास कर डाले । क्या हम इस बिल के द्वारा हिन्दू मुसलमानों और सिक्खों को एक सूत्र में पिरो रहे हैं ? क्या आज हम हिन्दुओं, सिक्खों और भिन्न भिन्न इस देश में बसने वाली जातियों को इस विधेयक के द्वारा एक सूत्र में पिरो रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और उस विधेयक में भिन्नताएं हैं और हम उनको अलग अलग और स्पष्ट रूप से करनें

[श्री सिंहासन सिंह]

जा रह हैं और उन में विद्यमान भिन्नताओं को कम करने के बजाय उलटे और बढ़ाने जा रहे हैं अभी हमार चटर्जी साहब ने कहा कि यह कानून हिन्दू ज्वांइट फैमिलीज़ पर लागू नहीं होगा, ठीक है यह लागू नहीं होगा मगर हिन्दू ज्वाइंट फैमिली तो कहनें भर को ही ज्वाइंट फैमिली रह गई ह । गेन्स् आफ़ लर्निंग ऐक्ट पास करके हम ने हिन्दू ज्वांइट फैमिली को बहुत अंशों में तोड़ दिया है । ये जितने हैं उन पर लागू नहीं होगा ।

उसके बाद हमने देखा कि मद्रास के अन्दर जितनी जातियां हैं जो कि मरुमक्तैयम ला से या अन्य ला से गवर्न होती हैं, जो जातियां उन १३ कानूनों से गवर्न होती हैं जो कि इस विधेयक की धारा ५ में दिये हुए हैं,उन पर यह कानून लागू नहीं होगा । यानी विंध्य प्रदेश के नीचे से या हैदराबाद से लेकर उसके नीचे तक की जितनी जातियां हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। उन के यहां जो कानून पहले से मौजूद हैं वही लागू होंगे। इस समय हमारे एक भाई मौजूद नहीं हैं। वह कहा करते थे कि हम हिन्दू कोड बिल का समर्थन इसलिये करते हैं कि लड़कों को भी जायदाद में हक मिल जायेगा जो कि मद्रास के अंदर आज नहीं मिलता है । लड़कियों को तो पहले से ही मिलता है, वह मिलता रहेगा, लेकिन लड़कों को भी मिल जायेगा। लेकिन आज सरकार इस कानून के जरिये उन लड़कों को हक नहीं मिलने दे रही है क्योंकि वहां तो वही पुराना कानून रहेगा । तो एक ही जाति और एक ही समाज और एक ही धर्म के जो लोग हैं, उनके अन्दर भी कानून की भिन्नता करना उचित नहीं है ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ–मध्य) : क्योंकि वहां पहले से ही लड़की को पैतृक संपत्ति में भाग मिलता है ।

श्री सिंहासन सिंह : लड़कियों को मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता है। तो क्या आप चाहती हैं कि लड़कियों को तो जो मिलता है वह कायम रहे और लड़कों को जो मिलना चाहिये वह न मिले ?

अब क्लाज़ ५ के सब क्लाज़ ४ को देखिये :

'वह संपदा जो उत्तराधिकार के प्रथानुगत नियम या किसी अनुदान या अधिनियम निबंधनों द्वारा एक अकेले उत्तराधिकारी को मिलती है ।'

उन पर भी लागू नहीं होगा । हम ने राजा रईसों को मिटा दिया । वालियान रियासत को मिटा दिया, जमींदारों को मिटा दिया । लेकिन इस कानून के जरिये अगर वह यह क्लेम करें, हमने जमींदारी को खत्म कर दिया लेकिन इस कानून के पास हो जाने के बाद वह यह दावा कर सकते हैं कि अपने कस्टम के अनुसार हम चाहते हैं कि लड़की को हक न मिले बल्कि लड़के को मिले,ऐसी हालत में आप क्या करेंगे ? तो इस कानून के जरिये हम हिन्दू समाज को चार भागों में बांटने जा रहे हैं । एक तो वह लोग जिन पर यह कानून लागू होगा,दूसरे वह लोग जिन पर यह कानून लागू नहीं होगा, तीसरे वह लोग जिनके यहां पुराने तौर तरीके के मातहत लड़का खान्दान का वारिस हुआ करता है और चौथे वह लोग जो दक्षिण में बसते हैं और जिन पर यह लागू नहीं होगा । इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस पर बड़ा विचार करने की जरूरत है । बिल सेलेक्ट कमेटी को जाता है और सेलेक्ट कमेटी इन बातों पर पूरा ध्यान दे और सोचे कि कैसे हिन्दू समाज एक सूत्र के अन्दर बांधा जा सकता है । लेकिन सेलेक्ट कमेटी को इस पर विचार करने का अधिकार है या नहीं,यह सोचने की बात है । अगर इस सब स्वरूप को सेलेक्ट कमेटी बदल देवे और धारा ५ को हटा दे तभी कुछ भलाई इस कानून से हो सकती है । मालूम नहीं कि कानूनन यह

अधिकार सेलेक्ट कमेटी को है या नहीं, लेकिन अगर उस हाउस ने उसको इसके लिये आथराइज न किया, उसको यह अधिकार न दिया, तो अधिकार न होने की वजह से सेलेक्ट कमेटी इसमें कुछ नहीं कर सकेगी, और जहां तक मेरा खयाल है सेलेक्ट कमेटी करेगी भी नहीं। सलेक्ट कमेटी के सदस्यों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसा कि श्री चटर्जी ने अभी कहा कि सेलेक्ट कमेटी में लोग आकर बैठते हैं, लेकिन बहुत से सदस्य ऐसे होंगे जो जानेंगे भी नहीं कि क्या वहां हो गया और क्या नहीं हो गया। वह आकर बैठेंगे और थोड़ी देर बाद उठ कर चले जायेंगे, कानून के झगड़े में कौन पड़ता है ? बिल सेलेक्ट कमेटी से ज्यों का त्यों आ जायेगा और हाउस में पारित हो जायेगा। यह पास न हो सके ऐसी आशा नहीं है। व्हिप तो नहीं है तब भी शायद यह पास हो ही जायेगा और पास होने के बाद जो झगड़े चलेंगे उनका तो कहना ही क्या है ? आज हिन्दू अनाथालय और मुसलमान अनाथालय के झगड़े चलते हैं, दूसरे तरह के झगड़े चलते हैं उसी तरह से हिन्दू समाज में इस तरह के झगड़े भी और बढ़ते जायेंगे।

अभी एक बात श्री चटर्जी ने बताई और वह मुझे भी लगती है। मैं सोचता हूं कि कहीं यह नौबत न आ जाय कि मुसलमानों की तरह से हमारे यहां भी एक घर में शादियां होने लग जायें। आज मुसलमान अपने यहां एक घर में शादी कर लेते हैं, इसका खास कारण यह है कि वह नहीं चाहते कि उनके घर की जायदाद दूसरे कुल में चली जाय। जायदाद को बचाने के लिये वह घर में ही दुधवराव कर के शादी कर लेते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम भी दुधवराव का नाम ले कर उसी श्रेणी में आ जायें जिस में आज मुसलमान हैं ? आज आप किसी ईमानदार मुसलमान से पूछ लीजिये, वह यही कहेगा कि हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है, चूंकि कुरान में यह कानून दिया हुआ है इसलिये हम इस को तबदील नहीं करते, लेकिन हम आर्थिक दृष्टि से इसको अच्छा नहीं समझते। और इसी लिये अपने घर में, अपने भाई के लड़के के साथ अपनी लड़की का वह विवाह कर देते हैं, या किसी दूसरे रिश्तेदार के साथ कर देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम भी उसी मार्ग को अपना लें ? आपने जो मेरेज का कानून बनाया है उसके अन्दर भी आपने दायरा कम किया है कि इतनी पीढ़ी से लेकर इतनी पीढ़ी तक शादियां हो सकती हैं, पांच पीढ़ी तक क्यों हों ? हमारे यहां इतनी जातियां और उपजातियां हैं और जो एक उपजाति के लोग हैं वह उसी उपजाति के लोगों से अपने विवाह नहीं करते हैं क्योंकि उन में वह एक खून मानते हैं। मसलन् में एक वर्ग का क्षत्री हूं, मेरे वर्ग के क्षत्री जो भी हैं, उनसे मैं अपने यहां शादी नहीं करूंगा। लेकिन जब यह कानून बन जायेगा तब इस तरह की शादियां स्वतंत्र रूप से हो सकेंगी। शहरों में तो नजदीक की शादियां भी हुआ करती हैं, लेकिन गांवों में यह चीज देखने को नहीं मिलती है। इस कानून के बन जाने के बाद गांव के गांव में शादियां होने लगेंगी और ऐसा व्यतिक्रम चलेगा कि जिस समाज को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं वह और नीचे गिर जायेगा। इन वजहों से, मैं नहीं चाहता कि स्त्रियों को हक न दिया जाय, उनको जितना हक दे सकें उतना जरूर दें, लेकिन ऐसा हक न दें जिससे कि समाज में झगड़ा हो और वह छिन्न भिन्न हो जाय। पिता की जायदाद में लड़की को हक मिलने का कानून नहीं बनाना चाहिये।

इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अन्दर दफा १७ है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वह इसमें कैसे आई। मैं देखता हूं कि इस कानून के अन्दर आप दफा १७ में स्त्रियों को पूर्ण अधिकार दे रहे हैं, पूर्ण अधिकार अवश्य देना चाहिये, यह मैं मानता हूं। यहां स्त्री पति से

[श्री सिंहासन सिंह]

जायदाद पाती है, लेकिन अगर उस स्त्री से उसके पति के कोई लड़का नहीं है तो स्त्री सम्पूर्ण जायदाद पायेगी लेकिन अगर जायदाद पाने के बाद स्त्री बिना पुत्र या पुत्री के मर जाती है तो वह जायदाद कहां जायेगी ? वह इस कानून के अन्दर दफा १७ के मुताबिक उसको मां को चली जायेगी। इस कानून से वह जायदाद उसके पिता के घर में चली जायेगी, उसके शहर के खान्दान में नहीं रह जायेगी । दफा १७ में दिया हुआ है कि उसके वसीयतरहित मरने पर उसकी संपत्ति पहले पूर्वमृत बच्चों के बच्चों के समेत, उसके बच्चों को मिलेगी, दूसरे उसके पति को और तीसरे उसके माता-पिता को ।

हस्बैन्ड की प्रापर्टी मां या पिता पायेगा । उसके मरने पर उसकी प्रापर्टी हस्बैन्ड पायेगा, यह तो इसमें कहीं है नहीं । अगर लड़का या लड़की नहीं है तो उसकी प्रापर्टी उसके मां बाप के पास चली जायेगी यानी जिस खान्दान से लड़की आई हुई है उसके पास चली जायेगी । शौहर के खान्दान की प्रापर्टी उसके पिता के घर चली जाय यह बात मेरी समझ में नहीं आती । आज तक शायद किसी कानून में भी ऐसा नहीं हुआ कि शहर के खान्दान से मिली हुई प्रापर्टी उस खान्दान में न रह कर उसके पिता के खान्दान में चली जाय, और लड़की के घर के लोग आ कर दामाद पर हावी हो जायें क्योंकि वह आकर कह सकते हैं कि इस कानून के अन्दर जो जायदाद मेरी लड़की की थी वह मेरी होती है । जब जायदाद मां बाप पायेंगे या उनके खान्दान वाले पायेंगे तो वह आ कर स्त्री के पति के यहां जुट जायेंगे और झगड़ा बढ़ेगा । अभी तक तो यह डर था कि कहीं दामाद न घर में आ जाये, अब साले के आने का डर होगा और साले के पिता के आने का डर होगा । इस धारा के अन्दर यह नई चीज रक्खी जा रही है जो कि मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि हम यहां बहनों को भी अधिकार देने जा रहे हैं । अब तक हम पुत्री को अधिकार दे रहे थे लेकिन अब बहन को भी अधिकार मिलने जा रहा है, और दो दो अधिकार मिलने जा रहे हैं । एक तो पिता की जायदाद में और दूसरे शौहर की जायदाद में । हम इतने उदार होते जा रहे हैं कि कहां तो लड़की को कोई हक नहीं था और जब हक देने चले तो एक के बजाय दो दे रहे हैं । शौहर मरे तो शौहर की जायदाद मिले और पिता मरे तो पिता की जायदाद मिले, उसको दुतर्फा जायदाद मिलेगी । इस तरह का व्यतिक्रम मेरी समझ में नहीं आता"। हमारे यहां तो समाज की व्यवस्था थी उसके कारण इतने आघात लगने पर भी हमारा समाज आज तक सुरक्षित चला आता है, लेकिन आप उसके अन्दर भी अब तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं मैंने ऐसा तो किसी भी ला में नहीं देखा । इन्हेरिटेन्स का क्या हो, लड़कियों का क्या हो, यह सब तो मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन हमारे यहां जो बटवारे का क्रम था वह इतना बुरा नहीं था जितना कि हम आज बनाने जा रहे हैं। हम एक बुराई को दूर करने के लिये दूसरी बुराई रखने जा रहे हैं और ऐसा कांटा बो रहे हैं कि पुरानी बुराई से कई गुनी बुराई समाज में पैदा होगी ।

मैं तो कहता हूं कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है तो जावे, लेकिन सेलेक्ट कमेटी में भेजने से पहले सरकार इस विधेयक को वापस लेकर फिर से विचार करे और विचार करने के बाद ऐसा स्वरूप इसका कर दे कि यदि स्त्री को हक मिलना हो तो अवश्य मिले, तब चाहे सेलेक्ट कमेटी में भेजे या कुछ भी करे । मैं तो चाहता हूं कि स्त्री को जरूर हक मिले हमारे समाज की व्यवस्था में, कोई भी स्त्री देश में जायदादहीन न रहे, आज श्री विनोबा भावे सब जायदादहीनों के लिये आवाज उठा रहे हैं, वह कहते हैं कि कोई भी जायदाद-

हीन न रहे। जब सबको मिलेगी तो स्त्री को भी मिलना चाहिये। लेकिन उसकी शादी न हो तब पिता की जायदाद में हक मिले और यदि शादी हो जाती है तो पति की जायदाद में हक मिले, यह बात तो समझी जा सकती है। डाइवोर्स होगा तो वह नहीं रहेगा। अभी कहा गया कि स्त्री के पास कोई जायदाद नहीं होती। मैं कहता हूं कि होती है, कोई उसको उससे महरूम नहीं कर सकता। ज तक वह पति के साथ है तब तक पति के पास जो सम्पत्ति है वह उसके आधे की अधिकारिणी है। अगर वह कुमारी है तो जो अधिकार लड़के को होता है वही उसको रहना चाहिये।

लेकिन यहां तो एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि स्त्री को पिता की जायदाद में से भी हिस्सा मिले और पति की जायदाद में से भी हिस्सा मिले और फिर उसका भाई भी आधी जायदाद ले कर चलता बने। यह कोई अच्छा कानून नहीं है। जहां तक हमने देखा है .....

जहां तक हमने देखा है, उससे हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि यह बिल समाज को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे हटायेगा। इस विषय में अभी और विचार करने की जरूरत है और हमें विश्वास है कि सिलैक्ट कमेटी इसको ध्यानपूर्वक देखेगी कि कहीं इस बिल से समाज में कुकर्म न होन लग जायें और फिर सरकार से सिफारिश करेगी कि वह इसका रूपान्तर कर के इस हाउस के सामने पेश करे। मैं कहना चाहता हूं कि एक दो साल के देर से यह समाज बिगड़ नहीं जायेगा। वह सदियों से चला आ रहा है, अब दो चार बरस और भी चल जायेगा। शादी और डाइवोर्स के बारे में बिल तो हमने पास कर ही दिया है, लेकिन अब जायदाद के सवाल पर हमारे समाज को विघटित न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विभूति मिश्र। यदि मैं प्रवर समिति के मदस्य-सूची वाले किसी सदस्य का नाम गलती से ले लूं, तो भी वह कृपया सदस्य भाषण न दें।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) हमारे ला मिनिस्टर साहब ने यह जो विधेयक पेश किया है, मैं समझता हूं कि इसको बगैर सोचे विचारे यहां पर रख दिया गया है। अगर सरकार इस पर विचार करती तो उसको पता चलता कि हमारे समाज में इसका कहां तक असर होगा। मैं मिताक्षरा स्कूल को मानने वाला हूं। इस बिल में से मिताक्षरा को हटा दिया गया है, लेकिन हमारे ला मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा है कि मिताक्षरा वालों के बारे में सोचा जायगा और सिलेक्ट कमेटी में इस विषय पर विचार होगा। इसका मैं विरोध करता हूं। आप देखिए कि मिताक्षरा के अनुसार चलने वाले एक खानदान में यदि बीस तीस आदमी हैं, तो उन सब का शेयर निश्चित है, जो लड़का पैदा हुआ है, उसका हक भी निश्चित है और जो कल पैदा हो वाला है, उसका हक भी निश्चित है। कोई काम करे या न करे, लेकिन हक सब का निश्चित है। इसलिए मिताक्षरा वालों के बारे में विचार न किया जाय। श्री चटर्जी ने अपनी राय जाहिर की है कि यह मिताक्षरा वालों पर भी लागू होना चहिए। वह गलत है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस बिल को वापिस ले लेना चाहिए। इस बिल के पास करने से गांव का कोई भी हिन्दू घर—चाहे वह ब्राह्मण हो, या क्षत्रिय, वैश्य हो—बगैर झगड़े के नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए किसी हरिजन के पास दो बीघे जमीन है। उसके चार लड़के हैं और एक लड़की है और उस लड़की की शादी हो गई है। दामाद आयेगा और अगर उसको हक नहीं दिया जाता है तो वह किसी दुश्मन के हाथ बेच देगा। किसी घर में मांस-मछली खाने वाला दामाद आयेगा, वह घर को बेच देगा और सारा घर बरबाद हो जायगा। इस तरह गांव-गांव में होगा और हिन्दुस्तान

[श्री विभूति मिश्र]

की आर्थिक स्थिति खराब हो जायगी । मैं अपने लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रार्थना करता हूं और अपील करता हूं कि इस कानून को वापिस ले लिया जाय ।

सच बात तो यह है कि हमारे नेता या तो यहां पर पार्लियामेंट में रहते हैं और कहीं जाते हैं, तो हवाई-जहाज पर। अगर वे गांवों में जाते और स्थिति देखते, तो उन्हें पता चलता कि इसका कितना असर होने वाला है । आज हमारे गांव में छोटे छोटे परिवार हैं । मैं विनोबा जी के साथ भू-दान का काम करता रहा हूं, इसलिए मैं गांवों की स्थिति को भली-भांति जानता हूं । वहां हमने ऐसे परिवार देखे हैं, जिनके पास खाने-पीने को भी नहीं है । जब उन लोगों में ज़मीन बांटी जायगी, तो दामाद आयेगा और अपना हिस्सा ले लेगा । गांवों में घरों में इस प्रकार के बहुत झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है । इस तरह तो सारे का सारा परिवार बरबाद हो जायगा । इसलिए मैं ला मिनिस्टर से कहूंगा कि यह कानून नहीं लागू होना चाहिए और इसको वापिस ले लेना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि क्लाज २८ में आपने विडो को हक दिया है । इसका परिणाम यह होगा कि जब तक उसके हाथ में हक है, तब तक वह अपने हिस्से को बेच देगी और फिर विवाह कर लेगी । तब आप क्या कर सकते हैं ? इस प्रकार तो वह परिवार बरबाद हो जायगा । हमारे भार्गव जी ने बताया है कि इस बिल का असर अधिकतर तीन प्रान्तों पर होगा : पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार पर । इस बिल से इन प्रान्तों में रहने वाले किसानों की हालत खास तौर पर खराब हो जायगी । उनके छोटे छोटे परिवार हैं, उनके हाथ में बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं । अगर बेटी को हक दे दिया गया और विडो को हक दे दिया गया, तो उसका सर्वनाश हो जायेगा । वह बात बिल्कुल गलत है कि औरतों को हक न मिलने की वजह से आज उनकी हालत खराब है । मैं चैलेंज करता हूं कि आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से किसी के घर में भी औरतों की हालत खराब नहीं है—सभी जगह औरतों की इज्जत होती है और उनको सब प्रकार की सुविधा है । किसी को कोई कष्ट नहीं है । फिर दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के हम ३६४ मेम्बर हैं, क्या हममें लड़ाई नहीं होती है ? जिला कांग्रेस कमेटियों और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों में क्या लड़ाई नहीं होती है सब जगह होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते हैं और अपना कर्तव्य नहीं पूरा करते हैं । अगर किसी हिन्दू ने स्त्री के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह बिल सब के ऊपर लागू कर दिया जाय । यह बात ठीक नहीं है ।

इस कानून के पास करने से परिवार में आपस में मन-मुटाव हो जायगा और आज लड़की के प्रति जो भावना रहती है, वह खराब हो जायगी । मान लीजिए कि मेरे चार लड़के और एक लड़की है और लड़की की मैंने शादी कर दी है । लड़कों को यह विश्वास नहीं होगा कि हमें हमारा हक मिलेगा या नहीं और वे मेरी सेवा नहीं करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, आप सोचिए कि यह कितनी दर्दनाक बात होगी कि मैं बूढ़ा हूं, लेकिन मेरे लड़के इस कारण मेरी सेवा नहीं करते कि मैं जायदाद लड़की को दे दूंगा । मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी हिन्दू परिवार ऐसा नहीं है, जो अपनी लड़की की शादी अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता है और अच्छे घर में भेजने का प्रयत्न नहीं करता है ।

इन कारणों से मैं समझता हूं कि यह कानून एकदम नाजायज़ है और सरकार को इसे नहीं लाना चाहिए । अगर हमारी सरकार समझती है कि इसको लाने से वह प्रगतिशील कहलाती है, तो वह बात गलत है । यदि यह कानून

जनता के सामने रखा जाय, तो चाहे कोई सरकारी मेम्बर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों और चाहे राष्ट्रपति हों, किसी को वोट नहीं मिलेंगे । उन्नतिशील कहलाने के लिए आप ऐसा बिल यहां लाए हैं, जो हिन्दुस्तान को आर्थिक स्थिति को बरबाद कर देगा ।

आज जमींदारी खत्म हो गई है और वकीलों के लिए कोई जीविका नहीं रह गई है । आजकल उनकी कोई पूछ नहीं है । कचहरियों में कोई मुकदमे नहीं हैं, लेकिन इस हिन्दू सक्सेशन बिल के पास होने से वकीलों की जेबें गरम होंगी और उनकी खूब आमदनी होगी । वकीलों से छुटकारा पाने के लिए यह जरूरी है कि इस कानून को न पास किया जाय और अगर इसको पास किया गया, तो हर घर में लड़ाई झगड़े होंगे ?

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : कैसे होंगे ?

डा० विभूति मिश्र : हक के लिए होंगे । आपकी लड़की है, आपकी बहिन है । आपने उनकी शादी कर दी है । दामाद आयेंगे और और लड़ाई करेंगे । और मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे हमारे जो हरिजन भाई हैं उनकी हालत और भी खराब हो जाएगी । जो लोग यह समझ रहे हैं कि इस से हरिजनों की हालत सुधरेगी वे गलती पर हैं । जो थोड़ी बहुत जमीनें इस वक्त उनके पास हैं इस बिल के पास हो जाने के बाद उन जमीनों के और भी छोटे छोटे टुकड़े होने शुरू हो जायेंगे जिससे उनको नुक्सान होगा। वे समझते नहीं हैं लेकिन मैं कहता हूं कि उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक क्लाज है नम्बर १८ जिस के मुताबिक जब मां मर जायेगी तो जितनी भी जायदाद उसके पास उसके नाम पर होगी उसके बच्चों को मिलेगी, फिर पति को जाएगी, पति के बाद स्त्री की माता और उसके बाद पिता को जाएगी । इसके बाद हसबैंड को जाएगी और इस तरह से दूसरे सम्बन्धियों को जाएगी । अब आप देखिये कि यह कितने झगड़े की बात है। जो आजकल लोगों की आर्थिक हालत है वह आप जानते ही हैं।

सुबह से शाम तक परिश्रम करने के बाद भी पेटभर खाना नसीब नहीं होता । आज व गुजारा नहीं कर पाते अपनी जीविका नहीं चला पाते । अब जो यह झगड़े पैदा होंगे तो इनको तै करने के लिये उनको वकीलों की सहायता लेनी पड़ेगी जिस से उनपर और भी खर्चा पड़ जायेगा और उनकी हालत और भी खराब हो जायेगी । उनकी खेती उनसे छूट जाएगी वे अपनी जायदाद की देखभाल नहीं कर सकेंगे । इस तरह से उनका सारे का सारा काम नष्ट हो जायेगा । इस वास्ते मैं ला मिनिस्टर से प्रार्थना करता हूं वे इस तरह का कानून न बनायें ।

उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि बम्बई म कानून हैं और इस तरह से और जगहों पर भी कानून हैं । मैं कहता हूं कि उनको जो सुख दुःख हो रहा है वह उनको भोग रहे हैं और उनको भोगने दीजिये । हम पर आप इस तरह का कानून क्यों लागू करते हैं। वे कहते हैं कि सारे हिन्दुस्तान के लिये एक कानून होना चाहिये । मैं उनको बताना चाहता हूं कि सब लोगों के एक जैसे चेहरे नहीं होते, सब के भिन्न भिन्न चेहरे होते हैं। इसी तरह से हर जगह पर एक जैसे रीति रिवाज नहीं हैं। इसलिये अगर एक ही कानून सारे हिन्दुस्तान के लिये न हो तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर इस बिल के जरिये हिन्दुस्तान की स्वाधीनता में जो बाधायें हैं और वे इस बिल के द्वारा दूर की जाने वाली हैं तो हम इसे जरूर मंजूर करेंगे । हम हिन्दुस्तान के स्वाधीनता में बाधा नहीं डालना चाहते । लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ।

[श्री विभूति मिश्र]

मेरे विचार में बाकी सब का ऋण चुकाया जा सकता है लेकिन माता का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। आज भी हम माता को प्रणाम करते हैं, माता की सेवा करते हैं। आज हमारे हृदयों में स्त्रियों के प्रति बहुत आदर है। हम उनका निरादर नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो इस बिल का समर्थन करती हैं। मेरे विचार में उनकी तादाद बहुत ही कम है। आज भी हम जितना अपनी पत्नियों का आदर करते हैं वह आप सब को मालूम ही है। आज भी हम जितना काम कर लाते है और उसको जिस तरह से खर्च करते ह वह स्त्रियों से पूछ कर ही करते हैं दो चार ऐसे परिवार होंगे जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन अधिकांश घरों में तो बात नहीं होती। इसके साथ ही साथ पूछना चाहता हूं कि कितनी जमीनें आप लोगों के पास रह गई हैं। मेरे विचार में तो बहुत ही कम जमीनें अब लोगों के पास हैं। मैं अपनी मिसाल दे सकता हूं। मेरे पास जो जमीन थी वह जब जमींदारियां खत्म हुई हैं और उसका मामूली सा मुआवजा दिया जायेगा जो कि दो चार हजार के लगभग होगा। मैं कहता हूं कि इस बिल से हिन्दु परिवार नष्ट हो जायेंगे, छिन्न भिन्न हो जायेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक सजेशन दी है, मैं उसको मानता हूं। जब लड़की की शादी हो जाये तो उसका हक उसके पति की जायदाद में हो जाये तो कोई बात नहीं है। यह सीधा मामला है। लेकिन जो फारमूला हमारे ला मिनिस्टर साहब ने हमारे सामने रखा है अगर उस पर अमल किया गया तो मेरे विचार में सिवाय झगड़े के उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे सदन के जो ५०० मेम्बर हैं वे इस कानून को अच्छी तरह से पढ़ें और फिर देखें कि कितने खतरनाक परिणाम इसके हो सकते हैं। आज पार्लियामेंट का इजलास खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वे गांवों में जायें, शहरों में जायें और इसके बारे में लोगों की राय पूछें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वे बहुत ही कम लोग ऐसे पायेंगे जो लोग इस बिल का समर्थन करते होंगे। हम गांधीजी के अनुयायी हैं। गांधी जी एक व्यावहारिक आदमी थे, वे प्रेक्टिकल आदमी थे। हमें भी प्रेक्टिकल बनना चाहिये। हम प्रेक्टिकल आदमी तभी बन सकते हैं जब हम लोगों को इस बिल के संबंध में जानकारी करें और इनकी इच्छाओं के मुताबिक चलें मैं तो कहता हूं कि इस बिल से हमारे परिवार डिसरप्ट हो जायेंगे। आपको अच्छी तरह से विचार करना चाहिये और देखना चाहिये आया इससे आपके परिवार सुखी होंगे या दुःखी होंगे। मेरे विचार में तो इससे झगड़े ही पैदा होंगे और दुख ही बढ़ेगा।

मैं इस हाउस में तीन साल से देखता आया हूं कि जो भी विधेयक यहां पर उपस्थित किया जाता है उसके उसूल मान लिये जाते हैं और जब वह सिलेक्ट कमेटी में जाता है तो वहां पर इसके उसूल को चेंज नहीं किया जाता सिलेक्ट कमेटी को उसूल चेंज करने का अख्त्यार नहीं है। अगर इस विधेयक को जब यह सिलैक्ट कमेटी में जायेगा यह फैसला किया गया कि इसको मिताक्षरा ला के मानने वालों पर भी लागू कया जाय तो मैं समझता हूं कि यह गैर कानूनी होगा।

आज क्या होता है। अगर एक खान्दान में सात या आठ भाई होते हैं तो एक कलकत्ता में काम करता है, दूसरा बम्बई में काम करता है तीसरा कहीं और काम करता है। इस में से एक आदमी जायदाद की देखभाल भी करता है। अब इस बिल के लागू होने से यह होगा कि विवाहित लड़की को भी उस जायदाद में हिस्सा मिलेगा और उन में झगड़े पैदा होने शुरू हो

जायेंगे। इस से कोई परिवार नष्ट हो जायेंगे।

इसलिये मैं तो कहूंगा कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है। सरकार बहुत से ऐसे काम करती है जिनकी कि बिलकुल भी जरूरत नहीं होती है। इसपर फिर विचार किया जाना चाहिये। सरकार को कोई ऐसा कानून हमारे सामने लाना चाहिये जिस मे कोई गड़बड़ी पैदा न हो। आप कहते हैं कि यह बिल सुधार करने के उद्देश्य मे लाया जा रहा है लेकिन मैं कहता हूं कि इस से गड़बड़ी पैदा होगी इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस कानून को पिछले चुनावों से पहले लोगों के सामने रखा जाता तो मेरे विचार से लाखों की तादाद में लोग हमें वोट न देते। आपने हिन्दू मैरेज बिल पास कर दिया जिस में कि डाइवोर्स कीव्यवस्था की गई है। वह कानून १५ या २० परसेंट लोगों पर लागू होता है। हिन्दुस्तान के सब लोगों पर वह लागू नहीं होता अगर यह बिल जो कि तकरीबन सब लोगों पर लागू होता है पहले लोगों के सामने आ जाता तो हमें इतनी ज्यादा तादाद में वोट न मिलते। अ फिर चनाव होंगे और यह चुनाव बहुत दूर नहीं हैं। अब भी आप इस पर दोबारा सोच विचार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस से लाभ होगा या हानि होगी। मैं तो चाहता था कि इस बिल को इस सदन में लाने से पहले ला मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट के कुछ मैम्बरों को बुलाते और उनसे इस बिल के बारे में राय पूछते और उन की दलीलें सुनते और अपनी दलील उनके सामने रखते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो सीधे इसे पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया। हमारे वेंकटारमन् साहब तो जो भी कानून सरकार की तरफ से पेश होता है उसको अच्छा ही बताते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि वे गांव में जायें और लोगों की राय पूछें। उनको पता लगेगा कि लोग इस के हक में नहीं हैं। आज तक कांग्रेस लोगोंकी इच्छाओं के अनुसार चलती आई है। मैं भी सन १९२० से कांग्रेस की सेवा करता आया हूं और करता रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिये क्यों कि लोग इसे नहीं चाहते।

अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इस बिल को पास होना ही है और सिलैक्ट कमेटी में जाना ही है तो सिलैक्ट कमेटी में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिससे कि इस बिल को मिताक्षरा ला के सामने वालों पर लागू हो सके और दायभाग वाले जो हैं उनके बारे में भी हां न करें।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं इस महत्वपूर्ण विधान का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री पाटस्कर ने अपने विवेकपूर्ण भाषण में जो यह कहा है कि वे इस सभा का मत स्वीकार करने के लिए तैयार हैं उससे प्रतीत होता है कि वे श्री एन०सी०चटर्जी के मिथ्या तर्कों में फंस रहे हैं। १९४८ की प्रवर समिति के प्रतिवेदन में पुत्री का अंश पुत्र के अंश के समान रखा गया था जब कि इस विधेयक में जो उपबंध किया गया है उसके अनुसार पुत्री को पुत्र के अंश का आधा मिलेगा अत: इस कारण श्री पाटस्कर ने कहा कि पहले संयुक्त समिति और फिर सभा इस सम्बंध में अन्तिम निर्णय देगी। मुझे आशा है श्री पास्टकर संयुक्त समिति पर यह प्रभाव डालेंगे कि वह १९४८ की प्रवर समिति की सिफारिश का समर्थन करें।

दायभाग और मिताक्षर पद्धतियों के वाद-विवाद के सम्बन्ध में भी श्री पाटस्कर में भी सभा के विचारों से प्रेरित होने की तत्परता दिखाई है। उस में सद्भावना लक्षित होती है परन्तु उसके आधार पर विधेयक को पारित करने में विलम्ब करने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्री एन०सी० चटर्जी ने एक बार तो यह सुझाव दिया था कि यह विधेयक त्रटिपूर्ण है

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

क्योंकि यह सामान्य हिन्दुओं पर लागू नहीं होता। उससे प्रेरित होता था कि वे चाहते हैं कि इस विधेयक के उपबंधों में मिताक्षर संयुक्त परिवार पद्धति को सम्मिलित कर लिया जाये। परन्तु वस्तुतः उनकी यह इच्छा नहीं है। उन्होंने यह केवल विधान में बाधा खड़ी करने लिए कहा था। यदि वे गंभीरता से यह चाहते हैं तो उन्हें संयक्त समिति में श्री वी०जी० देशपांडे के द्वारा इसका प्रयत्न करना चाहिये।

मद्रास के विख्यात न्यायशास्त्रियों ने एक मत हो कर बताया है कि संयुक्त परिवार में अत्यधिक अभियोग चलते हैं। श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा कोई व्यक्ति अपने वसीयत अधीन अधिकारों के द्वारा इस विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन कर कता है। परन्तु क्या वे यह सुझाव देने के लिए तैयार है कि वसीयत सम्बंधी अधिकार नहीं रहने देना चाहिये वर्तमान परिस्थितियों में तो इसका विचार नहीं किया जा सकता अतः देश की सविधि पुस्तक में इस उपबंध का रहना अनिवार्य है। अतः मैं समझता हूं कि श्री एन० सी० चटर्जी ने अपने भाषण के प्रथम भाग में जो तर्क प्रस्तुत किये थे उनका केवल औपचारिक रूप था और वे इस विधान को पारित करने से रोकने के लिए नहीं तो विलम्ब करने के लिए अवश्य थे।

पुत्री को विधवा और पुत्र के साथ साथ उत्तराधिकारी बनाना वस्तुतः बहुत महत्व की बात है जिस के लिए न केवल महिला वरन् समाज के सभी लोकतन्त्रवादी लोग बहुत समय से आन्दोलन कर रहे थे।

श्री एन० सी० चटर्जी और अन्य बहुत से सदस्यों ने हिन्दू विवाह विधेयक का विरोध करते हुए कहा था कि इससे हिन्दू नारी के हितों को हानि होगी क्योंकि नारी को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की है। यदि ऐसा है तो उन्ह अब इस विधान का समर्थन करना चाहिये। सामाजिक कार्यों में नारी का बहुत हाथ है, और निराश्रित तथा अभाव की अवस्था में उन्हें पुरुष की तुलना में वे अधिक पीड़ित होती हैं। हमें उदारभाव से उनके लिए पुरुषों की तुलना में अधिक अच्छी अर्थ व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री एन० सी० चटर्जी ने अन्त में अपनी वास्तविक विचारधारा को प्रस्तुत करते हुये कहा कि वे विधेयक में दिये गये उत्तराधिकार के विनियमन के सर्वथा विरुद्ध हैं क्योंकि सभी रूढ़िवादी हिन्दुओं की तरह वे आध्यात्मिक परम्परा के सिद्धांत को मानते हैं कि सम्पत्ति उस व्यक्ति को मिलनी चाहिये जो अपने पूर्वजों के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान कर सके। इस सिद्धान्त में हजारों भारतीयों का निष्ठापूर्ण विश्वास है, परन्तु मैं नहीं समझ सकता कि आप किस प्रकार उत्तराधिकार प्राप्त करके अपने पूर्वजों के हित में आध्यात्मिक अनुष्ठान का पालन करते हैं। सामाजिक विधान निर्माण के समय यह कहना कि स्त्रियां आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकतीं सर्वथा व्यर्थ की बात है। यह केवल प्रतिक्रिया का ही एक ढंग है और रूढ़िवादियों को दुशोत्साहित करने के लिए इसे भिन्न प्रकार का रूप दिया गया है।

कल ही मैं इस सभा के एक उच्च अधिकार प्राप्त सदस्य से बात कर रहा था। वे कह रहे थे कि जब उन्होंने अपनी पुत्री का एक धनाड्य घराने में विवाह कर के अपने कर्तव्य का पालन कर दिया है तो यह कितना बुरा है कि वह आकर अपनी पैतृक सम्पत्ति में भी अंश प्राप्त करने का प्रयत्न करे।

श्री एन० सी० चटर्जी ने भू-अधिकारों के खण्ड-विभाजन की बात का उल्लेख किया था। इसका भय केवल उन लोगों को लगा हुआ है

जिन्हें उत्तराधिकार में बहुत सम्पत्ति मिलनी है और वे किसी को इस उत्तराधिकार से वंचित रखने की आकांक्षा करते हैं। विधि न्यायालयों में हमारा व्यवहार हमारी जाति के चरित्र पर एक कलंक है और इसी कारण भारत-आंग्ल न्यायव्यवस्था से ऐसी बातें उत्पन्न हुई हैं जिनके परिणाम हम अब तक भुगत रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे आंग्ल-भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ भी कहा जाये, परन्तु सदस्य के लिए यह कहना कि हमारे न्यायालय एक कलंक हैं, गलत है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी बात सभा के प्रांगन में की जाये।

न्यायालयों पर हम गौरव कर सकते हैं तथा इन्हीं के द्वारा, संविधान में दिये गये अधिकारों की रक्षा होती है। माननीय सदस्य आंग्ल-भारतीय न्यायालय के विरुद्ध कुछ भी कह सकते थे परन्तु न्यायालय की, जो कि विधान सभा द्वारा पारित विधियों के आदेशों का पालन करते हैं, आलोचना करना उचित नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या आप कृपा करके यह बतायेंगे कि न्यायालयों के विरुद्ध मैंने क्या कहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कहा है कि हमारे न्यायालय हमारे लिये स्थायी कलंक हैं। इस प्रकार के शब्दों को सहन नहीं किया जा सकता है। माननीय सदस्य कह सकते थे कि पहले शासन में न्यायालय स्वतंत्र नहीं थे परन्तु इतना कहना भी उन पर कलंक लगाना है। परन्तु वर्तमान विधि न्यायालयों को देश का स्थायी कलंक कहना ठीक नहीं है। यह एक गंभीर आरोप है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा तात्पर्य यह नहीं था। मैं केवल यह कहना चाहता था कि सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करने के लिये भाई बहिन में भी झगड़ा होता है वे विधि न्यायालयों में जाते हैं। जिसके कारण इन न्यायालयों की कार्य प्रणाली हमारे चरित्र पर एक धब्बा है। इसी को मैंने आंग्ल भारतीय न्यायशास्त्र से आबद्ध कर दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो यह सुना था कि न्यायालयों की कार्य प्रणाली एक स्थायी कलंक है तथा उन्होंने आंग्ल भारतीय न्याय शास्त्र के सम्बन्ध में भी कुछ कहा था। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु न्यायालयों को स्थायी कलंक बताना ठीक नहीं है क्योंकि उनका लाभ तो सभी को प्राप्त होता है वह तो केवल विधि का प्रवर्तन करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में सभी भ्रांति को दूर कर देना चाहता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे भाषण में यदि कोई शब्द आपत्तिजनक पायें तो उसको इस प्रकार निकाल दें जिससे कि भाषण पर उसका कोई प्रभाव न पड़े।

इसके पश्चात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का विरोध केवल समाज के प्रतिक्रियावादी अंग की ओर से ही किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व हमारे प्रधान मंत्री ने बताया था कि हमें अपने जीवन के भार को कम से कम रखना चहिये उनके इस कथन में कितनी सत्यता थी। मैं अपने सभी विरोधी साथियों से जो इस प्रगतिशील विधान का विरोध कर रहे हैं यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस उक्ति पर विचार करें।

इसके पश्चात् मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सम्पत्ति के समर्थकों ने बताया है कि सम्पत्ति के द्वारा ही व्यक्तित्व का विकास होता है जिसका यह अर्थ है कि बिना सम्पत्ति के व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता है। परन्तु मेरे विचार से सम्पत्ति व्यक्तित्व के विकास के स्थान पर मानवता को नष्ट करती

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

है । व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यक्ति को अवश्य मिलनी चाहिये । मैं यह इसलिये बता रहा हूं क्योंकि यह कहा जाता है कि साम्यवादी सम्पत्ति के विरोधी होते हैं । हम सभी सम्पत्तियों के विरोधी नहीं हैं । हम तो केवल उन्हीं सम्पत्तियों का विरोध करते हैं जिस के द्वारा अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अपहरण किया जाता है अथवा उनका शोषण किया जाता है । इसलिये पूंजीपतियों की निजी सम्पत्ति मे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है । यदि आप किसी व्यक्ति को उसकी निजी सम्पत्ति इसलिये देते हैं कि उससे मानवता का विकास हो तो यह अधिकार स्त्रियों को भी अवश्य मिलना चाहिये । सम्पूर्ण संसार के जनतंत्र राज्यों में तथा हमारे देश में भी स्त्री के अधिकार समान माने गये हैं । प्रजातंत्र तथा सभ्यता के आधार पर हमें यह अधिकार उन्हें शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करना ही चाहिये ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी (वान्दिवाश) : इस विधेयक को पढ़ने के पश्चात् मुझे यह ज्ञात होता है कि हम दायभाग तथा मिताक्षरा विचारधाराओं को समझ ही नहीं पाये हैं । यह अधिनियम केवल उस व्यक्ति की स्वयं अर्जित सम्पत्ति पर ही लागू होगा जिसकी इच्छा पुत्रहीन अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है । इस प्रकार यह मिताक्षरा पद्धति पर लागू नहीं होता है जिसका तात्पर्य यह है कि यह परिवार की संयुक्त सम्पत्ति पर लागू नहीं होता है ।

श्री चटर्जी ने कई तर्क उपस्थित किये परन्तु मुझे वे सभी तर्क सारहीन लगे हैं । हिन्दू विवाह विधेयक पर बोलते समय उन्होंने कहा था कि जब स्त्री को विशेष विवाह अधिनियम के द्वारा विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त है तब हिन्दू विवाह अधिनियम में इस प्रकार का उपबन्ध रखने की क्या आवश्यकता है । मैं इस तर्क को समझा नहीं क्यों कि विशेष विवाह अधिनियम तो सभी नागरिकों पर लागू होता है तथा हिन्दू विवाह अधिनियम केवल हिन्दुओं पर ही लागू होता है । हिन्दुओं को विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त नहीं है, परन्तु रूढ़ि के अनुसार ८० प्रतिशत हिन्दुओं को यह अधिकार मिला हुआ है ।

खंड ५ में केवल यही दिया हुआ है कि यह अधिनियम संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा । इसका आशय यह है कि लाखों करोड़ों व्यक्ति इसके प्रवर्तन से मुक्त रहेंगे । यह केवल स्वयं अर्जित सम्पत्ति पर इच्छापत्र हीनता की अवस्था में लागू होगा । उन्होंने अपने समर्थन में श्री वेंकटरामन का उल्लेख किया है । मेरे विचार से श्री वेंकटरामन भी इसको नहीं समझे हैं । सम्पत्ति के बंटवारे सम्बन्धी अधिकारों के विषय में मेरा मत है कि पुत्री को भी पूरा भाग ही मिलना चाहिये उसमें और पुत्र में कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिये । इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिये कि पुत्री को पुत्र से आधा भाग ही मिले ।

खण्ड १० में प्रश्न श्रेणी के अधिमान्यता प्राप्त उत्तराधिकारियों में सम्पत्ति के वितरण के ब्यौरे दिये गये हैं । मेरे विचार से इन में आमूल परिवर्तन किया जाना आवश्यक है ।

मेरे मित्र ने दूसरा प्रश्न विवाहित पुत्रियों के सम्बन्ध में उठाया है । पुत्री के रूप में उसको अपने पिता की सम्पत्ति में से भाग मिलेगा तथा विधवा हो जाने के पश्चात् उसको अपने पति का भाग ससुर की सम्पत्ति में से भी मिलेगा । प्रश्न यह था कि उसको दो स्थानों पर अधिकार नहीं मिलने चाहियें । मेरे विचार से यह प्रश्न व्यर्थ है क्योंकि उसको ये दो भाग एक ही स्थिति में नहीं मिलते हैं, एक भाग उसको पुत्री के रूप में मिलता है तथा दूसरा विधवा पुत्र वधु के रूप में ।

खण्ड २९ के अनुसार यदि कोई उत्तराधिकारी, उस व्यक्ति की जिससे उसको उत्तराधिकार प्राप्त होन वाला हो हत्या कर देता है तो उस हत्यारे को न्याय के आधार पर उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होगा। परन्तु में पूछना चाहता हूं कि इस हत्यारे के पुत्र तथा पुत्री उत्तराधिकारी हो सकते हैं अथवा नहीं। इन बच्चों को क्यों वंचित किया जाये ? उनके लिये तो वह मर जाता है, उसकी व्यवहारिक मृत्यु हो जाती है। इसलिये उसकी सन्तान को वंचित न किया जाये। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति यह परिवर्तन अवश्य कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह खण्ड ३१ में दिया हुआ है कि "इस अधिनियम के अधीन यदि किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार से अनर्ह घोषित कर दिया जाये तो वह उसके उत्तराधिकारियों को उसी प्रकार प्राप्त होगी जैसे कि वह इच्छा पत्रहीन अवस्था में मर गया हो।"

इसमें हत्या का मामला भी आ जाता है तथा उसका पुत्र उत्तराधिकारी हो सकता है। मेरे विचार से यह उपबन्ध नहीं होना चाहिये क्योंकि हत्या इसीलिये की गई कि पुत्रों को सम्पत्ति मिल जाये।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : पिता के पाप के भागी उसकी सन्तान कैसे हो सकती है। इस प्रकार का तर्क वकील ही उपस्थित कर सकते हैं परन्तु न्याय तथा भावना के आधार पर हम यह नहीं चाहते कि उसके पुत्र तथा पुत्रियों को इस उत्तराधिकार से वंचित न रखा जाये। यदि वह वंचित नहीं होते हैं तो अधिनियम में कोई त्रुटि नहीं है। परन्तु इसको स्पष्ट कर देना चाहिये।

कुछ सदस्यों ने खण्ड १० के अधिमान्यता प्राप्त अधिकारियों के सम्बन्ध में कहा है। सब का विश्लेषण करने पर हमें ज्ञात होता है कि कभी कभी पुत्र को अन्य व्यक्तियों से बहुत कम मिलता है तथा पुत्री विधवा से अधिक ले लेती है। यदि हमें इन भागों का आबटन समान रूप से करें तो यह कठिनाई नहीं होगी। मुसलमान विधि के द्वारा पुत्री के उत्पन्न होने पर अन्य सब उत्तराधिकारियों का भाग कम हो जाता है तथा कभी कभी पुत्र के उत्पन्न होने पर पुत्री का भाग कम हो जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि वितरण में कोई कठिनाई न हो। क्योंकि कभी कभी कई विधवाओं होने पर उनका भाग पुत्रों के भाग से कम हो जायेगा। इसलिये उनको बराबर का भाग मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि उनको भी समान स्तर पर रखा जाय।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : बड़ी प्रतीक्षा के बाद आज वह शुभ दिन आया है जिस दिन हिन्दू समाज में स्त्रियों के साथ शताब्दियों से जो अन्याय होता चला आया है, उसका अंत होने जा रहा है और लड़कियों को भी उनके पिताओं की सम्पत्ति में कुछ भाग मिलने की व्यवस्था की जा रही है और केवल स्त्री होने के नाते उनके साथ अन्याय न किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आज न जाने कितने लोग हमारे यहां से बाहर विदेशों में जा रहे हैं और इंटरनैशनल कान्फ्रेंसेज में भाग ले रहे हैं और वहां जाकर भारत की ओर से ह्युमन राइट्स और इक्वेल ट्रीटमेंट आदि सिद्धांतों का संदेश दे रहे हैं और इसका प्रचार कर रहे हैं कि संसार में मनुष्य मनुष्य के बीच में एकता हो और आपस में समानता हो और हम देखते हैं कि आज संसार पर हमारे इस संदेश का काफी प्रभाव पड़ रहा है और यदि आज ऐसी सूरत में हम एक ऐसे विधेयक को जो सरकार लाई है और जो ह्युमन राइट्स और इक्वेल ट्रीटमैंट के ऊपर आधारित है, जो न्याय पर बेस्ड् हैं, उसको हम आज पास नहीं करेंगे तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। इस कारण आज हम सदस्यों को इस बिल को तुरन्त ही पास

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

कर देना चाहिये जिससे कि यह लागू हो और जो अन्याय हम लोग एक स्त्री के साथ महज स्त्री होने के नाते करते रहे हैं, इस धब्बे को, आज उस कलक को हमें भारत माता के माथे पर से धोना होगा। समाज के लिये यह बिल बहुत ही ज्यादा आवश्यक और लाभदायक है। हम स्त्रियों को यदि एकोनोमिक इक्वैलिटी नहीं देंगे, कुछ थोड़ी सी उनको एकोनोमिक सहायता नहीं देंगे तो हमने जो अभी यह हिन्दू मैरिज बिल पास किया है। उसका पास करना ही बिलकुल बेकार हो जायेगा कुछ लोगों को जो इस बात का भय हो रहा है कि लड़की को बाप की जायदाद में यदि कुछ भाग मिल गया तो समाज का तख्ता उलट जाएगा परिवारिक जीवन उलट जायगा और भाई बहनों में प्रेम नहीं रहेगा और कलह पड़ जायगी, तो मैं उन भाइयों से पूछना चाहूंगी कि आज जिन जाति में बहनों को हक दिया जाता है, जैसे कि मुसलमान, ईसाइयों म लड़कियों को पिता की प्रापर्टी में हिस्सा मिलता है, तो क्या उनके यहां भाई बहनों में प्रेम भाव नहीं रहता ? क्या हमारे हिन्दू समाज के जो भाई हैं वे केवल पसे के ही मीत हैं ? इसके अलावा आज हम देखते हैं कि जो पुराने कुटम्ब और संयुक्त हिन्दू परिवार चले आ रहे थे वह आज हैं कहां, शहरों में से तो नापैद हैं, और देहातों में जो कुछ थोड़े रह गये हैं वह भी टूटते जा रहे हैं, ज्वाइंट हिन्दू फंमिलीज़ का स्ट्रक्चर गिरता जा रहा है और पुराना समाज का ढांचा वर्षों से बदलता जा रहा है। आज के प्रगतिशील जमाने में भिन्न भिन्न विचारों के लोग हैं जो अपने उद्देश्यों और विचारों के अनुकूल ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और ऐसी सूरत में एक परिवार में सब लोगों अथवा बहुत अधिक लोगों का साथ रहना सम्भव है। आज लड़के घरों में रहते कहां हैं ? आज रेल का ज़माना है, हवाई जहाज का जमाना है और रोजगार की कमी है। इन कठिन समस्याओं के कारण हम देखते हैं कि लड़के धन कमाने जहां कहीं उनको रोजगार या नौकरी मिलती है चले जाते हैं और साथ में अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर दूर दूर नौंकरियों पर चले जाते हैं। मैं तो समझती हूं कि जो पुराने परिवार और कुटम्ब थे वे हमेशा से ही एक लड़ाई ओर झगड़े की जड़ थे। यह सही बात है कि जहां पांच बर्तन होते हैं वहां खटकते अवश्य हैं और आज के जो स्त्री और पुरुष हैं, उनमें न तो माता पिता ही यह चाहते हैं कि वे सब कुटम्ब को ले कर एक साथ रहें और न बहू, बेटा ही यह चाहते हैं कि वे सब के साथ एक कुटम्ब रहें, इस तरह की भावना आज हर एक पढ़े लिखे शहर के लड़के लड़कियों की हो रही है और देहातों के लोगों में भी यह कहावत है कि : मैं तो और मोर भतार, दूसरे आवे तो फोडूं कपार। और फिर अगर परिवार रह भी जायं तो आज जायदादें किस के पास रहा जायेंगी। जिन के कि बंट जाने का भय हो रहा है। आज देश में सोशलिस्टिक पैट्रन को सोसाइटी की स्थापना होने जा रही है, पूंजीवाद सीमित हो रहा है, फिर अब किसी एक व्यक्ति के पास इतना धन व जायदाद नहीं रहेगी जिसके कि सम्बन्ध में यह सारी समस्यायें उपस्थित होंगी और खड़ी होंगी।

अगर कोई बहुत धन कमायेगा भी तो दूसरे उपायों से उससे उसको ले लिया जायेगा जैसे हैवी टैक्सेशन है। जमींदारी का उन्मूलन तो हो ही गया है, डैथ ड्यूटी लगाई गई है कोई भी प्रापर्टी यदि सरकार चाहेगी तो अपनी इच्छानुसार ले लेगी, यह बिल अभी इस सदन में हम पास कर चुके हैं, तो फिर आपको अपनी बहन या लड़की को ही कुछ थोड़ा सा दे देने में क्या आपत्ति है ? फिर यदि कोई चाहे कि ऐसा न हो, वह अपना कुल कमाया हुआ धन

केवल अपने पुत्र को ही देना चाहे और अपनी लड़की को न देना चाहे, तो इसके लिये भी इस बिल में प्राविजन है, वह चाहे तो बिल कर सकता है और धन अपनी लड़की को दे कर न अपने बेटे को ही दे सकता है। तब फिर इस में क्या डर की बात है। यह कहना कि स्त्री निर्बुद्धि है, उस में इतनी समझ नहीं है कि वह जायदाद की देखभाल कर सके, यदि उसको धन का भाग मिल जायेगा तो वह उसकी रक्षा नहीं कर सकेगी, वह उसको लुटा देगी यह गलत है। मैं कहती हूं कि पुरुषों को अपनी बुद्धि के सम्बन्ध में बड़ी गलतफहमी है, भ्रम है। हम ने देखा है बहुत से ताल्लुकेदारों की जो विधवायें हैं उन्होंने अपनी जायदादों का बहुत सुचारु रूप से प्रबन्ध किया है और अपने पुरुषों से अच्छा किया है। पुरुष धन को उड़ा देते हैं, स्त्री किफायतशार होती है, हमेशा धन को सम्भाल कर अपने कुटम्ब पर खर्च करती है, उसको बेकार नहीं जाने देती है। हजारों स्त्रियों के जो व्यभिचारी पुरुष हैं, बड़े बड़े ताल्लुकेदार हैं, जायदाद वाले हैं, जो शराबी हैं, व्यभिचारी हैं, जिन्होंने सारी जायदादों को बिगाड़ा है, उन से भी जायदादों को अपने हाथ में ले कर स्त्रियों ने बचाया है, घर को सम्भाला है। ऐसी स्त्रियां को अबला कहा जाता है। मैं कहती हूं :

"जिस के आगे सब गये हार,
अबला बल को है नमस्कार।"

अगर यह कहा जाय कि जायदादों के सम्बन्ध में, वे पुरुषों से सहायता लेंगी, तो मैं कहना चाहती हूं कि जायदादों के सम्बन्ध में पुरुषों को भी मुंशी, महर्रिर, कारिन्दों, खजांचियों इत्यादि से सहायता लेनी होती है। जहां बड़ी जायदाद होती हैं, वहां दूसरे लोगों से क्या सहायता नहीं ली जाती है ? हां, अब इसका विचार करना कि लड़की को कितना भाग दिया जाय, यह अवश्य ही बड़ी कठिन समस्या है हमें ठंडे दिल से इस पर विचार करना है और ऐसा निर्णय करना है जिस से भाई बहन, मां बाप और समाज सब का हित हो। हम को ऐसा काम करना चाहिये जिस से सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे। हमारी बहुत सी बहन कहती हैं कि लड़की और लड़के को समान भाग मिले, बहुत से हमारे भाई भी हैं जो कि शिवलरी में आ कर यह कहते हैं कि लड़के और लड़की को समान भाग मिलना चाहिये। लेकिन कई कारणों से मैं लड़की और लड़के को बराबर भाग देने के पक्ष में नहीं हूं। बात ऐसी है कि गोयम मुश्किल व गर न गोयम, मश्किल। लेकिन कुछ भी हो जब मैं इस सभा में खड़ी हुई हूं तो अपने विचार जरूर रखूंगी। क्या उचित है और क्या अनुचित है इस पर सिलैक्ट कमेटी विचार करेगी। उस में सभी योग्य व्यक्ति रखे गये हैं और उस की जो राय होगी, उस को, मैं आशा करती हूं सदन मंजूर करेगा परन्तु सिलैक्ट कमेटी से मैं यह आशा करती हूं कि निर्णय करते समय जो भी हम सदस्य इस सभा में राय दे रहे हैं उस पर भी वह ध्यान देगी और विचार करेगी। मेरा विचार यह है कि कभी कभी लड़के को बाद के ऋण और दूसरी देनदारियों, भारों और जिम्मेदारियों को चुकाना पड़ता है। उनकी जिम्मेदारी लड़की पर नहीं होती, लड़की तो अपना भाग ले कर चली जायेगी, लेकिन ऋण और दूसरी कठिनाइयों की जिम्मेदारी लड़के के सिर पर ही होती है, बूढ़े माता पिता हैं, या विधवा मां हैं, नाना हैं, नानी हैं, दादी हैं अगर माता बुड्ढी हो गई तो वह लड़के के पास ही रहना चाहेगी कोई भी लड़की के पास नहीं रहना चाहेगी।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : उन को निकाल दिया गया है।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : हिन्दूमाता पिता कभी भी दामाद के घर रहना पसन्द न करेंगे यह हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है क्यों कि कोई भी माता पिता दामाद को

[श्रीमती शिवराजवगी नेहरू]

उतना नहीं चाह सकते जितना कि लड़के को क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। लड़का अपना खून है अपना पोस्त है, माता को जो प्रेम उससे हो सकता है, या लड़के को माता से हो सकता है, वह दामाद के लिये सास को नहीं हो सकता है और न ही दामाद को सास के लिये हो सकता है। लड़के के घर में मां ज्यादा आजादी से रह सकती है, लड़के पर मां को ज्यादा हक होता है। वह उस को समझा सकती है, डांट सकती है और यदि कभी लड़का कोई भली बुरी बात कह दे तो वह उस को माफ भी कर सकती है और इस में अपना अपमान नहीं मानती। लेकिन अगर दामाद के घर जा कर रहे तो सास को दब कर रहना पड़ेगा और अगर दामाद कोई अनुचित बात कहे तो उस को उस अपमान को भी सहना पड़ेगा। लड़की जरूर अपना खन पोस्त है, लेकिन वह दामाद के आसरे रहती है और दामाद उतना प्रेम सास से नहीं कर सकता जितना कि लड़की अपनी मां से करती है। मैं यह नहीं कहती कि सब दामाद एक से होते हैं: 'तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग' लेकिन वास्तव में जो कुछ देखने में आता है वह यही है, इस से हम कैसे इन्कार कर सकते हैं? जिन मुल्कों में सासें जा कर लड़कियों के साथ रहती हैं, जैसे योरप में, उन जगहों पर भी आप देख लीजिये, सासों का कितना मजाक उड़ाया जाता है, उनका कितना अपमान किया जाता है, मदर इन लाज को दामाद हमेशा अपमान की निगाह से देखते हैं, उनका आदर नहीं करते और हमेशा यह समझा जाता है लड़की के घर में जो सास रहती है वह झगड़े की जड़ होती है और लड़की और दामाद में झगड़ा करवाती है।

दूसरी बात यह है कि ब्याही और बिना ब्याही लड़की को एक ही पैमाने पर रखा गया है। मेरी अल्प बुद्धि में यह आता है कि ब्याही लड़की को क्यों दोहरा हिस्सा दिया जाय और बिना ब्याही लड़की क्यों घाटे में रहे? जब हम स्त्रियां ही अपने भाइयों के बराबर का अधिकार चाहती हैं, बराबर का भाग चाहती हैं, तो हम अपनी बहनों के साथ क्यों अन्याय करें? जब पिता मर जायेगा और लड़की जो बिना ब्याही है, उसकी शादी करने का सवाल आयेगा तो भाई अपनी बहन की शादी बहन के भाग में से कर देगा। क्योंकि जब जायदाद का हिस्सा बांट हो रहा है तो वह क्यों अपने भाग से बहन की शादी करेगा? इस के लिये कोई प्रोविजन इस विधेयक में होना चाहिये। मेरी राय तो यह है कि अपने समाज की सब बातों को देखते हुए बहनों और भाइयों को समान या आधा भाग जायदाद में नहीं मिलना चाहिये। ब्याही हुई लड़की को अपने बाप की जायदाद का १/४ हिस्सा मिले और बिना ब्याही लड़की को अपने बाप की जायदाद का १/३ हिस्सा मिलना चाहिये। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझती हूं कि जो देहात में रहने वाले हैं उन की भी समस्यायें और कठिनाइयां कुछ दूर हो जायेंगी। और जो भाई हैं, वे आसानी से अपनी बहनों के खेत और जमीन के भाग खरीद सकेंगे। हमारे कुछ भाइयों ने कहा है कि यदि बहन को हिस्सा मिला, तो हमारी सोसायटी टूट जायेगी कोई यह भी कह सकता है कि मेरे पुत्र हैं, मैं ने लड़की की शादी अमीर घराने में कर दी है उसको अब हिस्सा क्यों मिले मैं आपको मिसाल दे सकती हूं। आज हजारों धनी मां-बाप के लड़के चैन कर रहे हैं परन्तु उनकी बहनों की शादी गरीब घराने के लड़कों से हो गई है और वे आज बर्तन मांज रही हैं। जब मां-बाप धनी हैं, तो लड़की को क्यों न हिस्सा मिले? उसे यह हक अवश्य मिलना चाहिये।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल की हृदय से सपोर्ट करती हूं

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद-पश्चिम) : इस विधेयक पर मुझे कुछ नई बातें नहीं कहनी हैं। मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि मैं अपनी सम्मति इस सदन के सामने रख दूं—चाहे वह सम्मति बहुत कुछ उसी प्रकार की हो, जो मेरे दूसरे भाई प्रकट कर चुके हैं।

मैं इस विधेयक को पढ़ कर कुछ चकित हूं मेरे भाई मंत्री जी, जो इस विधेयक को इस भवन में उपस्थित कर रहे हैं, इस बात को मानने वाले हैं कि हम केवल शब्दों, पुरानी बातों और रस्मों की अपेक्षा बौद्धिक क्रम के ऊपर अधिक ध्यान देना है। मैं उनकी इस बात को स्वीकार करता हूं, यह मैं ने भी उस दिन निवेदन किया था। मैं यह चाहता हूं कि जो बात बुद्धि में न आये, युक्ति में न आये उसको पकड़ने का प्रयत्न हम न करें। यह उचित नहीं है कि उसका ही चलाया जाये। परन्तु मुझे लगता है कि इस विधेयक में उन्होंने कई चीजों में पुरानी बातों को पकड़ा है, कई बातों में उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया है, परन्तु साथ ही कोई उन्होंने ऐसी नई बात निकाली हो, जो आज की स्थिति और बुद्धि के बिल्कुल अनुकूल हो, ऐसा मुझे नहीं लगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि क्या उनको इसका पता नहीं है कि हमारे देश में किस प्रकार के लोग रहते हैं। यह कल्पना करना कि जिस प्रकार हमारे मुसलमान भाइयों में होता है कि लड़की को जायदाद में कुछ हिस्सा दे दिया तो लड़के आदि जो लोग रह जायेंगे, वे उसको रुपया दे देंगे—इससे कुछ ऐसा लगता है कि वह देहात की स्थिति को अधिक जानते नहीं हैं। जहां पर बहुत अधिक पैसा हो, बहुत रुपया छोड़ा गया हो वहां पर यह बात संभव है, लेकिन साधारण रीति से हमारे यहां जनता रुपये वाली नहीं है। यह जितना आप भी कानून बनाते हैं, जो सम्पत्तिदाय-बचती है, उस विभाजन का जितना भी आपका कानून है, वह लगभग पांच या सात सैंकड़े आदमियों के लिये है। जनता को अधिक संख्या हमारे यहां पैसे वाली नहीं है। हमारे यहां की औसत आमदनी २५५ रुपये प्रति साल निकाली गई है। जिस देश की साल में इतनी कम आमदनी है, जिसमें करोड़पतियों और लखपतियों की संख्या भी है, जिनकी आमदनी दो तीन या चार पांच लाख की है, उसके विषय में हम अनुमान कर सकते हैं कि वहां पर करोड़ों आदमी ऐसे हैं, जिनकी आय बहुत ही कम है, २५५ रुपये भी नहीं है, केवल ४० या ५० रुपये साल की आमदनी है। आखिर देहात के लोगों के पास है क्या? क्या उनकी जायदाद है और क्या उनकी आय है? यह जितना विधेयक आप बना रहे हैं और जिस सम्पत्ति की यहां पर चर्चा हो रही है, उसका सम्बन्ध बहुत थोड़े से गिने हुए शहरी आदमियों से है —अथवा कुछ ऊंचे ऊंचे जमींदारों से है। यदि यह विधेयक उन्हीं तक सीमित होता, तो मुझे बहुत चिन्ता न होती। यह कानून वहां जायगा जहां बहुत थोड़े थोड़े कच्चे घर हैं और दो एक बीघे जमीन है। आपने व्यवस्था की है कि देहात में भूमि का कुछ हिस्सा दामाद के घर में भी पहुंचे। मुझे ऐसा लगता है कि यह बात बहुत बद्धि की नहीं है। आप यह क्या करने जा रहे हैं? क्या हमारे देश में इस बारे में बहुत पुराने समय से विचार नहीं किया गया था? क्या अब तक हमारी लड़कियों के साथ अन्याय ही होता रहा है? जब हमारी कुछ बहिनें यह बात कहती हैं तो मुझे हंसी आती है और आश्चर्य होता है। क्या उनको यहां की स्थिति का ज्ञान नहीं है? क्या वे विलायत से आई हैं?

श्री टेक चन्द : दिमाग विलायत से आये हैं।

श्री टंडन : पुत्री के विवाह के लिये हम अपने को बेच देते हैं। न जाने कितने भाई और पिता जन्म भर गुलामी करते हैं, इसलिये कि लड़की के विवाह से उऋण हों। इतना

[श्री टंडन]

लड़की के लिये करते हैं। लड़की हमारे यहां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। उसके साथ अन्याय का प्रश्न ही क्या है? परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं है—और यह वास्तविकता है—कि लड़की दूसरे घर का धन है। चूंकि लड़की को दूसरे घर जाना ही है, इस लिये हमारे यहां कहावत है कि लड़की दूसरे घर का धन है। लड़की को कोई अपने घर बिठा नहीं लेता है। लड़की के लिये हमारे ऊपर यह एक बड़ा दायित्व होता है कि कहीं न कहीं से पैसा लायें उस की रक्षा करें और फिर उसका विवाह करें। जब लड़की का विवाह होता है, तो लखपति और करोड़पति उसको लाखों देते हैं और देहात का वह आदमी जिसके पास अधिक पैसा नहीं है, सौ दो सौ रुपये में ही लड़की को विवाह कर देता है, परन्तु प्रायः लड़की को कुछ न कुछ देता ही है। इसके अपवाद अवश्य होते हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं करता। और अपवाद केवल यहां नहीं हैं, दूसरे देशों में भी ऐसे लोग हैं, जो लड़की के बदले पैसा लेते हैं। यह केवल यहां की बात नहीं है। मैं ने यूरोप के एक देश की बात सुनी है। जार्जिया की कथा बहुत प्रसिद्ध है। वहां सुन्दर लड़कियां होती हैं दूसरे लोग वहां जाते हैं, लड़कियां लेते हैं और उनके पिता को भेंट देते हैं। बहुत जगह यह प्रथा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि लड़के और लड़की का स्वरूप बिल्कुल एक नहीं होता है—इकनोमिक ईक्वैलिटी—आर्थिक बराबरी—की बात एक बड़ी सस्ती बात है। क्या कोई देश सचमुच आर्थिक बराबरी स्थापित करने का दावा कर सकता है? यह कहिये कि अवसर दिया जाये, परन्तु आर्थिक बराबरी का नाम ले कर क्या कोई बहुत सच्ची बात कहेगा? क्या यूरोप में आर्थिक बराबरी है? आज भी यूरोप और अमरीका में स्त्रियां लड़पती हैं, जब वे जवान होती हैं, कि हमारे लिये पति मिले, चारों ओर वे पति-आकांक्षिनी होती हैं—इस कारण से कि आर्थिक आवश्यकता उनकी होती है और हमारे यहां तो वह है ही। क्या इसमें कोई सन्देह है? आज भी स्त्रियों का आदर मान बराबर होता है, लेकिन कुटुम्ब का बोझ पुरुषों के ऊपर ही होता है, पिता पर होता है, लड़कों पर होता है—स्त्रियों के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला करता है। इस स्थिति को हमें भूल नहीं जाना चाहिये। ऐसी दशा में थोड़े थोड़े से पैसों के लिये, जायदाद के लिये, ऐसा रूप देना कि कलह उत्पन्न हो, कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। इसीलिये में मंत्री महोदय को इस बिल के ऊपर बधाई नहीं दे सकता हूं।

मुझे इसमें युक्ति और बुद्धि की और अपने देश की स्थिति की जानकारी की गहरी कमी लगती है। बम्बई, कलकत्ता आदि शहर जहां बड़े बड़े धनी लोग रहते हैं, वह तो हमारा देश नहीं है। वहां हो सकता है कि जहां लड़कों को पिता की मृत्यू के बाद २, २ लाख या ४, ४ लाख रुपये बटें, तो लड़की को भी लाख डेढ़ लाख मिलना चाहिये और प्रायः दे भी देते हैं। परन्तु जैसा हमारे और भाइयों ने कहा एक व्यापारी के लिये भी यह कठिन है कि उसके व्यापार का बंटवारा हो और उसमें झगड़ा और टंटा उठ खड़े होने की सदा सम्भावना बनी रहेगी। इसी तरह एक देहाती आदमी जिसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी है, जब उसकी लड़की का विवाह हो जाता है, वह दूसरे के घर चली जाती है—उस ग्रामीण का दामाद अथवा दामाद का पिता अपने हिस्से का बंटवारा कराने के लिए लड़की के पिता के दरवाजे पर लट्ठ ले कर आये, तो इस तरह तो झगड़ा और टंटा खड़ा करना है।

एक माननीय सदस्य: उसका परिणाम कोर्ट में जाना होगा।

श्री टंडन : वर्तमान रूप में विधेयक को पास करना झगड़े और टंटे को खड़ा करना है और मैं मंत्री महोदय को इस विधेयक के लिए बधाई नहीं दे सकता। उन्हें इस बिल को वापिस ले लेना और इस पर फिर विचार करना चाहिये। मैं तो इस पक्ष में हूं कि सिलैक्ट कमेटी—प्रवर समिति—में यह जाने के योग्य नहीं है, इसके ऊपर उन्हें फिर से विचार करना चाहिये, उसको दूसरा रूप दे कर वह सदन में लायें ।

एक बात और है जिसके विषय में उन्हें सोचना चाहिये। जिन्हें अपनी लड़की को कुछ जायदाद अथवा सम्पत्ति देनी होती है, कभी कभी वह वसीयत से देते हैं, परन्तु फिर भी प्रायः यही देखा जाता है कि लोग यह पसन्द करते हैं कि जायदाद उनके लड़कों के बीच में ही रहे और इस कारण उन्हें लड़की को जो देना होता है, वह अपने हाथ से उठा कर देते हैं। ऐसा करने में एक कारण यह रहता है कि आदमी की यह स्वाभाविक इच्छा रहती है कि उसका जो कुटम्ब और परिवार है वह चले और कुटुम्ब लड़के से चलता है, लड़की की तरफ कुटम्ब के लिये नहीं देखा जाता है। एक पिता अपने कुटम्ब के चलने के लिये अपने लड़के की ओर देखता है, लड़की की ओर नहीं देखता क्योंकि लड़की शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती है और उस घर की हो जाती है। इसका यह अर्थ न समझ लिया जाय कि मैं स्त्रियों को उनके अधिकार देने के पक्ष में नहीं हुं हमें उनको उचित मात्रा में देना है और उनको हर प्रकार से समर्थ बनाना है। मैंने पहले ही कहा कि मैं युक्ति के साथ चलना चाहता हूं और आंख बंद कर के मैं शास्त्रों और स्मृतियों में जो सैंकड़ों और हजारों वर्ष पहले उस काल के अनुसार लिखा गया था, उससे मैं अपने को बांधने को तैयार नहीं हूं। पुरानी बात तो यह थी कि पत्नी को कोई अधिकार नहीं था और वह बात आधुनिक काल में उचित नहीं थी। अब थोड़े दिन पहले एक अधिनियम पारित करके आपने पत्नियों को जो अधिकार दिया, उसका मैं स्वागत करता हूं और उसको रहना ही चाहिये। मैं इस मत का बिल्कुल पोशक हूं कि पति की जायदादमें पत्नी का गहरा अधिकार रहना चाहिये और मैं तो कहूंगा कि पति के बाद अगर आप सारी जायदाद उसकी पत्नी को दे दें और लड़के को न दें तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा और आप भले ही ऐसी व्यवस्था कर दें कि पति के बाद पत्नी सारी जायदाद की मालिक होगी और लड़के के स्थान पर लड़के की माता का सारा अधिकार होगा कुल अधिकार आप माता को दे दीजिये, लड़के को कौड़ी मत दीजिये, माता स्वयं ही उसको देगी, आखिर वह उस लड़के की माता जो ठहरी, माता होने के नाते वह अपने लड़कों को स्वयं देगी। आप स्त्री मात्र के प्रति इस तरह आदर दिखलाइये कि मर्द के मरने के बाद सारी जायदाद की हकदार उसकी औरत हो पत्नी पूर्ण अधिकारिणी हो, उसका बंटवारा लड़के के साथ न हो, "साइमलटेनियस ऐयर" नहीं, मुख्य भाग उस का हो, मैं तो इस का पक्षपाती हूं। आपने इस विधेयक में रखा है कि लड़के के साथ उसको एक हिस्सा मिलेगा और मैं तो कहता हूं कि पत्नी को पूरा अधिकार दिया जाय। जहां तक लड़कियों को पिता की जायदाद में हिस्सा देने की बात है मैं कहूंगा कि लड़की अविवाहित है तो अवश्य उसको हिस्सा मिलना चाहिये क्योंकि सम्भव है आगे चल कर उसका विवाह आदि करने में कोई झंझट आदि उठ खड़ा हो, इसलिये आप अविवाहित लड़की को उसके पिता की जायदाद म पूरा अधिकार दीजिये, परन्तु जहां तक विवाहिता स्त्रियों को हिस्सा देने की बात है यह देखना पड़ता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तब वह दूसरे घर की हो जाती है। वह स्वतंत्र नहीं होती और उसके ऊपर उसका पति रहता है जो उसको रास्ता दिखलाता है और यह हो सकता है कि स्त्री को उसका पति प्रेरणा करे या ससुर प्रेरणा करे और दूसरे

[श्री टंडन]

कुटम्ब वाले उस स्त्री के पिता के कुटुम्ब में आ कर उनके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करें और झड़ा टंटा उठा कर खड़ा हो। मेरा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था कर के झगड़ा बढ़ा रहे हैं और इसलिए विवाहिता स्त्री को जो हिस्सा पिता की जायदाद में देने की बात आपने रखी है, वह ठीक नहीं है। जिसे लड़की को कुछ देना होता है वह उठा कर अपने हाथ से अपने जीवनकाल में दे जाता है।

अब दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपने प्रथम श्रेणी में, जिसको कि आपने अंग्रेजी में क्लास १ लिखा है, जिन लोगों के बराबर का हिस्सा है, उनमें आपने माता-पिता को रखना उचित नहीं समझा। बात यहां पर हो रही थी के आदर की तो क्या आपके सामने माता उतनी आदरणीय नहीं है जितनी कि लड़की या लड़की की लड़की जो दूसरे कुटुम्ब में चली गई उसका हिस्सा लड़के के साथ है, परन्तु उसकी माता का आप आदर नहीं करते, यह बहुत अनुचित है। हमारे देश में माता-पिता का जो आदर है उसको देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उसको पहली श्रेणी में रखें, माता को पहली श्रेणी में रखें, माता और पिता दोनों पहली श्रेणी में रक्खे जायें और उनका अपने लड़के की जायदाद में अधिकार हो।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : उसको लम्बा ढ़केल दिया है।

श्री टंडन : उनको आपने पहली श्रेणी से हटा कर दूसरी श्रेणी में कर दिया है और इसके अर्थ यह हुए कि उन्हें कुछ नहीं मिल सकेगा। उनका नम्बर तो जब आयेगा जब प्रथम श्रेणी में लेने वाला कोई न बचे। अब यह जो प्रथम श्रेणी में लड़की की लड़की को हिस्सा देने की बात है तो वह तो इस तरह होगी कि मान लीजिये मेरी लड़की का विवाह कलकत्ते में हुआ और मेरी लड़की की जो लड़की है उसका विवाह आसाम में हुआ, मेरे मरने के बाद उन सब का तो मेरी सम्पत्ति पर अधिकार होगा लेकिन मेरी जायदाद पर मेरे माता-पिता को कोई अधिकार नहीं होगा, यह क्या बुद्धिमानी है? मुझे तो यह बात बहुत विचित्र लगी और मुझ को तो ऐसा लगता है कि हमारे पाटस्कर जी मानो इस विधेयक के बनाने वाले हैं ही नहीं, और यह किसी और की बनाई वस्तु उनके ऊपर ढकेल दी गई है और उस को उन्होंने हम लोगों के सामने रख दिया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह पाटस्कर जी की बुद्धि का परिणाम है। मैं चाहता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे इसको वापिस लें। मैं अपने साथियों से यह कहूंगा कि वे सिलैक्ट कमेटी का जो यह प्रस्ताव है, उसके विरुद्ध वोट करें। मैं इसको सिलैक्ट कमेटी में भेजना ही नहीं चाहता, यह तो एक बहुत ही रद्दी वस्तु है, सिलैक्ट कमेटी में तो एक ठीक विधेयक चाहिये जिस सिलैक्ट कमेटी इधर उधर बहुत कांट छांट कर के भेज दे, इस प्रकार से यह विधेयक वर्तमान रूप में प्रवर समिति के पास भेजे जाने के योग्य नहीं है। मैं और अधिक नहीं कहना चाहता। मुझे आशा है कि हमारे भाई स्वतंत्रता के साथ इस पर अपना मत व्यक्त करेंगे, इसके ऊपर सचेतक का कोई विहप नहीं है और यह ठीक भी है कि ऐसे विषयों पर सदस्यों को अपना स्वतंत्र मत प्रकट करने और मतदान देने की छूट होनी ही चाहिये। सदस्य जैसा उचित समझ करें। हम सब कहें कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को न भेजा जायें और यह मांग करे कि श्री पाटस्कर जी साहब इसको वापस ले जायें और फिर विचार कर के अधिक बुद्धिमानी की एक वस्तु हमारे सामने लावें।

श्री लोकनाथ मिश्र : मैं यह नहीं समझ पाया कि हिन्दू विवाह विधेयक के पारित होने के बाद इतने शीघ्र इस विधेयक को क्यों प्रस्तुत किया गया है जब कि माननीय विधि मंत्री ने

स्वयं उनके कथनानुसार ही इसके मूल आधारों के सम्बन्ध में पूर्णरूप से निश्चय नहीं किया है तथा उन्होंने यह भी कहा है कि प्रवर समिति जो परिवर्तन करना चाहे कर सकती है।

इससे पूर्व कि मैं विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहूं मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंने पुरुष तथा स्त्रियों की समानता दिये जाने आदि के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना है परन्तु मेरा मत यह है कि पुरुष तथा स्त्री दोनों ही मिल कर एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तथा दोनों के पूर्ण मिलन से ही पूर्णता प्राप्त होती है। वह एक दूसरे के अनपूरक होते हैं।

परन्तु सम्पत्ति को आधार मान कर पुरुष तथा स्त्री के सम्बन्ध में हमारी कल्पना क्या है। मेरा एक मिताक्षरा परिवार है। मेरा विचार भी यही है कि एक संयुक्त मिताक्षरा परिवार एक साम्यवादी समाज का आदर्श प्रतिरूप है। संयुक्त मिताक्षरा परिवार में सम्पूर्ण सम्पत्ति एक व्यक्ति की न हो कर परिवार के सभी सदस्यों की सम्पत्ति होती है तथा प्रत्येक सदस्य उसका कर्त्ता होता है और वह सम्पत्ति को समस्त परिवार के लाभ के लिये व्यवस्थित करने की चेष्टा करता है। यदि हम सम्पत्ति को परिवार के स्थान पर एक व्यक्ति में निहित कर दें तो हमारा समाज नष्ट भ्रष्ट हो जायेगा। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि पुराना सभी कुछ बुरा था तथा नया सभी कुछ अच्छा है। परन्तु मेरे विचार से यह भारत अपने सदियों पुराने अनुभवों के आधार पर ही सदैव अग्रणी रहा है।

हम कितने ही शीघ्र अपना विकास क्यों न करें फिर भी इतनी शीघ्रता से नहीं कर सकते जिससे कि हम रूस अथवा अमरीका के समक्ष हो जायें। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि हमें अपनी पुरानी बातों में सुधार करके उनको प्रयोग में लाना चाहिये क्योंकि भारत का भूतकाल अतिशय गौरवशाली रहा है।

हम समाज की समाजवादी व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं साम्यवाद को भली प्रकार समझ सकता हूं परन्तु इस व्यवस्था को नहीं जिसमें सम्पत्ति इत्यादि के सम्बन्ध में कोई निश्चित रूप रेखा नहीं बनाई गई है। मैं यह कहता हूं कि यदि श्री मुकर्जी द्वारा ताई गई निजी सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति तक ही साम्यवाद सीमित है तो मैं उसका समर्थन करता हूं तथा हमें एकदम यह निर्णय कर लेना चाहिये कि व्यक्ति के विकास के लिये, समाज के विकास के लिये तथा राष्ट्र के विकास के लिये सम्पत्ति का क्या मूल्य होना चाहिये और इस विधेयक का आधार भी यही होना चाहिये था। परन्तु इस विधेयक के द्वारा जब हम यह निर्णय करना चाहते हैं कि पुरुष का कितना भाग होगा, स्त्री का कितना भाग होगा तो यह आधार कहां रह जाता है।

इस विधेयक के द्वारा हम संसार को यही बता देना चाहते हैं कि हम स्त्रीयों पर लगे प्रतिबन्धों को तोड़कर उन को समानता के अधिकार देना चाहते हैं। मैं स्त्रियों का विरोधी नहीं हूं तथा उन्हें सम्पत्ति म भाग दिये जाने का भी विरोधी नहीं हूं परन्तु जिस सम्पत्ति का बंटवारा किया जायेगा वह भी तो किसी व्यक्ति की होगी ही। हमारे विचार से सम्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की न हो कर समस्त परिवार की होती है तथा यह समस्त परिवार की होती है तो हमें यह देखना है कि उस परिवार के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व किस पर है। मेरे विचार से पुरुष तथा स्त्री में चाहे कितनी भी समानता क्यों न हो फिर भी थोड़ा बहुत अन्तर अवश्य होता है।

स्त्री और पुरुष में अनेक समानतायें होते हुए भी ईश्वर ने स्त्री तथा पुरुष में मूलभूत अन्तर तथा विभिन्नता रखी है। हम नहीं चाहते कि अमरीकी विदेशी नीति की भांति वे भी

[श्री लोक नाथ मिश्र]

शक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये आन्दोलन करें। यह ढंग अच्छा नहीं है।

हमें सोचना चाहिये कि परिवार का प्रबन्ध पिता करता है या माता। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि प्रबन्ध कौन करता है। जो भी प्रबन्धकर्ता हो, उसे अधिकार दिये जायें। परिवार में लड़की की क्या स्थिति होती है? वह केवल विवाह से पूर्व वहां रहती है। इसके बाद वह दूसरे घर की हो जाती है उस का अधिकार उस घर की सम्पत्ति पर हो जाता है। अतः ऐसा करना उचित नहीं कि इस घर में भी उसे समान अधिकार दिया जाये और उस घर में भी उसे अधिकार प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में, जब तक कि उसका विवाह नहीं होता है उसका अधिकार पुत्र के बराबर होना चाहिये और पति के परिवार में जाने के बाद उसे वहां अपने पति के बराबर अधिकार मिलना चाहिये। जब वह दूसरे की पत्नी हो जाती है और बाद में मां बन जाती है तब उस का हित उसी परिवार में निहित रहता है।

प्रस्तुत हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में कहते समय में यह भी नहीं भूल सकता कि हिन्दुओं के धार्मिक सिद्धान्तों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

हिन्दुओं का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा जीवित रहती है। अतः उनके पुत्र-पौत्रों को उन्हें भुला नहीं देना चाहिये और अपने गोत्र तथा प्रवर की परम्परा को जारी रखना चाहिये। इसमें व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत स्थान नहीं रह जाता है वह तो श्रंखला की एक कड़ी मात्रा बनकर रह जाता है परिवार को परम्परा इसी प्रकार चलती रहती है। जब लड़की दूसरे घर चली जाती है तब उसे उस वंश की परम्परा को आगे बढ़ाना होता है इस वंश की नहीं। इधर लड़के अपने वंश का ध्यान रखते हैं। इसलिये दोनों के अधिकार भिन्न भिन्न होने चाहियें।

अब हम समाजवादी आधार पर समाज का निर्माण करने जा रहे हैं।

उस उद्देश्य की प्राप्ति में ऐसी विधि से हमें कोई लाभ नहीं होगा। विशेषतः गांवों में तो बहुत ही दुर्दशा होगी। ग्रामवासियों के पास छोटा सा एक मकान और थोड़ी सी जमीन होती है और सभी के पास इतना नहीं होता है। यदि यह विधि सभी हिन्दुओं पर लागू होगी और उसे नगण्य सम्पत्ति के भी हिस्से होने लगेंगे तो परिस्थिति और बिगड़ जायेगी। यदि हमें कृषकों की आर्थिक दशा को सुधारना है तो विकास योजनायें चाहे कुछ भी हों हम चकबन्दी की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये विभाजन की ओर नहीं——क्योंकि यह प्राथमिक आवश्यकता है। मैं माननीय विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह बतायें कि इस विधेयक का विघटन अथवा चकबन्दी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह एक प्रत्यक्ष प्रश्न है, जिसका उत्तर मिलना चाहिये। इन परिस्थितियों में मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक पर पुनः विचार किया जाये और यह सोचा जाये कि इस से कोई वास्तविक लाभ होगा या नहीं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

माननीय मंत्री कहते हैं कि संयुक्त समिति इस में सुधार कर सकती है। जब वह स्वयं यह समझते हैं कि इस में त्रुटियां हैं तो फिर ऐसे विधेयक को प्रस्तुत ही क्यों किया गया है? हम जानना चाहते हैं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। मेरे विचार से यह समाज और देश के लिये लाभदायक नहीं है। अतः मैं एक बार फिर यही निवेदन करता हूं कि अवकाश के समय वह इस पर भली भांति विचार करें और अपने परामर्शदाताओं से परामर्श लें जिस से कि यह विधेयक स्वीकार करने योग्य बन सके।

श्री पो० सुब्बा राव (नौरंगपुर) : कुछ वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति क्रूगर

एक क्लब में गये जहां इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि चांद में सोना है या नहीं। उन्होंने कहा कि वहां सोना नहीं है। यदि सोना होता तो अंग्रेजों ने उस पर बहुत पहले ही अधिकार कर लिया होता। जिस प्रकार अंग्रेज को स्वर्ण प्रिय था उसी प्रकार हमारे देश के साम्यवादी विध्वंश प्रिय हैं। वह इन समस्त विधेयकों का चुपचाप समर्थन करते चले आ रहे हैं इसी से यह स्पष्ट है कि ये विधेयक समाज के लिये बहुत घातक तथा अनर्थकारी हैं।

जो विधेयक वास्तव में हितकारी हैं उन्हें तो अभी प्रस्तुत भी नहीं किया गया है जैसे दहेज निषेध विधेयक है। सरकार ने ऐसा एक विधेयक प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था परन्तु हुवा हवाया कुछ नहीं। उसके प्रस्तुत किये जाने की कोई आशा नहीं है। परन्तु सरकार समाज का विकट न करने वाले विधेयकों को बहुत तत्परता से प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक के विषय में श्री एन० सी० चटर्जी ने जो कुछ कहा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

मैं प्रस्तुत विधेयक के पक्ष में नहीं हूं किन्तु मैं जानता हूं कि सरकारी विधेयक होने के कारण यह पारित हो ही जायेगा। चाहे कांग्रेस अपने सदस्यों को स्वतंत्र रूप से मत-दान की अनुमति दे भी दे फिर भी संयुक्त समिति जो भी उपबन्ध करेगी वही नियम बन जायेंगे।

इस विधेयक के अनुसार लड़कियों को भी सम्पत्ति पर अधिकार होगा। इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। जहां तक मकान का सम्बन्ध है, विभाजन अधिनियम में इसके लिये उपबन्ध किया गया है। यदि मकान विभाजन योग्य नहीं हुआ तो उपबन्ध के अनुसार नकद प्रतिकर दे कर किसी सदस्य के अधि-कार को वुल किया जा सकेगा। जहां तक भूमि का प्रश्न है, उसका भी विभाजन किया जायेगा। लड़की दूसरे घर जाने के कारण अपने भाग को संभाल नहीं सकेगी। अतः उस भूमि के बजाये धन दिया जायेगा। धनाभाव के कारण किसानों को भूमि, बन्धक रूप में रखनी पड़ेगी और उसे छुड़ाना उनके लिये कठिन हो जायेगा।

दक्षिण भारत में पूर्वक्रय अधिकार भी नहीं है यद्यपि उत्तर में परिवार के पुरुष सदस्यों को पूर्वक्रय का अधिकार प्राप्त होता है। वह सम्पत्ति को क्रय के परिवार में ही रख सकता है। मेरा निवेदन है कि यह पूर्व कुल का अधिकार अन्य सदस्यों को भी दिया जाना चाहिये किन्तु, ऐसा करने पर भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है परन्तु तो भी इससे कुछ कठिनाइयां तो हल हो ही जायेंगी।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। कल हमने हिन्दू विवाह विधेयक पारित किया था और यह विधेयक भी हिन्दुओं से ही सम्बन्धित है। इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य समस्त हिन्दुओं में इच्छा पत्रहीन उत्तराधिकार सम्बन्धी विधियों को संहिता बद्ध करना हिन्दू उत्तराधिकार में एक रूपता लाना स्त्रियों को भी सम्पत्ति का अधिकार देना, और पुत्री को बराबर का अधिकार देना है।

वर्तमान हिन्दू विधि हिन्दुओं के पुरातन रीति रिवाजों तथा विभिन्न न्यायालयों के अनेक न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। उत्तराधिकार के सम्बन्ध में दो प्रचलित प्रणालियां हैं। एक तो दायभाग है और दूसरी मिताक्षरा। दायभाग बंगाल में प्रचलित है और मिताक्षरा शेष भारत में, किन्तु मिता-क्षरा विधि में भी पृथक् पृथक् प्रदेशों में थोड़ा बहुत अन्तर है। कई उत्तराधिकार विधियां प्रचलित हैं। अतः ऐसी दशा में

[श्री लक्ष्मय्या]

इस विधि में एक रूपता लाये जाने की आवयकता है ।

सनातनी तो कहते हैं कि उत्तराधिकार विधि बिल्कुल स्पष्ट तथा निश्चित है तथा ऐसे वनियमन की कोई आवश्यकता नहीं है की प्रगतिवादी यह समझते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में उन्नति की जाये । और समस्त देश में सभी हिन्दुओं के लिये कोई एक रूप विधि हो देश के राजनैतिक विकास के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास भी किया जाना चाहिये । इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

माननीय मंत्री स्त्रियों को भी समान अधिकार देना चाहते हैं । न्यायाधीशों के मतानुसार स्त्री की सम्पत्ति कम होने के कारण तथा संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण अधिकतर मुकदमेबाजी होती है । संयुक्त परिवार का प्रबन्धकर्ता उसका प्रायः दुरुपयोग करता है, ऐसा मेरा निजी अनुभव है । अतः जितनी जल्दी इसे समाप्त किया जाये उतना ही देश के लिये अच्छा है ।

मेरी यही धारणा है कि यदि संयुक्त परिवार प्रणाली समाप्त हो जाये तो हिन्दू समाज को बहुत लाभ होगा । इस विधेयक के उपबन्ध सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर चाहे वे दायभाग के अन्तर्गत आती हों या मिताक्षरा के अन्तर्गत आती हों लागू होने चाहियें और इसलिये खण्ड (५१) निकाल दिया जाना चाहिये ।

खण्ड ८ के अन्तर्गत माता पिता को अधिमान्यता प्राप्त उत्तराधिकारियों की सूची में द्वितीय श्रेणी में रखा गया है । यह अनुचित है । उनका स्थान दसवां या ग्यारहवां रखा गया है जब कि उन्हें प्रथम सूची में पुत्र और पुत्री के बाद रखा जाना चाहिये । खण्ड ८ और १० के लिये मुझे इतना ही कहना है ।

खण्ड ७ में संयुक्त समिति को समुचित सुधार करना चाहिये । उसमें विवाहित और अविवाहित पुत्री में कोई अन्तर नहीं रखा गया है । कन्या के विवाह के लिये पिता को कितना ही खर्च करना पड़ता है । सुनते हैं कि दहेज प्रथा बन्द की जायेगी । उससे अवश्य लड़की को उस की शिक्षा और विवाह के लिये अधिक सम्पत्ति दिये जाने की जरूरत है चाहे मकान मे दोनों का समान अधिकार हो । आशा है, कि संयुक्त समिति इसका ध्यान रखेगी ।

संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के वितरण के समय विभाजित और अविभाजित पुत्र में भी अन्तर किया जाना चाहिये क्योंकि अविभाजित पुत्र को अपने माता पिता को सभालना पड़ता है । इसी प्रकार जब स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना है तो उनके उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कोई अन्य विधि नहीं होनी चाहिये ।

स्थावर सम्पत्ति में यदि लड़की और उसकी लड़की को भी हिस्से दिये जाते हैं तो उससे परिवार की व्यवस्था बिगड़ जायगी और कई प्रकार के झगड़े पैदा हो जायेंगे । अतः खण्ड २५ में पर्याप्त सुधार करके पूर्वक्रय का अधिकार दिया जाना चाहिये जिससे कि सम्पत्ति की तिक्का बोटी न हो सके ।

ये सब सुझाव जब इस विधेयक में सम्मिलित किये जायेंगे तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक को निस्संदेह स्वीकार कर लिया जायेगा ।

श्री बोगावत : इस विधेयक से सम्पत्ति वितरण की सारी परिभाषा बदल दी गई है । मुझे विश्वास है कि इससे परिवार में सुख और शान्ति फलेगी बल्कि मुकदमेबाजी बहुत बढ़ जायेगी । यह विधेयक पारिवारिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी तथा संकट पैदा कर देगा ।

हम देखते हैं कि मुसलमानों में लड़कियों और बहिनों को सम्पत्ति में अधिकार देने से कितने झगड़े होते हैं और उच्च न्यायालय तक मामले पहुंचते हैं और वकीलों की चांदी होती है।

सभापति महोदय : मुसलमान तो परिवार में ही विवाह कर लेते हैं और हिन्दू परिवार से बाहर विवाह करते हैं, इसलिये मुकदमेबाजी क्यों होगी ?

श्री बोगावत : वह इसलिये होगी क्योंकि लड़कियों को सम्पत्ति दी जायेगी। न उन में शिक्षा है और न उन्हें मुकदमेबाजी का अनुभव है। जब इतने दावेदार होंगे तो उनमें झगड़ा भी अवश्य होगा। हजारों रुपये खर्च हो जायेंगे और अदालतों से तरह तरह की आज्ञप्तियाँ जारी कराई जायेंगी।

इन सब कार्यवाहियों में बहुत समय नष्ट हो जाता है और एक दूसरे के प्रति सारा प्रेम नष्ट हो जाता है। भाई-भाई में सम्पत्ति सम्बन्धी मामलों में झगड़ा होने पर एक भाई दूसरे भाई को मार तक डालता है। यदि ऐसा एक ही परिवार में होता ह तो उनके बारे में क्या होगा जो विवाह के बाद दूसरे परिवार में चले आते हैं ? यह स्वाभाविक है कि ऐसी स्त्रियों के पति उस परिवार की सम्पत्ति का, जिस परिवार से वह आई है एक बड़ा भाग लेना चाहेंगे। इससे समाज को एक बड़ी हानि और बड़ा कष्ट होगा।

वर्ग १ में जिन उत्तराधिकारियों का उल्लेख किया गया है उन में विधवाओं का भी स्थान है। यह स्पष्ट है कि ये विधवायें बहुत छोटी उम्र की होती हैं और जब कोई सम्पत्तिधारी मरता है तो सभी उत्तराधिकारी खड़े हो जाते हैं। वे सम्पत्ति के पीछे पड़ जाते हैं और कई व्यक्ति इन अनुभवहीन युवा विधवाओं अथवा लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। इससे बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। इन परिस्थितियों में, विवाह के कारण दूसरे परिवार में जाने वाली स्त्रियों को अधिकार देने से कोई लाभ न होगा और इससे समाज में केवल एक अव्यवस्था होगी।

अभी अभी श्री टंडन जी ने कहा कि सम्पत्ति माता को दी जाये। माता और पिता वर्ग २ में हैं। यह भी ठीक और उचित नहीं है। मैं तो अपने परिवार में स्त्रियों को सम्पत्ति अधिकार देना चाहता हूं चाहे वे मातायें हों अथवा विधवायें हों, क्योंकि उनके अधिकारों की अवश्य रक्षा की जानी चाहिये किन्तु उन स्त्रियों को जो दूसरे परिवारों में जाती हैं और जिनका संरक्षण दूसरे परिवारों द्वारा किया जायेगा, अधिकार देना अमानुषिक है।

किसी ने यह कहा है कि लड़की को सम्पत्ति में अधिकार देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी इससे सहमत हूं यदि वह विवाह न करे तो। अनेक स्त्रियां विवाह नहीं करना चाहती हैं और ऐसे अपवाद के मामलों में लड़की को सम्पत्ति में कुछ भाग दिया जाना चाहिये, किन्तु जिस लड़की का विवाह कर दिया गया है, उसे कोई भाग नहीं दिया जाना चाहिये अन्यथा इस विधि से गड़बड़ी ही पैदा होगी।

वर्ग २ में भाई को पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र के पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री की पुत्री और बहन के साथ स्थान दिया गया है। अतः भाई की मृत्यु के पश्चात्, भाई को सम्पत्ति नहीं मिलेगी। बल्कि इन नतनियों को सम्पत्ति मिलेगी। यह भी उपयुक्त और न्यायोचित नहीं है।

इसी प्रकार अन्य सम्बन्धियों को जैसे पिता के भाई को वर्ग २ में छटा स्थान दिया गया है। वह भी उचित नहीं है।

अतः दायभाग की सम्पूर्ण रेखा इस प्रकार रखी गई है कि समाज में बड़ी गड़बड़ी

[श्री बोगावत]

पैदा होगी और जिससे अशान्ति, कष्ट और परस्पर द्वेष भाव उत्पन्न होगा। अतः ऐसा विधेयक पारित करने के पूर्व हमें हजार बार सोचना चाहिये। मैं तो कहूंगा कि यह विधेयक प्रत्येक गाव में उस क्षेत्र की भाषा में भेजा जाये और उस पर जनमत लिया जाये। इसमें स्त्रियों की राय भी ली जाये। मुझे विश्वास है कि करोड़ों लोग इस विधेयक के विरुद्ध होंगे। इसकी बड़ी गम्भीर प्रतिक्रिया होगी। देहाती क्षेत्रों में जाने से यह मालूम होगा कि इस विधेयक के विरुद्ध बहुत गहरा असंतोष है। अतः इस प्रकार के विधान से कोई लाभ नहीं है। मेरा पुनः नम्र निवेदन है कि प्रवर समिति को सौंपने से पूर्व यह विधेयक सारे देश में परिचालित किया जाये और उस पर जनमत एकत्र किया जाये।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा-मध्य) : जिस विधेयक पर आज इस समय वाद-विवाद हो रहा है, उस का विषय अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। जहां तक मेरा ख्याल है, हमारे देश में सम्पत्ति का उत्तराधिकार का प्रश्न जितना व्यापक है, उतना व्यापक कोई दूसरा प्रश्न नहीं है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ लोगों की धारणा ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति-विशेष की कुछ भी धारणा हो सकती है कि सम्पत्ति रहे या न रहे, लेकिन समाज में अभी भी इस का बहुत ज्यादा महत्व है। जो हमारी सरकार है, या हम लोग जो यहां पर बैठे हुये हैं, भले ही ऊपर से कुछ कह दें, लेकिन हमारे जीवन में सम्पत्ति का इतना गहरा प्रभाव है कि वह उससे अलग नहीं हो सकता है। जब भी कोई ऐसा विधेयक इस सभा में या दूसरी सभा में उपस्थित होता है, जिसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, तो अपने सिद्धान्त के विपरीत, अपने सिद्धान्त को एक ओर रख कर हम उस पर विचार करते हैं।

एक माननीय सदस्य : जैसे सैलेरीज बिल।

श्री एस० एन० दास : मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है—और सदस्यों से अपील की है—कि हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में अपना यह आदर्श माना है कि हम अपने देश में एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सब लोगों को उपलब्ध हो और इसी आधार पर उन्होंने इस सामाजिक कानून को स्वीकार करने पर ज़ोर दिया है। मैं विधि मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस बारे में विचार नहीं किया कि वह किस काम को पहले करना चाहते हैं और किसको पीछे। यह जो विधेयक हमारे सामने है, वह मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से ज्यादातर सम्बन्ध रखता है। समाज से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से ऐसे विषय हैं, जिन पर हम न्याय की दृष्टि से अभी तक विचार नहीं कर सके हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना के विषय में हमको जिस गहराई से विचार करना चाहिये, वह हमने अभी तक नहीं किया है। आर्थिक न्याय के सम्बन्ध में तो हम ने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया है। इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट करने से पहले मैं विधि मंत्री से कहना चाहूंगा कि अगर हम पहले आर्थिक न्याय की स्थापना पर अधिक ज़ोर देते और लाखों करोड़ों लोगों के लिये उनके व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध रखने वाले विषय पर जो कानून हम बनाने जा रहे हैं अगर उसको कुछ दिन के लिये स्थगित कर दिया होता, तो कुछ नुकसान न होता। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बिल की बहुत सी सिद्धान्तों की बातों पर सहमत हूं, लेकिन फिर भी मैं जनता का प्रतिनिधि होने के कर्तव्य को छोड़ नहीं सकता हूं। हमारे देश में और

विशेषकर जिस क्षेत्र से हम निर्वाचित हो कर आये हैं, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद में लोग चाहते हैं कि इस तरह के विषय में अभी दस्त-अंदाज़ी न की जाये और पहले उनकी गरीबी और शिक्षा के सवाल और दूसरे आवश्यक सवालों को लिया जाये ।

इस संसद् को इस बात का पूरा अधिकार है वह मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कानून बनाये । मैं उसके कानूनी अधिकार को अस्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के कानून के बारे में अभी बहुत मत-भेद है, उसके औचित्य और अनौचित्य के विषय में भी मतान्तर है । इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं, जिन के पक्ष में लोग हैं और बहुत सी ऐसी हैं जिन के पक्ष में नहीं हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि जब शिक्षा का प्रश्न यहां उपस्थित होता है और लोग मांग करते हैं कि दस बरस में इस देश के सभी स्त्री पुरुषों को शिक्षित करना चाहिये, तो हमारी सरकार कहती है कि यह संभव नहीं है । जब आर्थिक सवाल आता है तो हमारी सरकार कहती है कि यह कार्य हम धीरे धीरे करेंगे और हमको प्रजातंत्रिक (डेमोक्रेटिक) तरीके से आगे बढ़ना चाहिये । तो फिर यह उचित है कि इस मामले में भी, हम प्रजातंत्रिक (डेमोक्रेटिक) तरीके से ही आगे बढ़ें और इसको सिलेक्ट कमेटी में न भेजें । हम जो भी कानून बनाते हैं, सौ में से नव्वे आदमी उसको समझते नहीं हैं । राजा के राज में संभव हो सकता था कि सैकड़े में नव्वे आदमी कानून को न जानें, लेकिन एक प्रजातंत्रिक देश में, जिसमें हमने प्रतिज्ञा की है कि हम हिन्दुस्तान के सभी नागरिकों को शिक्षित बना देंगे, ऐसा होना लज्जा का विषय है । आज अधिकांश लोग ऐसे कानूनों के विरुद्ध हैं । गांवों में जब हम जायें, तो लोग कहते हैं कि अगर विवाह सम्बन्धी कानून को कुछ दिन के लिये स्थगित कर दिया जाये, तो क्या नुक्सान है, अगर उत्तराधिकार कानून को अभी न बदला जाये तो क्या हानि है ? इसी तरह व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित विषयों के बारे में हमारे यहां जो रीति रिवाज़ हैं, जो नियम इस समय हैं, अगर वे रहें, तो उससे आकाश नहीं गिर सकता है । इसलिये जैसा कि टंडन जी ने कहा है, इस बिल को हटा दिया जाये और इस बारे में पुनः विचार किया जाये और फिर संसद् के सामने लाया जाये । इसी पृष्ठभूमि में मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, इस बात की खुशी भी है और दुःख भी है कि मिताक्षरा की जो संयुक्त परिवार की जायदाद है, उसको इस कानून के दायरे से अलग रखा गया है । खुशी इसलिये है कि जिस भाग से मैं आया हूं उसमें अधिकांश लोग मिताक्षरा को मानने वाले हैं । वे कहेंगे कि कुछ हद तक हम इससे बचे रहेंगे । दुःख की बात यह है कि हमारी सरकार ने अपने सामने यह आदर्श रखा है कि हम सारी जनता के लिये एक सिविल कोड बनायेंगे, लेकिन, जैसा कि पूज्य टंडन जी ने कहा है, यह बात नहीं है—यह तो दायभाग वालों के लिये है, और या मिताक्षरा के उन लोगों के लिये है, जिनकी परिवार से अलग कुछ व्यक्तिगत सम्पति है, इसलिये उसका नाम धोखा देने वाला है । इसका नाम स्पष्ट होना चाहिये जिस हद तक इस कानून को जाना है उसी प्रकार इसका नाम स्पष्ट होना चाहिये । साथ ही साथ उद्देश्य की जो धारा यहां पर है वह कहता है :

"हिन्दुओं में गैर वसीयती उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिये ।"

मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है । यह न तो हिन्दू कानून को सहिताबद्ध करन

[श्री एस० एन० दास]

के उद्देश्य से लाया गया है और न ही इसमें संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह तो केवल हिन्दुओं में कुछ लोगों के जीवन पर असर डालने जा रहा है। इसलिये यह जो हैडिंग है यह भी गलत है।

अब मैं जो क्लाज़ २ है उस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस के मुताबिक आप इस बिल को हिन्दुओं, जैनियों, सिक्खों इत्यादि पर लागू करने का विचार रखते हैं। मैं तो चाहता हूं कि इस बिल को लाने से पहले आप जनता को अपने पक्ष में करते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस के साथ ही साथ हिन्दुस्तान के दूसरे धर्म के मानने वालों को जैसे मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, पार्सी हैं उनको इस बिल के अन्तर्गत नहीं लाया गया है। जैसा कि आप कहते हैं कि इसका ध्येय हिन्दुस्तान में एकता कायम करना है लेकिन मैं पूछता हूं कि इससे एकता कैसे कायम होती है। यदि आप सब जातियों के लिये एक ही बिल लाये होते तो यह आदर्श की बात होती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।

अब मैं क्लाज़ ५ की तरफ आता हूं। इस क्लाज़ को देख कर मुझे दुःख भी होता है और कुछ खुशी भी होती है। इसे पढ़ने के बाद खुशी क्यों होती है इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं। दुःख इसलिये होता है कि नाम तो आपने इसे हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक दे दिया लेकिन जब हम धारा ५ को देखते हैं तो मालूम होता है कि इससे सारे का सारा बिल खोखला हो गया है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता ने कहा कि यह उचित होता अगर इसे हटा दिया गया होता। मैं तो कहता हूं कि इस बिल की पांचवीं धारा सारी की सारी व्यर्थ है। सब के लिये एक सिविल कोड यदि लाया जाता तो भी कुछ खुशी की बात हो सकती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया।

अब मैं उत्तराधिकार का जो हक दिया गया है उसके बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे टंडन जी ने कहा कि यहां स्पष्ट मालम नहीं होता कि किस खयाल से, किस बात को सामने रखकर, किस सिद्धान्त को सामने रख कर माता पिता को उत्तराधिकारियों की पहली श्रेणी से हटा दिया गया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यदि देखा जाये तो स्नेह से, प्रेम से और सानिध्य से उत्तराधिकार की बात चलती है। सानिध्य का ख्याल किया जाये तो माता पिता पुत्र के नजदीक हैं, प्रेम का खयाल किया जाये तो भी माता-पिता बेटे के नज़दीक हैं और यदि प्रेम का खयाल किया जाये तो पिता बेटे के निकट और बेटा पिता के निकट आ जाते हैं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। उनमें सानिध्य भी है, प्रेम भी है और स्नेह भी है। इतना ही नहीं पुत्र का यह धर्म है कि पिता की वृद्ध अवस्था में उसकी सेवा करे। इसलिये जब हम उत्तराधिकार की बात करते हैं तो उसमें उत्तरदायित्व का भी खयाल रखना होगा। इस वास्ते पुत्र की सम्पत्ति माता और पिता का स्थान विधवा, या बेटे या लड़की से कम नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल अनुचित है और इस पर ज़रूर गौर होना चाहिये।

अब जब यह कानून हमारे सामने आया है और जब अब इसे प्रवर समिति के पास जाना है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले उनको इस बात पर विचार करना चाहिये कि हमारे समाज का ढांचा वे कायम करेंगे इस बात का कुछ आभास तो जो हमने विधान बनाया है उससे मिलता है। लेकिन जितने भी विधायक यहां बैठे हुये

हैं यदि उन से पूछा जाय तो वे अलग अलग राय देंगे । यह भी कहा गया है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करना चाहते हैं । सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न अर्थ होता है । इसलिये जब तक हम स्पष्ट रूप से यह तै न कर लें कि हमारे समाज का भावी ढांचा क्या होगा तब तक मैं समझता हूं दूसरा घर बनाने की पूरी तैयारी किये बिना, सारा सामान इत्यादि तैयार किये बिना पहले घर को तोड़ना उचित नहीं है । इस तरह का कानून लाने से पहले जिस तरह का समाज हम कायम करना चाहते हैं उसका ढांचा हमारे दिमाग में होना चाहिये और फिर उस किस्म की समाज कायम करने की तरफ हमें कदम उठाने चाहियें । मैं कहता हूं कि स्त्रियों के प्रति हमारे दिलों में बड़ा सम्मान है । यह भी हम जानते हैं कि हमारी माताओं और बहनों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है और विधायक की हैसियत से इन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है । इसलिये जहां हमारा यह कर्तव्य है कि स्त्री, बेटी और पुत्र सब के सब हिन्दुस्तान के नागरिक होने की हैसियत से उनके बराबर के अधिकार भी हैं, तो हमें इसके साथ ही साथ यह भी देखना है और विचार करना है कि क्या उनके उत्तर-दायित्व भी बराबर बराबर हैं । यदि ऐसा नहीं है तो उनके अधिकार भी बराबर नहीं हो सकते । इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिये । जैसी हमारे समाज की रचना है उसके मुताबिक बेटी का उत्तरदायित्व कम होता है । जब उसका विवाह होता है और वह दूसरे परिवार में चली जाती है उसके बाद उसका उत्तरदायित्व उस परिवार के साथ हो जाता है । यदि पैतृक सम्पत्ति में उसको बराबर के अधिकार देने हैं तो वहां उसका उत्तरदायित्व भी बराबर बराबर होना चाहिये । विवाह के बाद बेटी का उत्तर-दायित्व बाप के यहां न के बराबर रहता है । इसलिये मैं कहता हूं कि जब तक बेटी पिता के परिवार में रहे, उसका विवाह न हो जाये तब तक उसका बराबर का अधिकार रहना चाहिये, आधा नहीं । जिस परिवार में अविवाहित बेटी है उसका अधिकार बराबर पुत्र के समान होना चाहिये । जिस दिन उसका विवाह हो जाये और वह परिवार से चली जाये, पिता की सम्पत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं रहना चाहिये । अपने पति के रहते सम्पत्ति में स्त्री का पूरा अधिकार होना चाहिये । यही उचित बात है ।

अब मैं क्लाज़ ७ के बारे मे कहता हूं । जो पुत्र पिता से अलग हो जाये उसको भी उस पुत्र के, जो अलग नहीं हुआ, बराबर के अधिकार, पिता के मरने के बाद, प्राप्त होंगे । मैं समझता हूं यह अनुचित है । जो पुत्र अपने पिता के साथ रहता है, उसके सुख दुख में शामिल होता है, उसको पिता के मरने के बाद उस पुत्र के साथ जिसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया बराबर के अधिकार देना उचित नहीं है । विभक्त (डिवाइडिड) और अविभक्त (अनडिवाइडिड) में ज़रूर भेद होना चाहिये । इसी तरह से सातवीं धारा की दूसरी उपधारा में कहा गया है कि पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकार म विवाहित और अविवाहित लड़कियों में कोई भेद नहीं किया गया है । यह भी बहुत अनुचित है । एक परिवार में पिता की दो लड़कियां हैं । एक का विवाह हो चुका है, उसको पढ़ा लिखा दिया गया है और दूसरी का अभी विवाह होने को है और उसे अभी पढ़ाना लिखाना बाकी है । उसका विवाह का खर्च, जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाता, होता है । अब इन दोनों लड़कियों को एक से जायदाद में अधिकार देना सर्वथा अनुचित है । हां यह तो हो सकता है कि उसके खाने का खर्च पढ़ाई का खर्च और विवाह इत्यादि का खर्च,

[श्री एस० एन० दास]

निकाल कर बाकी की जायदाद उन में बांट दी जाये तो कोई हर्ज़ नहीं है ।

एक और बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा । यहां पर कहा जाता है कि साहब हम न्याय स्थापित करने जा रहे हैं । मैं पांचवीं धारा की चौथी उपधारा को लेता हूं । इस में कहा गया है कि "वह सम्पदा उत्तराधिकार के प्रथानुगत नियम या किसी अनुदान या अधिनियमन के निबन्धन के अनुसार किसी एक उत्तराधिकारी को मिलती है ।

यह जो मिताक्षरा की तरह अलग रहेंगे, मैं विधि मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह किस बात को ध्यान में रख कर किया जा रहा है । अगर कोई राजा मर जाता था तो उसका बड़ा लड़का उत्तराधिकारी होता है । पहले जब राजे महाराजे थे उस वक्त तो ऐसा होता था लेकिन अब जब वे नहीं रहे तो यह कहां का न्याय है कि बड़े लड़के को ही अधिकार दिये जायें और छोटे लड़कों को उन से वंचित रखा जाये । जिस बाप के चार बेटे हों तो उन में से जो बड़ा होगा और बाकी ३ छोटे होंगे । अब वह बड़ा लड़का ही उत्तराधिकारी हो और छोटे लड़कों को कुछ न दिया जाये, मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस सिद्धान्त को सामने रख कर किया जा रहा है । यह भी सर्वथा अनुचित है ।

अन्त में मैं विधि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को लाने का यह उचित समय नहीं है । आप लोगों को पढ़ाने लिखाने की बात छोड़ दीजिये । आपको चाहिये कि जब तक आप जनता को यह न समझा दें कि यह बिल उनकी भलाई के लिये है और जब तक उनको विश्वास न हो जाये कि यह उनकी भलाई के लिये है तब तक आपको इस बिल को पास कराना उचित नहीं है । इसलिये मैं अपनी व्यक्तिगत राय सदन के सामने रखने के साथ ही साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र को जनता की राय भी मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं । जनता अभी तक इसके लिये तैयार नहीं है और वह नहीं चाहती कि ऐसा कोई बिल इस समय इस सदन के सम्मुख लाया जाये । इसलिये मैं विधि मंत्री जी से, जैसा कि टंडन जी ने और दूसरे सदस्यों ने कहा, प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर पुनः विचार करें इसमें जल्दी न करें और यदि उन्होंने फिर भी फैसला किया कि इसको पास करवाया जाये तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिये, समाज के लिये और औरतों के भी हित में नहीं होगा ।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरि–दक्षिण) : प्राचीन समय से हिन्दू समाज का यह उच्चतम आदर्श रहा है कि सम्पत्ति ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी लालसा की जाये वरन् वह एक ऐसी वस्तु है जिसका त्याग किया जाना चाहिये । फिर भी हम जानते हैं कि हमें अपने दैनिक जीवन में सम्पत्ति अर्जन करनी पड़ती है और हमारे सारे व्यवहार सम्पत्ति सम्बन्धी ही होते हैं और इस प्रकार सम्पत्ति बाद को धर्म कार्य के लिये एक पवित्र वस्तु मानी जाने लगी । पहले कभी दार्शनिकों और ऋषियों ने जो भी कुछ कहा हो हमें यह ध्यान में रखना है कि सम्पत्ति से ही व्यक्ति को सम्मान और स्थान प्राप्त होता है और सम्पत्ति के अभाव से ही यह सम्मान और स्थान छिन जाता है ।

अतः केन्द्रीय विधान मण्डल ने बहुत पहले ही प्रायः १९३७ में ही विधवा को पुत्र के बराबर का भाग दिया और वह उचित भी था । मैं मानता हूं कि विधवा को न केवल सीमित सम्पदा किन्तु पूर्ण सम्पदा में पूरा अधिकार दिया जाना चाहिये । इस विषय में हम इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हैं किन्तु जब हम इस विधेयक की अन्य कल्पनाओं और उपबन्धों की ओर देखते हैं तो हमें

बड़ी चिन्ता होती है। हमें केवल मुट्ठी भर शिक्षित लोगों की ओर ही नहीं देखना है। हमें यह मालूम होता है कि हिन्दू समाज का मूल आधार पर ही कुठाराघात किया जा रहा है। माननीय मंत्री ने कहा है कि वह आवश्यक परिवर्तनों का परीक्षण करने के लिये तैयार हैं। किन्तु मेरा कथन है कि प्राय: सभी उपबन्ध आपत्तिजनक हैं और बिना पूर्ण परीक्षण के ऐसे विधान को पारित करने में शीघ्रता करना ठीक नहीं है। इस विधान को शीघ्र पारित करने के लिये हमारी बहनों की आतुरता कुछ समझ में आती है।

बहुत पहले हिन्दू विधि एक उदार प्रगतिशील विधि थी किन्तु बाद को यह स्थिर हो गई। हमें उसको बदलना है। विधि न्यायालयों ने उस को बहुत कुछ बदला है और हमें और उसे और भी बदलना है किन्तु हम इस प्रकार के परिवर्तन करें कि पुरानी बुनियाद पर एक ठोस और अच्छी इमारत बनाई जा सके। मेरे पूर्व अनेक वक्ताओं ने यह स्पष्ट संकेत किया है कि लड़की को दायभाग देने के प्रयत्न में हम उपबन्ध से होने वाली हानि की ओर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्राय: सभी विधि विशेषज्ञों ने इस प्रकार के परिवर्तन का घोर विरोध किया है। श्री टंडन जी और अन्य वक्ताओं ने उसका कारण भी स्पष्ट कर दिया है। मैं ने भी बताया था कि विधवा को अधिकार देना ठीक है किन्तु लड़की की बात बिल्कुल अलग है। पहले पुत्र के सम्बन्ध में ऐसा समझा जाता था कि यही एक मात्र व्यक्ति है जो अपने पुरुखों को नरक से बचा सकता है। लड़की को वह अधिकार और शक्ति नहीं थी। किन्तु अब हमारी कल्पनायें बदल गई हैं और हम लड़की को लड़के के बराबर समझने लगे हैं।

अविवाहिता लड़की को भाग देने के लिये कम से कम कुछ आधार भी है, किन्तु विवाहिता लड़की को दायभाग देने से भाई बहन के प्रेम में बहुत अन्तर पड़ जायेगा। मैं यह नहीं कहता कि भाई द्वेषी हो जायेंगे या पारिवारिक प्रेम समाप्त हो जायेगा किन्तु यह आवश्यक है कि सम्पत्ति सम्बन्धी झगड़ों से बहुत बुराई फैलेगी जो आज अस्तित्व में नहीं है। श्रीमती उमा नेहरू के दहेज निषेध विधेयक पर चर्चा के समय प्रत्येक बहन ने लड़की के पिता की दयनीय दशा का वर्णन किया था। फिर पिता का अपनी लड़की के प्रति प्रेम भी होता है। किन्तु उत्तराधिकार के समय वे पुरुषों पर लांछन लगाते हैं। मैं इस प्रकार की विचार धारा को समझ नहीं पाता हूं। इस विधेयक में हम स्त्रियों को दुगुना या तिगुना भाग देकर पहले लड़की को, बाद में विधवा को और बाद में माता को—एक काल्पनिक न्याय कर रहे हैं किन्तु इस प्रकार हम पुत्र को उसके भाग से वंचित करके, जो परिवार के प्रमुख के नाते सारा दायित्व पूरा करने के लिये आवश्यक है, अन्याय कर रहे हैं।

मेरे पास समय बहुत कम है और मैं यही कहूंगा कि एक ही दिन में इस प्रकार का विधेयक नहीं निबटा दिया जाना चाहिये और चर्चा के लिये पूरा पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। प्रवर समिति की रचना के बारे में मुझे यह कहना है कि इस विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में विधि विशेषज्ञों की उपस्थिति नितान्त आवश्यक है। यह खेद का विषय है कि ऐसा नहीं किया गया है और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह यथासंभव सुधार करने का प्रयत्न करें। उन से मेरी यह प्रार्थना भी है कि इस विधेयक पर मत विभाजन के लिये आग्रह न किया जाये। श्री टंडन जी के सुझाव के अनुसार यह विधेयक वापस ले लिया जाये अथवा विशेषज्ञों की प्रवर समिति उसका परीक्षण करे। मैं इस विधेयक के उपबन्धों से बिल्कुल संतुष्ट

[श्री एम० डी० जोशी]

नहीं हूं और चाहता हूं कि यह विधेयक वापस ले लिया जाये ।

श्रीमती गंगा देवी (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां): आज मैं अपने मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने ऐसा विधेयक यहां उपस्थित किया जिसके कारण मुझे एक बड़ गूढ़ और सामाजिक प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला ।

इस बिल के सम्बन्ध में हमारे कई भाइयों ने अपने विचार प्रकट किये और विशेषकर इस सम्बन्ध में कि लड़कियों को अपने पिता को सम्पत्ति में हिस्सा मिलना चाहिये या नहीं। इस बारे में मैं अपने थोड़े से विचार प्रकट करना चाहती हूं। मेरा कहना यह है कि जहां एक पिता के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, तो क्या वजह है कि लड़की का कोई ख्याल न किया जाये, लड़की को पिता की सम्पत्ति का कोई हिस्सा न दिया जाये ? इस तरह का एक पक्षीय विचार छोड़ कर दोनों को एक समान अधिकार होना चाहिये। स्त्री समाज के ऊपर आज एक बढ़ा भारी और घोर अन्याय हो रहा है कि स्त्रियों के लिये कहीं भी कुछ नहीं है । अभी यहां पर टंडन जी ने अपने विचार प्रकट किये । उन्होंने कहा हम लड़कियों के लिये सब कुछ करते हैं। पुत्रियों के लिये सब कुछ करते हैं। मैं मानती हूं कि पिता हृदय से अपनी लड़कियों को चाहता है और उन के लिये सब कुछ करता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जहां पिता अपनी लड़की को बड़ी बड़ी डावरी देते हैं, बड़ा बड़ा दान करते हैं विवाह में बहुत कुछ देते हैं, वहां उस डावरी को न देकर ५० हजार ६० हजार या एक लाख या जो भी धन लड़की को देना चाहते हैं, उस को प्रापर्टी के हिस्से के रूप में लड़की को दे दिया जाये और लड़की को स के ऊपर पूरा हक हो, तो ज्यादा अच्छा है । क्योंकि जो धन लड़कियों को दिया जाता है विवाह के अवसर पर वह लड़कियों के किसी काम में नहीं आता है । वह जब ससुराल वाले, देवर, जेठ, सास, नन्द, सब ले लेती हैं । वह लड़की के किसी फायदे का नहीं होता है । यहां तक होता है कि लड़के डावरी के लालच में एक लड़की से शादी करते हैं और उस धन को लेने के बाद जहां कहीं भी उनकी इच्छा होती है दूसरी शादी कर लेते हैं । इससे क्या होता है कि जितना धन माता पिता लड़की को दान दहेज में इसलिये देते हैं कि उनकी लड़की की सहायता होगी उनकी लड़की के काम आयेगा, वह लड़की के किसी मतलब का नहीं होता है । इसलिये मैं इसके विरोध में हूं कि डावरी लड़की को दी जाये । डावरी न दे कर जो कुछ धन लड़की को देना हो वह उसके हक के रूप में दिया जाना जाहिये और लड़की के नाम से होना चाहिये । उस पर लड़की का ही अधिकार होना चाहिये । डावरी में धन देने से लड़की को उस पर कोई हक नहीं होता है, वह अपने पिता के धन को भी अपनी इच्छा के माफिक खर्च नहीं कर सकती ।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि लड़की जब अपने ससुर के यहां जाती है तो उसको अपने ससुर की सम्पत्ति में उतना ही हक मिलना चाहिये जितना कि उसके पति को अपने पिता की सम्पत्ति में होता है क्योंकि ऐसा भी होता है कि स्त्रियों से उसके पति के भाई, बहन और कभी कभी तो यह होता है कि पति भी कह देता है कि यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, यहां से चली जाओ, अपने पिता के यहां जाओ, जहां से कि आई थीं। इस प्रकार की कितनी ही बातों का सामना लड़कियों को करना पड़ता है । इसलिये लड़कियों को अपने ससुर के धन में उतना

ही हक होना चाहिये जितना कि उनके पति को अपने पिता की सम्पत्ति में होता है ।

मान लें कि पति को एक हिस्सा मिलता है. उस हिस्से के दो हिस्से करके दोनों को बराबर हक मिलना चाहिये । मैं समझती हूं कि इससे स्त्री समाज की ताकत बढ़ेगी । आजकल तो बड़ी आसानी से स्त्री को दुतकार दिया जाता है कि "यहां पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, यहां से चली जाओ" । अगर ससुर की जायदाद में बहू का भी हक होगा, तो उससे कोई इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकेगा । अगर लड़ाई होती है, अभी हमारे यहां हिन्दू मैरिज बिल पास हुआ है, उसके अनुसार अगर विवाह-विच्छेद होता है, तो लड़की का ससुर की जायदाद में हक होने के कारण कोई उसे चले जाने के लिये नहीं कह सकेगा । मेरा सजेशन है कि यह ज्यादा अच्छा होगा कि लड़की को ससुर की जायदाद में हक दिया जाये, क्योंकि लड़की उसके परिवार की एक सदस्या बन जाती है, पिता के यहां से वह चली जाती है, उसी परिवार में उसको रहना है, वहां ही उसे सारा जीवन बिताना है । इसलिये क्यों न ससुर की प्रापर्टी से एक हिस्सा देकर लड़की के भविष्य को मजबूत और सुन्दर बनाया जाये ?

श्री बोगावत : उसकी प्रापर्टी में तो है ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । वह अधिकार कहां है ? पुत्रवधू का कोई हक इस विधेयक में नहीं है ।

श्री बोगावत : उसका है ।

श्रीमती गंगा देवी : जो लड़की विधवा हो जाती है, उसको निकाल दिया जाता है और परेशान किया जाता है, इसलिये अगर उसको ससुर की जायदाद में हक हो, तो उसे कोई निकाल नहीं सकेगा । इसलिये मैं चाहती हूं कि लड़कियों को ससुर की प्रापर्टी में हक दिया जाये और वे वहीं पर रहें ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : बहुत तर्कपूर्ण बात है ।

श्रीमती गंगा देवी : पति के मरने के बाद पत्नी को उसकी सम्पत्ति का हकदार बनाया जाये न कि लड़के को, क्योंकि लड़के धन का दुरुपयोग करते हैं और मनमाने ढंग से खर्च करते हैं और फिर माता का आदर भी नहीं करते हैं । हमने बहुत दफा देखा है और देख रहे हैं कि जो स्त्री पति के जीवित रहते घर की स्वामिनी है, घर की लक्ष्मी है, सर्वेसर्वा है, पति के मरने के बाद उसका कोई आदर नहीं रह जाता है, क्योंकि सम्पत्ति का मालिक उसका पुत्र हो जाता है और उस पर उसका कोई हक नहीं समझा जाता है । इसलिये पति के मरने के बाद उसकी प्रापर्टी का होल-सोल मालिक उसकी पत्नी को होना चाहिये – जब तक वह जीवित रहे, वही स्वामिनी हो । कोई भी माता ऐसी नहीं है, जो अपने पुत्र को दुखी देख सके । अपने सारे सुखों का त्याग करके वह अपने पुत्र को पाल पोष कर बड़ा करती है, क्या वह उस धन को कहीं और ले जायेगी या खराब करेगी ? नहीं, वह उसे अपने पुत्र को ही देगी । अन्तिम समय में जो कुछ उस के पास होगा, वह अपने पुत्र को देगी इस कानन में स्त्रियों को ऐसे हक देकर हम समाज की शक्ति को बढ़ायेंगे । साथ ही साथ हम हिन्दू समाज के गौरव को भी बढ़ा सकते हैं ।

इन बातों के साथ ही मुझे एक बात और कहनी है और वह यह है कि इस बिल में उन ग़रीब लोगों के लिये कुछ नहीं कहा गया है, जिनके पास कोई प्रापर्टी नहीं है । यह बिल उन्हीं लोगों के लिए है —और उन्हीं लोगों पर लागू होना चाहिये—जो बड़े-बड़े प्रापर्टी होल्डर हैं, पूंजीपति हैं, अमीर हैं और अपनी

[श्रीमती गंगा देवी]

जायदाद में से एक दो शेयर लड़की को दे सकते हैं। लेकिन जो ग़रीब हैं, अपने ख़र्च के लिये भी जिनके पास धन नहीं है, उनका क्या होगा ? उनके लिये क्या व्यवस्था की गई है ? इस बात को साफ़ कर देना चाहिये कि ऐसे लोगों के लिए क्या होना है, जिनके पास कोई धन नहीं है, कोई प्रापर्टी नहीं है, कोई पूंजी नहीं है। अगर यह बात साफ़ नहीं की जायेगी, तो इस बिल के पास हो जाने से बड़ी गड़बड़ और झगड़े फ़साद होंगे। मैं तो यह कहूंगी कि जो लोग अमीर हैं, अपनी लड़कियों को बड़ा-बड़ा दहेज़ देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनको अपनी लड़कियों के लिये भविष्य के लिये ऐसा धन निर्धारित कर देना चाहिये, जो कि उसके काम आये और किसी का उस पर अधिकार न हो और वह इंडिपेंडेंट होकर अपना जीवन बिता सके।

इतनी ही बात कह कर मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करती हूं और मंत्री महोदय को बधाई देती हूं।

श्री कामत (होशंगाबाद) : चेयरमैन साहब, आपसे निवेदन है कि सभा में कोरम का अभाव है।

सभापति महोदय : मैं घन्टी बजा रहा हूं। अब गणपूर्त्ति है।

श्री एस० वी० सामन्त (तामलुक) : हमें प्रसन्नता है कि इस विधेयक में स्त्रियों के लिये उपबन्ध बनाया गया है। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री से पूछता हूँ कि इस विधेयक को तैयार करने के पूर्व क्या इस आशय के आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं कि इस देश के कितने लोग दाय भाग द्वारा, कितने मिताक्षरा द्वारा और कितने अन्य पद्धतियों द्वारा शासित होते हैं। मैं चाहता हूं कि इस विचार प्रस्ताव के उत्तर में वह सभा के समक्ष यह आंकड़े रखें जिससे कि हम विधेयक में खंड ५ के रखे जाने के कारण न्यायोचित बना सकें। यदि दायभाग, जिनके लिये यह विधेयक रखा गया है, अल्पसंख्या में हों तो मैं कहूंगा कि इसे हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बजाय हिन्दू दायभाग विधेयक कहा जाना चाहिये। यदि सरकार चाहती है कि दायभाग पद्धत्ति में स्त्रियों को लाभ मिलना चाहिये, तब सरकार उस विधेयक को प्रस्तुत करे। यदि भारत की अधिकतर जनता को इससे लाभ न हुआ, तो उसे हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक कैसे कहा जा सकता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि स्त्रियोंके लिये कुछ उपबन्ध किया गया है किन्तु जो उपबन्ध बनाया गया है उसमें हमें कई कठिनाइयाँ मालूम हो रही हैं। पिता को संपत्ति में यदि पुत्री को भाग मिले तो उसके पास अपने ससुर के घर जाने पर दो संपत्तियां होंगी। जब दामाद अपनी स्त्री की संपदा की देखभाल करेगा तो स्वाभाविक ही झगड़े पैदा होंगे। अतः मेरा यह सुझाव है कि पिता के घर से पुत्री को कोई संपत्ति न दी जाय। पुत्री का विवाह हो जाने के बाद, उसे अपने पति की संपत्ति का आधा भाग मिलेगा। अतः वह आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होगी। अतः हम यहां और वहाँ कटुता क्यों लायें ? जिस तरह मैंने सुझाव दिया है, उस तरह यदि हम उपबन्ध करें, तभी हम लड़कियों की कुछ भलाई कर सकेंगे जिनके लिये कि हम इतने चिन्तित हैं।

हम यह देखते हैं कि अब तक श्री एच० एन० मुकर्जी को छोड़ कर, सभी सदस्य इस विधेयक के विरुद्ध बोले हैं। यदि विधि मंत्री यह आश्वासन दें कि प्रवर समिति धारा ५ पर उचित रूप से विचार करेगी और उसमें परिवर्तन करेगी, तो हमें कह विधेयक संयुक्त समिति को सुपुर्द करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि सरकार सभा के सदस्यों के भाषणों को ध्यान में रखते हुए विधेयक को वापस लेना और उसे संशोधित रूप में रखना

उचित समझे, तो वह वैसा कर सकती है। हम सभी अपने देश की स्त्रियों को कुछ अधिकार देना चाहते हैं। इन सुझावों के साथ में सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वह आवश्यक कार्यवाही करे।

श्री आल्तेकर (सतारा-उत्तर) : हिन्दू समाज का विकासवादी ढंग और हमारे धर्मशास्त्र के लेखकों का प्रगतिशील दृष्टिकोण विशेषकर स्त्रियों के लिये उत्तराधिकार के इस अधिकार के विकास में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मैं उसके इतिहास में न जाकर संक्षेप में बताऊँगा।

प्राचीन काल में जब कि अविभक्त कुटुंब की प्रथा सामान्य थी और उसमें अनेक सहभागी होते थे, तब स्त्रियों को दायभाग के अयोग्य समझा जाता था। जब परिवार विभक्त होने लगे और परिवार छोटे हो गये तब कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी कि परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं रहते थे और तब स्त्रियों के दायभाग का प्रश्न प्रमुख रूप से सामने आया। तब हम मनु में और प्राचीन धर्म-सूत्रों में और कौटिल्य में भी देखते हैं कि स्त्रियों को भी स्थान दिया गया है। सर्वप्रथम माता को स्थान दिया गया था। यदि मृत-व्यक्ति के कोई पुत्र न हो तो माता को दायभाग मिलता है।.यदि माता न हों तो पिता की माता को प्राप्त होता है। इसके पश्चात् विधवा स्त्री का स्थान है। धर्मशास्त्र-कारों ने कहा है कि विधवा को दायभाग का अधिकार अवश्य मिलना चाहिये। इसी प्रकार पुत्री का अधिकार भी स्वीकृत हो गया। लड़की को भी लड़के के बराबर ही समझा गया। इस दृष्टिकोण से उसे भी अन्त में भाग दिया गया। उसके बाद बहनों और दूसरे का स्थान है।

बम्बई प्रेसिडेन्सी में अधिक स्त्रियों का उत्तराधिकार स्वीकृत किया जाता है। लड़की की लड़की, लड़के की लड़की और सांपार्श्विकों की विधवाओं को भी उत्तरा-धिकारी स्वीकार किया गया है।

अतः हम यह देखते हैं कि इस विकास के अन्तर्गत किसी सिद्धान्त के अनुसार ही स्त्रियों को यह अधिकार दिया जा रहा है। यह विचार किया गया है कि स्त्रियों के प्रति कुछ न्याय किया जाना चाहिये और साथ ही परिवार को भी एकत्र रखा जाना चाहिये। अतः पुत्री और बहन को उत्तराधिकार दिया गया किन्तु वह केवल उसी दशा में जब कि परिवार में कोई पुरुष वंशज न रहा हो। तब लड़की और उसके बाद बहन सारी सम्पत्ति लेती थी। हमें इस पर विचार करना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि जब यह विशेष अधिकार दिया गया था तो वह पूर्ण रूप से दिया गया था। पुत्री को संपदा का पूरा उत्तराधिकार मिलता था और उसी प्रकार विधवा और बहन को भी। मैं तो चाहता हूं कि सभी स्त्रियों को संपत्ति में पूरा-पूरा अधिकार मिले और प्रत्येक स्त्री को भी दायभाग का अधिकार हो और परिवार किसी प्रकार से विघटित न किया जाय।

प्रत्येक समृद्ध व्यक्ति अपनी लड़की की शादी ऐसे परिवार में करने का प्रयत्न करता है जो उससे अधिक अथवा कम से कम उतना ही समृद्ध हो और तब वह लड़की वहाँ अपने भाग की हकदार बन जाती है। वास्तव में हम ऐसा अधिनियम बना रहे हैं कि पुत्री को अपने पिता की संपत्ति का भी एक भाग मिले। वह एक दूसरे परिवार में जाती है और एक विधवा के तौर पर उसके लिये कुछ भाग का उपबन्ध किया गया है। कुछ भाग उसकी लड़कियों को भी देना होगा। अतः उस परिवार में भी विघटन होगा।

क्या वह किसी भी प्रकार लाभदायक होगा ?

मैं यह चाहता हूं कि प्रत्येक स्त्री को स्वामित्व अधिकार मिले, परन्तु उसे यह

[श्री आल्तेकर]

अधिकार वहां दिया जाये जहां वह निवास करती हो। हमारे तमाम काश्तकारी सम्बन्धी विधियों की भी यही प्रवृत्ति है कि ऐसी ज़मींदारियों को समाप्त किया जाये जिनका प्रबन्ध परोक्ष रूप से किया जाता है। परन्तु जिस प्रवृत्ति का हम अनुसरण कर रहे हैं वह इसके बिलकुल विपरीत है। इससे न तो समाज का हित होगा और न उत्पादन में ही वृद्धि होगी। मैं यह चाहता हूं कि भू-सम्पत्ति में भाग उन्हीं भाइयों को दिया जाये जो ग्राम में निवास करते हों और स्वयं खेती करते हों। जो भाई गांव से बाहर जाकर नौकरी आदि करते हों उनको यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। बहुधा ऐसा होता है, कि किसी व्यक्ति का ऐसे परिवार में विवाह हो जाता है जहां कोई पुरुष सदस्य नहीं होता है तो उसकी सास उसे ही अपना वारिस बना लेती है और चूंकि उसकी स्त्री सम्पत्ति की वारिस होती है इसलिये वह वही निवास करने लगता है और अन्त में उस सम्पत्ति का स्वामी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता की सम्पत्ति में भाग नहीं मिलना चाहिये, ठीक उसी प्रकार जैसे कि विवाहित पुत्री को पिता की सम्पत्ति में कोई भाग नहीं दिया जाता है। इस लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो व्यक्ति गांव छोड़ कर चला जाता है और किसी अन्य स्थान में नौकरी कर लेता है उसे भूसम्पत्ति में कोई भाग नहीं मिलना चाहिये। इसी दृष्टि कोण से विवाहित पुत्री को अपने पिता की सम्पत्ति का कोई भाग नहीं मिलना चाहये जब कि पिता के परिवार में कोई पुत्र या विधवा मौजूद हो।

प्रथम वर्ग के वारिसों में पुत्र, विधवा, पुत्र की विधवा तथा, पौत्र की विधवा तो हो सकते हैं परन्तु पुत्री, पुत्री की पुत्री या पुत्री के पुत्र को स्थान नहीं दिया जाना चाहिये। पुत्री को उत्तराधिकार तभी मिलना चाहिये जब कि वह अविवाहित हो। अविवाहित होने पर उसको उतना ही भाग मिलना चाहिय जितना कि पुत्र को मिलता है। परन्तु विवाह होने पर वह भाग पुत्रों को तथा अविवाहित बहिनों को लौट जाना चाहिये। यही बात हमारे वेदों में भी कही गई है। जो महिला पिता के ही परिवार में रह जाती है और वृद्धा हो जाती है उसे पिता की सम्पत्ति का एक भाग मिलता है। ऋग वेद में यही दिया हुआ है। अभी तक ऐसा नहीं होता था क्योंकि शताब्दियों से हम दासता के पास में बंधे हुए थे। अब हम स्वतंत्र हैं इस लिये हमें ऐसा विधान बनाना चाहिये जो समाज तथा नारी दोनों के लिये हितकर हो।

हम देखते हैं कि मुसलमानों में पुत्र के साथ साथ पुत्री को भी ऐसा अधिकार दिया गया है। परन्तु इसका परिणाम यह होता है कि सम्पत्ति दूसरे परिवार में न जाने पाये इसके लिये चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहन आपस में ही व्याह दिये जाते हैं। परन्तु हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। इसलिये हमें उत्तराधिकार विधि पर ऐसे ढग से विचार करना है जो हिन्दू विवाह के लिये निर्धारित निषिद्ध पीड़ियों के नियम के अनुकूल हो। पुरुषों तथा स्त्रियों की समानता मैं भी चाहता हूं। परन्तु यहां बात दूसरी है। मान लीजिये कोई व्यापार समवाय है जिसका प्रबन्ध भाइयों द्वारा किया जाता है। स्त्रियां यह काम करती नहीं हैं। विशेषतः जब कोई विवाहित पुत्री उसकी भागीदार बना दी जायेगी तो वह किसी दूरस्थ स्थान से क्या कर सकेगी ? यदि वह अपने परिवार ही में रहे तो और बात है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि विवाहित स्त्रियों को उतना ही और वैसा ही भाग दिया जाये जैसे कि पति को, पुत्र को या पौत्र को दिया जाता है और साथ ही उस को यह भी अधिकार दिया जाये कि यदि उसके साथ

दुर्व्यवहार किया जाये तो उसको हिस्सा बटाने और अलग हो जाने का अधिकार होगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण): विवाह विच्छेद की दशा में क्या होगा ।

श्री आल्तेकर : यदि विवाह-विच्छेद उस की किसी त्रुटि के कारण नहीं होता है तो उसे निर्वाह-व्यय प्राप्त करने का अधिकार होगा । यदि गलती उसी की होगी तो उसे इस अधिकार को छोड़ना होगा ।

सभापति महोदय: ऐसे उपबंध का विवाह-विच्छेद पर भी निरोधात्मक प्रभाव होगा ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित —अनुसूचित जातियां): हिन्दू विवाह विधेयक के पास हो जाने के बाद हिन्दुओं में प्रचलित उत्तराधिकार विधि को एक निश्चित रूप देना परम आवश्यक हो गया है, क्योंकि इस विधान का आधारभूत अभिप्राय यह है कि चाहे कैसे भी हिन्दू क्यों न हों, बुद्ध, सिख, जैन इत्यादि सब के परस्पर स्वतंत्रतापूर्वक विवाह होने लगें। इस का एक परिणाम यह होगा कि प्रश्न उठेगा कि उन के बच्चों पर कौन सी उत्तराधिकार विधि लागू होगी ।

दाय भाग धार्मिक दक्षता के सिद्धान्त पर आधारित है और मिताक्षरा सामान्यतः प्रत्यासत्ति के सिद्धान्त पर आधारित है । दाय भाग में भी इस सिद्धान्त का समावेश है ।

इस विधेयक का मूलभूत अभिप्राय यह है कि कोई झगड़ा न उत्पन्न हो तथा उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कोई और उलझन न पैदा हो। उच्च न्यायालय में चलने वाले अधिकांश वाद उत्तराधिकार से ही सम्बन्धित होते हैं । हम इनकी संख्या को कम से कम कर देना चाहते हैं ।

जहां तक हमारी बहनों का सम्बन्ध है विभिन्न प्रकार के मत प्रकट किये गये हैं । पर सभी के सम्बन्ध में एक ही बात नहीं कही जा सकती है । कहा जाता है कि यदि बहन सम्पत्ति में भाग मांगेगी तो भाई बहनों का प्रेम कम हो जायेगा । परन्तु मैं एक उदाहरण जानता हूं जिस में पिता ने लाखों की सम्पत्ति छोड़ी थी । उस के कुछ पुत्र तथा एक पुत्री थी । पुत्री का विवाह ऐसे घर में हुआ जहां उसकी आर्थिक दशा सदा ही अत्यन्त शोचनीय रही । विधवा हो जाने पर वह पुत्री अपने बच्चों सहित और भी अधिक दरिद्रता में जीवन निर्वाह करती रही परन्तु भाइयों ने बहन की कोई सहायता नहीं की । ऐसी दशा में भाई-बहन का प्रेम कहां गया यह समझना कठिन है। इसलिए यदि सारे संसार में बहनों को उत्तराधिकार मिलते कोई आसमान नहीं फट पड़ा है तो हमारी समझ में नहीं आता कि इस विधान से ही कौन सा विघटन उत्पन्न हो जायेगा । अन्ततः यह हमारा लक्ष्य है और लक्ष्य समय और परिस्थितियों में परिवर्तन होने से बदल जाता है।

उत्तर भारत में दायभाग प्रचलित है जो पितृ सन्तात्मक सिद्धान्तों पर आधारित है और दक्षिण में मरुमक्कटय्यम तथा अलियसन्तान पद्धतियां प्रचालित हैं जो मातृसन्तात्मक सिद्धान्तों पर आधारित हैं। दोनों एक दूसरे के परस्पर विरुद्ध हैं और हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सी पद्धति अच्छी है और कौन सी खराब है । मैं यह मानता हूं कि हमारी उत्तराधिकार विधि में परिवर्तन आवश्यक है

[श्री बर्मन]

परन्तु मैं इस विधेयक का समर्थन करने को तय्यार नहीं हूं क्योंकि इस में भारत के विभिन्न भागों की उत्तराधिकार विधियों को मिला कर एक विधि त्यार करने का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया है। जब तक यह सिद्धान्त स्वीकार न किया जाये इस विधेयक को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इस उपबंध के बिना यह विधेयक बिल्कुल व्यर्थ होगा।

यदि आप खंड ५ को देखें तो आप पायेंगे कि यह विधेयक संयुक्त परिवार की सम्पदा पर लागू नहीं होगा। अविभाज्य सम्पदाओं को अक्षुण्य रखा गया है। पहले जब यह नियम बनाया गया था तो विचार यह था कि सम्पदा का विभाजन न हो क्योंकि ऐसा होने से परिवार आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो जायेगा। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

साथ ही जब हम स्त्री को सम्पत्ति पाने का अधिकार दे रहे हैं तो हमें पूर्ण अधिकार देना चाहिये। भाइयों और बहनों के भाग बराबर बराबर हों। यदि एक बार इसे मान लिया जाये तो अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं। यदि हम ऐसा करें तो उत्तराधिकार विधि में एकरूपता लाई जा सकती है।

श्री एन० सी० चटर्जी का कथन है कि इस विधेयक से वकीलों को लाभ बहुत होगा। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। हम विधेयक तथा अनुसूची दोनों में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। परन्तु साथ ही उत्तराधिकार विधि को सरल बनाया जाना भी आवश्यक है। अभी तो एक अनुभवी वकील भी यह नहीं कह सकता है कि कौन विधानीय उत्तराधिकारी है। फिर भी वर्तमान विधि की तुलना में अधिमान-प्राप्त उत्तराधिकारियों की अनुसूची तथा निर्वचन के नियम कहीं अधिक सरल हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह बात स्पष्ट कर दे कि जहां तक खण्ड ५ में अन्तर्निहित सिद्धान्त का सम्बन्ध है प्रवर समिति किसी प्रकार से उसको स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है वरन उसे कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार है।

पंडित सी० न० मालवीय (रायसेन): मैं टंडन जी ने जो विचार इस सदन के सामने रखे हैं उनका घोर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। टंडन जी ने कहा है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए और अगर यह तजवीज़ इस हाउस ने मान ली तो मैं समझूंगा कि हमारी समाज के ५० प्रतिशत अंग के साथ एक जबर्दस्त जुल्म किया जा रहा है। आज यहां पर बहिनों की तादाद कम है लेकिन फिर भी जितनी भी स्पीचिज़ उन्होंने दी हैं उन सब में उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। इस बिल के खिलाफ जितनी भी स्पीचिज़ हुई हैं उन सब में हिन्दू धर्म, शास्त्र और पुरानी हिन्दू संस्कृति इत्यादि का नाम लिया गया है। लेकिन इसके पीछे न तो हिन्दुत्व का प्रेम है और न ही धर्म शास्त्रों के प्रति प्रेम है। इन विचारों के पीछे सिर्फ जायदाद की मुहब्बत है। इस जायदाद के प्रति मुहब्बत ने ही आज तक हमें इस काबिल बनाये रखा कि हम अपनी बहिनों को गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े रखें। इनको अपने वश में रखने के लिये हमने बड़े सुन्दर सुन्दर शब्द भी घड़ रखे हैं।

यत्र नारयास्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता वास करते हैं। हमारे यहां एक मुहावरा है।

घर बार तेरा कोठी मंडीला से हाथ मत लगाना

यानी घर की लक्ष्मी हो मगर तुम्हें किसी चीज से हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है

कहने को तो कहा जाता है कि कब्जा रखने का अख्तयार तो लक्ष्मी को है लेकिन वास्तव में उनको खर्च करने का कोई अख्तयार नहीं होता । यह सारा अख्तयार हमने अपने पास रखा हुआ है। हम जब मैरेज ऐंड डाइवोर्स बिल पास कर चुके हैं तो हमारे लिये इस बिल का पास कराना बिल्कुल जरूरी है। जब उस पर बहस हो रही थी उस वक्त इस बिल के विरोधियों में से बहुत से सदस्यों ने यह दलील हमारे सामने रखी थी कि डाइवोस करने का बिल तो हम पास कर रहे हैं लेकिन स्त्रियों को वह अधिकार कहां है कि जिससे वे अपना लालन-पालन कर सकेंगी, जीवन व्यतीत कर सकेंगी । आज उन्हीं के मंह से इस बिल के विरुद्ध यह दलीलें सुनकर मेरी हैरत की इन्तहा नहीं है और मैं समझता कि यह केवल साज़िश मात्र है और वे चाहते कि किसी न किसी तरीके से स्त्रियों को यह धकार न मिले। मैं तो कहूंगा कि जो इस तरह की बात करते हैं उनके दिल में स्त्रियों के प्रति नफरत है.....

श्री धुलेकर (ज़िला झांसी---दक्षिण) : गलत है।

पंडित सी० एन० मालवीय : गलत नहीं सही है। हम प्रतिव्रत धर्म का नाम लेकर एक बहुत उच्च आदर्शवाद की बात करते हैं। मुझे कोई मिसाल बताइये कि जहां पर पुरुषों को पत्नी की चिता के ऊपर जलाया गया हो। इसके मुकाबले में हमने कितनी माताओं और बहिनों को उनके पतियों को चिताओं पर जलाया। मैं तो कहता हूं कि शायद किसी ही पुरुष को अपनी पत्नी की चिता पर जलाया गया हो और आप जानते हैं कि किस तरह स पुराने जमाने में माताओं और बहिनों को चिताओं पर जलाया जाता था

यहां पर कहा गया है कि पाटस्कर साहब शहर में रहते हैं और उनको देहातों का कोई तजुर्बा नहीं है। और उनको पता नहीं कि जनता क्या चाहती है जब कि ऐसा कहने वाले स्वयं इलाहाबाद और दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं और मोटरों में घमते फिरते हैं। मैं तो कहता हूं जो लोग यह कहते हैं कि जनता इस बिल को नहीं चाहती उन्हें देहातों का अनुभव नहीं है। एक अजीब सी सूरत बना कर आज यह कह दिया गया कि उन्हीं एक दो आदमियों को यह मालूम है कि जनता क्या चाहती है, गांव वाले क्या चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे जानते हैं कि आज स्त्रियों की हालत कैसी है? आज स्त्रियों की हालत हमारे समाज में बदतरीन होती जा रही है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आज भी स्त्रियों को पिछड़ा हुआ रखने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप सफल नहीं हो सकते। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वे हिन्दू धर्म की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हिन्दु धर्म एक इतना ऊंचा धर्म रहा है कि इसने सारे संसार को सूर्य की तरह प्रकाश दिया। लेकिन आज वेदों का नाम लेकर, शास्त्रों का नाम लेकर हम गलत प्रचार करें इससे हमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ही होगा। ऐसे लोग जो शास्त्रों को गलत इन्टरप्रेट कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं हिन्दू धर्म को गिरा रहे हैं। आज अगर दुनिया में हिन्दू धर्म को कोई जानता है और कद्र करता है तो वह महात्मा गांधी और श्री नेहरू के नाम पर ही कद्र करता है। मैं कहता हूं कि जिस तरह का प्रचार श्री देशपांडे जी करते हैं उस तरह के प्रचार से हिन्दू धर्म के प्रति नफरत ही बढ़ती है कद्र नहीं बढ़ती ।

आज वह ज़माना नहीं है जब हम स्त्रियों को दबा सकें। आज वह ज़माना नहीं है जब कि हम लड़कियों की जब उनकी ८ साल की ही उम्र हो शादी कर दें। आज वह ज़माना भी नहीं है जब उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा

[पंडित सी० एन० मालवीय]

जिसके। आज वे पढ़ लिख रही हैं। आज उनकी छोटी उम्र में शादी नहीं की जा सकती। पहले जमाने में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जा सकता था, केवल एक नाम गार्गेयी का ले लिया जाता है। आज ज़माना बदल गया है। आज हमें उनको प्रापर्टी में हक देना होगा। आज अगर हम चाहें भी तो भी लड़की की जब उसकी आठ वर्ष की आयु हो शादी नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें जो सज़ा रखी गई है उसको भुगतने के लिये तैयार रहना होगा। आज स्त्रियां समझदार हैं और जानती हैं कि उनके क्या अधिकार हैं। यदि हम आज कोशिश करें और उनको उनके अधिकारों से वंचित रखें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। स्त्रियां अपने अधिकार लेकर रहेंगी और हमें देने पड़ेंगे। इसलिये ज्यादा उचित होगा यदि हम अपने आप खुशी से उनको उनके अधिकार दे दें।

यहां पर वोटों की बात की गई है और शायद विभूति मिश्र जी ने कहा है कि यदि यह बिल पिछली इलेकशन से पहले लोगों के सामने होता तो हमें इतने अधिक वोट नहीं मिल सकते थे। मैं दावे से कहता हूं कि हमें जो वोट मिलें हैं वे जो हमारे उसूल हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं उनकी बिना पर मिले हैं। आगे से भी.....

श्री विभूति मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि लास्ट इलेकशन में आपको स्त्रियों के कितने वोट मिले ?

पंडित सी० एन० मालवीय : आपने उनको पर्दे में रखा हैं, घर से बाहर जाने नहीं दिया और आप यह कहते हैं कि कुटुम्ब की नाक कट जायेगी। इसलिये वे अधिक संख्या में वोट नहीं दे सकीं, फिर भी जितनी आजाद हो सकीं उन्होंने वोट का अस्तयार इस्तेमाल किया। महात्मा गांधी ने जब हरिजनोद्धार की आवाज़ उठाई तो लोगों ने धर्म का नाम लेकर, वेदों का नाम लेकर महात्मा गांधी के जलसों में लाठियां बरसाईं, मारने की कोशिश की लेकिन फिर भी कांग्रेस ने रिफार्म लाने की तरफ कदम बढ़ाये और यही वजह है कि हिन्दू समाज ने कांग्रेस को वोट दिये।

वोट इसलिये नहीं दिया है कि रीएक्शनरी थ्योरीज़ को ले जाकर उनके सामने रक्खें। मैं बिल्कुल साफ़ कर देना चाहता हूं कि आप ग़लतफ़हमी में हैं अगर आप समझते हैं कि हिन्दू लोग रिएक्शनरीज़ हैं। हिन्दू यूथ्स रीएक्शनरी नहीं हैं। समाज में कुछ मुट्ठी भर लोग झूठे और बहकाने वाले नारे लगा कर हिन्दुओं को भड़काना चाहते हैं और हिन्दुओं का नाम नीचा करना चाहते हैं उनको अपने इस कुप्रयत्न में निराश होना पड़ रहा है और हिन्दू बल्क उनके आज पीछे नहीं है और पिछले एक्लेक्शन के समय यह चीज़ बहुत साफ़ हो गयी थी कि हिन्दूज़ की ओवरवेल्मिग मेजारिटी कांग्रेस के साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप जनता को ठीक तरह समझायें और उसको शिक्षित करें तो आपको आपके कार्यों के लिये पूर्ण समर्थन मिलेगा और आप दिलमें यह ख्याल मत करिये जैसा कि कुछ लोगों ने डर दिलाया है कि अगर हमने इस तरह का विधेयक पास कर दिया और डाइवोर्स बिल पहले ही पास कर दिया है, तो इस कारण हम लोगों को आयन्दा एलेक्शंस में वोट नहीं मिलेंगे, इस तरह का डर आप अपने दिलों से निकाल दीजिये। पिछले एलेक्शन का मुझे तजुर्बा है जब कि विरोधी तत्वों ने काफ़ी विषैला प्रचार हमारे विरुद्ध जनता में फैला रक्खा था और कहा जाता था कि कांग्रेस वाले तो हिन्दू कोड बिल पास करके हिन्दू समाज को छिन्न भिन्न करने जा रहे हैं और इसके द्वारा भाई बहनों में शादी कराने जा रहे हैं, इस तरह का ग़लत प्रचार जनता में किया जा रहा था, लेकिन मैं आपको बतलाऊं

कि मैं ज़रा भी विचलित नहीं हुआ और खुल्लमखुल्ला डंके की चोट पर मैंने कहा कि हां हम हिन्दू कोड बिल पास करना चाहते हैं और जनता को उसका सही रूप समझाया और उसी बुनियाद के ऊपर हम एलेक्शन लड़े और जनता के वोट प्राप्त किये और सब जानते हैं कि कांग्रेस को चुनावों में कितनी शानदार कामयाबी मिली। आखिर हमारे देशवासी इतने मूर्ख नहीं हैं कि उनको बेवकूफ बना लिया जाय। देश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का ध्येय क्या है और वह क्या क्या सामाजिक सुधार लाना चाहती है। हमारे जो विरोधी थे उन्होंने कोई क़सर उठा नहीं रक्खी और उन्होंने हमारे विरुद्ध गंदे से गंदा प्रोपेगंडा किया और एक पैम्पफ्लेट निकाला गया है जिसमें नेहरू जी और डाक्टर काटजू बैठे हुए हैं और उनके सामने गाय मरी पड़ी हुई है...

श्री धुलेकर : श्री मान् एक औचित्य प्रश्न पर ।

पंडित सी० एन० मालवीय : गरज़े कि हमारे ख़िलाफ़ गंदे से गंदा प्रचार किया...

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। एक औचित्य प्रश्न उठाया गया है।

श्री धुलेकर : हम उत्तराधिकार विधेयक पर विचार कर रहे हैं, पर वह इसके बारे में कुछ न कह कर इधर उधर की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति माननीय सदस्य कुछ तर्कों का उत्तर दे रहे हैं, जो उचित ही है।

पंडित सी० एन० मालवीय : मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त शायद आयुर्वेदिक के मसले पर सोच रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ठीक से मेरी बात को नहीं सुना होगा।

चुनाचें इस तरह का पर्चा निकाला गया, गंदे से गंदा प्रचार किया गया कि कांग्रेस वाले यह हिन्दू कोड बिल पास करके भाई बहन में आपस में शादी कराना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा कि इन सब बातों के बाद भी जनता उनके बहकावे में नहीं आई और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिये और वे लोग केवल मुट्ठी भर कहीं इधर उधर ही चुन कर विधान मंडलों में आ सके हैं। इसलिए मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि आप इस तरह के सामाजिक सुधार वाले विधेयकों को पास करते समय यह मत सोचिये और डरिये कि अगर हमने ऐसा किया तो हमको आयन्दा चुनावों में हिन्दुओं के वोट नहीं मिलेंगे, उचित तो यह है कि आप साहस से डट कर अपना कर्तव्य कीजिये और जो कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ जनता में तरह-तरह का ग़लत और विषैला प्रचार करते फिरते हैं, उनका सामना कीजिये और जनता को आप अपनी बात समझाइये कि हम क्या कर रहे हैं और इन विधेयकों से हम अपने देश और समाज में क्या क्या सुधार ला सकेंगे । यह हकीक़त है और इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे समाज में स्त्री जाति की अब तक बहुत उपेक्षा होती आई है आज अगर हम उनको कुछ ऊपर उठा रहे हैं और उनको अधिकार देकर पुरुष समाज के बराबर स्तर पर लाना चाहते हैं, तो हम अपने आदर्शों की ही पूर्ति कर रहे हैं। औरतों को प्रोपराइटरी राइट्स मिलने चाहिए, उनको पूर्ण अधिकार होने चाहिए। आज जब औरतों को जायदाद में हिस्सा देने की बात चलती है तो कुछ लोग तरह तरह के डर और शक़ जाहिर करते हैं कि ऐसा करने से यह हो जायगा और वह हो जायगा लेकिन मैं पूछता हूं कि पुरुषों ने सदियों से बराबर जायदादों में उलट-पलट की लेकिन किसी ने आप पर कोई इशारा नहीं किया और ख़ामोशी से हमारी बहनों ने उस बात को बर्दाश्त किया लेकिन आज जब हमारी उन बहनों को अधिकार मिलने की बात चलती है तो हमारे बहुत से मित्र आदर्शों और सिद्धान्तों के नाम पर ज़िन्दगी की हक़ीक़तों से आंखें

[पंडित सी० एन० मालवीय]

मंद देना चाहते हैं। मैं पूरे तरीक़े से इस बिल का समर्थन करता हूं। जहां तक तफ़सीलात की बात है, और उसके रूप की बात है, सेलेक्ट कमेटी जो कुछ भी तक़रीरें यहां पर हुई हैं उन पर ग़ौर करे और विचार विनिमय करके जो कुछ इसमें कमी रह गई हो, उसको पूरा करे।

मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूं और वह यह है कि मैं तो चाहता हूं कि मिताक्षरा ला को जो इससे अलग रक्खा गया है उससे हमारा यक्सां सबके लिए क़ानून बनाने का जो मक़सद है वह पूरा नहीं होता और मैं चाहता हूं कि उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाये। हमारे टंडन जी ने जो इस विधेयक के बारे में कहा कि इसको संयुक्त प्रवर समिति को भेज कर वापिस ले लेना चाहिए, और इसको फिर विचार करके दुबारा लाना चाहिए, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि यह बिल प्रवर समिति को भेजा जाय और जो कुछ इसमें सुधार आवश्यक जान पड़ें, वे वहां पर किये जांये और यह मांग कि इसको सरकार को सेलेक्ट कमेटी में न भेजना चाहिए और इसको वापिस ले लेना चाहिए, यह डिलिंएग टैक्टिक्स वाली बात है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचंद दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद—उत्तर) : सभी विधियों का आधारभूत सिद्धान्त समाज का आर्थिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार से परिरक्षण करना होना चाहिये। यदि इस विधेयक का परिणाम सारे समाज का आर्थिक तथा सामाजिक विघटन करना हो तो इस विधेयक को पास करना तो दूर रहा इसे प्रवर समिति को भी निर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिये।

सबसे पहले अनुसूची को लीजिये। प्रथम श्रेणी में दस उप-श्रेणियां हैं। यदि प्रत्येक श्रेणी में एक से भी अधिक व्यक्ति हों तो सम्पदा प्रायः बीस भागों में विभाजित हो जायेगी। इससे न तो स्त्रियों को लाभ होगा, न पुरुषों को न समाज ही को। हमारे देश के अधिकांश निवासियों के पास या तो एक मकान है या कुछ बीघे भूमि है। इस प्रकार का विभाजन होने से हमारी आर्थिक दशा और भी दयनीय हो जायेगी। मैं समझता हूं कि यदि स्त्रियों को अपने पति की सम्पदा में पूर्ण अधिकार दे दिया जाये, जैसा कि स्वयं पति को प्राप्त है तो सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

जहां तक पुत्री का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि अविवाहित पुत्री को उतना ही भाग दिया जाये जितना कि पुत्र को प्राप्त होता है और यदि विवाहित हो तो उसे कोई भाग न दिया जाये क्योंकि पिता की मृत्यु के पश्चात उसे भाइयों तथा सम्बन्धियों के नैतिक दायित्व पर ही निर्भर होना पड़ता है।

इसी प्रकार पुत्रियों की पुत्रियों, पुत्रियों के पुत्रों या स्त्री के भाइयों का जहां तक सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इनको उत्तराधिकारी बनाने से सम्पदा का जितना विघटन होगा उतना इन्हें लाभ नहीं होगा।

माता को द्वितीय श्रेणी में रखा गया है जिसका अर्थ है कि यदि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी मौजूद हों माता को कोई भाग नहीं दिया जायेगा इसलिये मेरा सुझाव है कि केवल यही नहीं कि माता को प्रथम श्रेणी में रखा जाये वरन् पुत्र, विधवा, कुंवारी पुत्री, बहू यहां तक कि पौत्र की स्त्री या विधवा को भी परिवार की सम्पत्ति में भाग दिया जाये।

इस विधेयक में एक ही बात अच्छी है और वह यह कि संयुक्त परिवार सम्पत्ति को

अक्षुण्य रखा गया है। संयुक्त परिवार सनातन से चला आता है तथा इसके द्वारा समाज का बहुत हित हुआ है। आज भी बेरोजगारी या आपदा के समय संयुक्त परिवार ही सहायक होता है।

पुत्री को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में उत्तराधिकारी बनाने का परिणाम यह होगा कि वह निवास कहीं और करेगी और अपनी सम्पत्ति का प्रबंध परोक्ष रूप से करेगी। जहां बड़ी-बड़ी सम्पदायें है वहां जमाई परिवार में विभिन्न प्रकार के झंझट उत्पन्न करेगा। परन्तु ग्रामीणों का जहां तक सम्बन्ध है इससे केवल झंझट ही उत्पन्न नहीं होगा वरन समाज ही उलट पलट हो जायेगा।

श्री बी० पी० सिंह (मुंगेर सदर व जमुई) : मैं इस विल के प्रवर समिति में जाने के विरुद्ध हूं। यह विरोध में इस कारण से करता हूं कि मैं स्त्रियों को उत्तराधिकार देने के विपक्ष में हूं क्योंकि इस विधेयक के पास होने से समाज में उथल-पुथल मचेगी और ऐसा असन्तोष फैल जायेगा जिस की कोई सीमा नहीं है। इस बिल को जिन लोगों ने बनाया है, मैं समझता हूं कि उनका दिमाग इस सम्बन्ध में साफ नहीं था। स्त्रियों को उत्तराधिकार देने से समाज में उथल-पुथल मचेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। दूसरे मैं इस सुझाव का जोरों से समर्थन करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि जब तक लड़की कुमारी हो तब तक उसको पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार मिले, लेकिन जब वह विवाहिता हो जाती है तब उसको उसके पति की सम्पत्ति में अधिकार हो। मैं उन मित्रों से जानना चाहता हूं जो कहते हैं कि इस विचार धारा के लोग स्त्रियों के उत्तराधिकार के विरुद्ध हैं कि उन्होंने क्या कभी वास्तविक बात को जानने का भी प्रयत्न किया है? हममें से हर एक आदमी देहातों के बारे में जानने का दावा करता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो आदमी इस तरह की बातें यहां करते हैं उनको देहातों का कोई भी अनुभव नहीं है। वह नहीं जानते कि देहातों की आर्थिक समस्या कैसी है। एक देहात में एक छोटे से मकान में एक परिवार रहता है और एक छोटी सी पंसारी की दूकान करता है। जबतक उसके घर में लड़की रहती है तब तक वह अपने भाई के साथ प्रेम से रह सकती है, लेकिन अगर उसको पिता की छोटी सी सम्पत्ति में अधिकार दिया जायेगा तो पति के घर में जाने के बाद चूंकि वह पति के अधीन हो जायेगी, इसलिये उसका पति उसके पिता की सम्पत्ति को लेकर उससे फायदा उठाना चाहेगा। आज हम प्रगतिशीलता की बहुत सी बातें सुनते हैं। आज हमने हिन्दू मैरेज बिल पास किया, हमने स्पेशल मैरेज बिल पास किया, उसमें उन्नति की बहुत सी बातें हैं। यह भी कहा गया कि वेद को बने हुए ४,००० वर्ष हो गये हैं उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में बहुत अन्तर है, इसलिये उस समय की बातों का कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक "वोल्गा से गंगा" में यह साबित करने की चेष्टा की है कि पुराने जमाने में लोग गोमांस खाते थे, उसी प्रकार से आज हम यहां जितनी बातें करते हैं उनमें डाइवोर्स के सिवा कोई बात ही नहीं होती है। आपने इसके लिये हिन्दू मैरेज बिल पास किया, स्पेशल मैरेज बिल पास किया और उसमें डाइवोर्स का हक दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्राचीन हिन्दू काल में भी डाइवोर्स था और उस समय पराशर ने यह कहा था कि डाइवोर्स देने के पांच कस्टम्स हैं। आपको विवाह पद्धतियों का ख्याल होगा कि जो विवाह आठ नम्बर का है उसमें डाइवोर्स की आज्ञा है, दूसरे नम्बर पर जो विवाह होता है उसमें डाइवोर्स नहीं होता है। आज हिन्दुओं में करीब ८० प्रतिशत लोगों में किसी न किसी प्रकार का डाइवोर्स है, केवल २० प्रतिशत में नहीं है। लेकिन इन २० प्रतिशत में भी इसका

[श्री बी० पी० सिंह]

दरवाजा बन्द नहीं है। आप इस उन्नतिशीलता के नाम पर बहुत सी बातें करते हैं और ग़लतफ़हमी फैलाने की बात कहते हैं। आज आप स्त्रियों को अधिकार देने की बात सोचते हैं। मैं समझता हूं कि आज इस हाउस में कोई भी ऐसा सदस्य न होगा जो कि स्त्रियों को अधिकार देने के विपक्ष में हो, लेकिन अधिकार के नाम पर आप देश में बदगुमानी फ़ैलाना चाहते हैं, देश में अशान्ति फ़ैलाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आपको अपने देश की अवस्था का कोई ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो आप इस तरह की बातें न करते। आज पति के घर में लड़की को पूरा अधिकार होगा और उसके पिता के परिवार के साथ उसका प्रेम का सम्बन्ध भी बना रहेगा। आज हम महज पाश्चात्य सभ्यता में रंगे हुए हैं। आज हमारे सामने केवल बौद्धिक बातें ही हो रही हैं, आध्यात्मवाद की कोई कद्र हमारे सामने नहीं है और न हम उसको समझने की चेष्टा ही करते हैं। मैं अपने दोस्तों से बहुत नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, अपनी अन्तरात्मा की प्रेरणा से इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल समाज को विध्वंस करने वाला है, समाज को तोड़ने फोड़ने वाला है, इससे कोई उपकार किसी का नहीं हो सकता है। वास्तव में यदि हमारे मंत्री महोदय इस बिल को पास कराने के लिये परेशान हैं, और उनको परेशान होना चाहिये, तो बहुत समझदारी के साथ हमारे सामने ऐसा बिल ले आवें जिसमें कोई दोष न हो। इस बिल के सम्बन्ध में तरह तरह की बातें कही जाती हैं, माताओं का स्थान और पिता का स्थान गौण किया जा रहा है और जिस परिवार से हमारा कोई संसर्ग नहीं है उसको सम्पत्ति का हिस्सा दिया जा रहा है। इसलिये मैं बहुत नम्र शब्दों में विधि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बिल को वापस ले लें और बहुत जोरदार शब्दों में इसका अनुरोध करता हूं कि इस बिल को विचार के लिये प्रवर समिति में न भेजा जाय। यदि वह इस बिल को लाभदायक बनाना चाहते हैं और स्त्रियों को अधिकार देने के सम्बन्ध में लालायित हैं, जैसे कि कोई भी सदस्य यहां हो सकता है, तो इसके लिये वह इस विधेयक को ठीक करने का प्रयत्न करें। इस विधेयक के अन्दर बदगुमानी है, इसके अन्दर समाज का विध्वंस करने की भावना है, इस भावना को मिटा कर और बहुत ईमानदारी के साथ और दिलचस्पी के साथ दूसरा बिल लावें जिसमें स्त्रियों को जो अधिकार दिये गये हैं उससे भी अधिक अधिकार दिये जा सकें उनकें पति की सम्पत्ति में। उस समय सदन का कोई भी सदस्य इसके लिये असहमत नहीं होगा और सदन आनन्दपूर्वक इस बिल का समर्थन करेगा।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल--पश्चिम कटक) : मुझे आश्चर्य है कि सम्पत्ति के सम्बन्ध में इतनी अधिक चर्चा हुई है। जमींदारी उन्मूलन के बाद अधिकांश भूमि जोतने वालों के पास चली जायेगी। संयुक्त परिवार प्रणाली के टूटने के सम्बन्ध में भी काफी कहा गया है। पिछली आधी शताब्दी में संयुक्त परिवार प्रणाली टूटती जा रही है। संयुक्त परिवार प्रणाली में एक बुराई यह भी है कि इससे परजीवियों की संख्या बढ़ती है। संयुक्त परिवार में दो भाई तो सम्पत्ति की रक्षा करने या वृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं तो दो अपने को उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति का साझेदार समझते हैं और आप बढ़ाने, आदि के सम्बन्ध में कुछ भी काम नहीं करते। वह अपने कमाने वाले भाइयों की आय पर निर्भर रहते हैं। हम समाज का वर्तमान ढांचा उद्योगीकरण के आधार पर बनाने जा रहे हैं। लोगों को काम करके अपनी जीविका कमानी पड़ेगी, भीख मांगना अपराध होगा। अतः संयुक्त परिवार प्रणाली में उत्पन्न परजीवियों को

कोई स्थान नहीं मिलेगा। दायभाग प्रणाली के अधीन महिलाओं को जो उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकार दिये गये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। कुछ मित्रों ने यह भी कहा कि इस प्रकार के अधिकार अन्य महिलाओं को भी दिये जाने चाहिएं। हमारे कुछ रुढ़िवादी मित्रों ने यह भी कहा कि महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार न मिलना चाहिए, इससे अव्यवस्था फैलेगी। पर, मैं आपको स्विटज़रलैंड का उदाहरण दूंगा। वहाँ पिता की मृत्यु के बाद मां, पुत्रों तथा पुत्रियों को सम्पत्ति में से बराबर अंश मिलता है। उनके समाज का पतन नहीं हुआ है बल्कि उनके देश को आज संसार के सर्वाधिक प्रगतिशील देशों में गिना जाता है। संयुक्त राज्य में भी पुत्रों, पुत्रियों तथा माँ को सम्पत्ति में समान अंश मिलता है। पर एक औद्योगिक देश होने के कारण वहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपनी जीविका कमाता है और उत्तराधिकार में मिलने वाले धन पर निर्भर नहीं रहता। यही दशा भारत की भी होगी। अतः इस विधान का विरोध करने वालों से मैं अपील करूंगा कि वे भविष्य की ओर देखें और यह देखें कि इस उद्योगीकरण से क्या लाभ होगा। उन्हें महिलाओं तथा पुत्रियों को दिये जाने वाले इन अधिकारों के प्रति असंतोष नहीं प्रकट करना चाहिए। हमें संयुक्त परिवार प्रणाली उन्मूलन के सम्बन्ध में भी सावधान रहना चाहिए। विवाह विधि तथा अस्पृश्यता निवारण आदि विधियों के द्वारा हमारे समाज में एक गति पैदा होगी। सभी को उन्नति का अवसर मिलेगा और निश्चित ही हमारी उन्नति होगी।

अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण): मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं, पर इस के कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में हमें असंतोष है। हमें इसको फिर से प्रगतिशील ढंग पर सुधारना होगा क्योंकि यह विधेयक केवल बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दाय भाग परिवारों की थोड़ी सी महिलाओं पर ही लागू होता है। कुछ लोगों ने यह कहा कि इससे संयुक्त परिवार टूट जायेंगे और सम्पत्ति टुकड़ों में बट जायेगी, पर सच पू । जाय तो आज संयुक्त परिवार प्रणाली है ही नहीं। हमारे संविधान में व्यक्ति को स्थान दिया गया है।

दूसरी बात यह है कि राज्य सभा ने यह सिफारिश की है कि पुत्री को पूरा अंश मिलना चाहिए। लोगों ने कहा कि उसे ससुर और पिता के मानी दोनों परिवारों से मिलेगा। अतः आधा अंश ही दिया जाये। पर मेरा मत है कि पुत्री को एक ही परिवार से सम्पत्ति का अंश दिया जाय पर वह अंश पूरा होना चाहिए। मैं समझती हूं कि विधि मंत्री इस पर विचार करेंगे। हिन्दू विवाह विधेयक की सफलता इसी पर निर्भर है क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में महिलायें विवाह विच्छेद कैसे मांग सकेंगी।

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर): अन्य सदस्यों के भाषणों से पता लगता है कि वह लोग संयुक्त परिवार प्रणाली के विरोध में हैं। हमारे देश में संयुक्त परिवार में सब से अधिक आयु के सदस्य को सभी अधिकार होते हैं अन्य सदस्य चूंकि भोजन तथा विवाह के सम्बन्ध में उस पर निर्भर होते हैं अतः वह कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कुछ आय हो। इस प्रकार वह काहिल हो जाते हैं। इस प्रणाली से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को कोई लाभ नहीं होगा। अतः हमें इसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

विधेयक में खण्ड ५ में बताया गया है कि यह विधेयक मिताक्षरा पर लागू नहीं होगा। पर १० या १५ वर्ष बाद मिताक्षरा स्वयं ही समाप्त हो जायेगा क्योंकि सम्पत्ति के विभाजन के बाद व्यक्ति अपने अंश का पूर्ण

[श्री अच्युतन]

स्वामी बन जाता है। वह उसे बेच भी सकता है। इस प्रकार धीरे-धीरे संयुक्त परिवार प्रणाली समाप्त हो जायेगी।

मैं मानता हूँ कि संयुक्त परिवार प्रणाली में सब कार्य सहयोग से होते हैं, और कमजोरों की भी रक्षा होती है; पर हमारा राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, अतः बेरोजगारी चिकित्सा सहायता, शिक्षा सहायता आदि का कार्य राज्य स्वयं करता है। अतः संयुक्त परिवार की कोई आवश्यकता नहीं है।

महिलाओं को सम्पत्ति में अंश देने के सम्बन्ध में मनुस्मृति तथा धर्मशास्त्र का तर्क दिया गया है पर वह युग बीत गया। महिलाओं तथा लड़कियों को अंश का अधिकार देने से हमारे समाज को कोई हानि नहीं होगी। आज से १५ वर्ष पूर्व ही कोचीन राज्य में ऐसा विधान बन चुका था पर उस राज्य में कोई भी सामाजिक हानि नहीं हुई।

सभापति महोदय : ऐसा लगता है कि यह विधेयक कोचीन के विधेयक के समान ही है।

श्री अच्युतन : इस विधान के कुछ उपबन्ध।

सभापति महोदय : तो इस विधेयक द्वारा इस क्षेत्र को क्यों छोड़ दिया गया है?

श्री अच्युतन : कोचीन के विधेयक में पुत्री के बच्चों को भी अंश मिलने की व्यवस्था है।

सभापति महोदय : यदि लड़की के भाई के लड़के हों?

श्री अच्युतन : उन्हें उसमें से कोई अंश नहीं मिलेगा। इस विधेयक में भी हमने कुछ अपवाद रखे हैं। पुत्री को आधा अंश देना ठीक है। कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति आ जायेगी कि पुत्रियों को भी पुत्रों के समान अधिकार मिलेगा।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि विधवाओं को सम्पत्ति का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिये चाहे वे उसे बेच दें। पत्नी की सम्पत्ति पर पति को उतना अधिकार नहीं है जितना पुत्र को। पर पति की सम्पत्ति में पुत्र तथा पत्नी दोनों का बराबर अधिकार होता है अतः मैं चाहता हूँ कि पत्नी की सम्पत्ति में भी पुत्र तथा पति दोनों को समान अधिकार हों।

एक बात यह ध्यान रखने में योग्य है कि उत्तराधिकारी की परिभाषा स्पष्ट कर दी जाये अन्यथा अनेक जटिलतायें पैदा होंगी।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इसका सुधार कर के एक अच्छा हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पेश करेगी।

सरदार अकरपुरी (गुरदासपुर) : मैं इस बिल की मुखालिफ़त करता हूं। मैं समझता हूं कि यह बिल हमारी सोशल हालात की ज़रूरियात के खिलाफ है। इस बिल में चन्द बातें ऐसी हैं कि मैं उन में से किसी को भी दुरुस्त ख्याल नहीं करता।

जब मैं इस बिल को देखता हूं और पंजाब के गरीब किसानों को देखता हूं तो हैरान होता हूं कि इस बिल के बनाने वालों ने उन वजूहात पर क्यों गौर नहीं किया जो मुहब्बत और प्यार की बिना पर, पुराने रस्म व रिवाज के मुताबिक कायम किये गये हैं। मैं देखता हूं कि पंजाब में एक एक फैमिली के पास ५,५,७, ७ एकड़ तक जमीन है। जिस फैमिली में ३, ३,४,४ भाई हैं और एक बहिन है, उसमें जब तकसीम का वक्त आयेगा तो एक एक के पास एक एक एकड़ के करीब आयेगा, जिसकी कोई कीमत नहीं होगी। जब लड़की अपने ससुराल जायेगी तो उसको अपने पिता की जायदाद में से हिस्सा मिलेगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि जमीन के तकसीम को रोकना

है, उसके छोटे छोट टुकड़े नहीं बनने देने हैं, और दूसरी तरफ ऐसा किया जा रहा है कि उस जमीन की तकसीम ही नहीं होगी बल्कि भाई के साथ बहन के लड़ाई झगड़े की बुनियाद भी कायम हो जायेगी । मैं तो देखता हूं कि पंजाब में एक रिवाज है, बल्कि सच पूछा जाये तो सारे हिन्दुस्तान में है, कि जो बहन और भाई का प्यार है वह मां और बेटे में भी नहीं है । बहन हर भाई की तकलीफ और सुख में हिस्सा बटाने वाली और गरीबी अमीरी में साथ देने वाली होती है । लेकिन इस बिल से उन दोनों में मुकदमेबाजी की जड़ कायम कर दी गई है । मैं तो एक ही नतीजा इससे निकालता हूं कि चूंकि देहातों में पंचायतें बन गई हैं, देहातों के मुकदमात कचहरियों में बहुत कम जायेंगे, इसलिये इस बिल के बनाने वाले भाइयों ने वकील साहबान की मदद की है ताकि उनको अदालतों के लिये मुकदमे मिल जायें । भाई बहनों का राजीनामा खत्म करने के लिये यह बिल बनाया गया है ।

यह बिल हिन्दू कोड बिल की एक शाख़ है । अंगरेज हमारे दर्म्यान फट डालने में कारगर नहीं हो सके, लेकिन इस हिन्दू कोड बिल की शाख़ के जरिये उस ने मन में एक ऐसी चिनगारी फूंक दी है कि बहन और भाई के साथ कोई प्यार बाकी नहीं रहेगा । मां का बेटी के साथ कोई प्यार नहीं होगा । पंजाब में हमने बहुत कोशिशों के बाद लड़कियों को मारने का रिवाज खत्म किया था, वह रिवाज अब फिर कायम होगा । भाई बहन को मार देगा, मां बेटी को मार देगी । इस लिये आपने जो कहा कि सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर इस पर गौर करेंगे, मैं उन मेम्बरों से अर्ज़ करूंगा कि वह इस बिल के ऊपर सोच विचार करें और इस तरीके पर इसको बनाये जिससे हमारे दर्म्यान जो मुहब्बत और प्यार का रिस्ता है, वह कायम रहे । मैं तो एक ही बात समझता हूं कि इस बिल से मुहब्बत और प्यार की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाया जा रहा है । इस वास्ते मैं ला मिनिस्टर साहब की सेवा में अर्ज़ करूंगा कि अंगरेजों ने यह काम किया है, आप उनकी लकीर के फकीर न बनिये । देश की मौजूदा हालत में यह ठीक नहीं है, इसको आप सोचें । मैं समझता हूं कि जो गैर मनकूला जायदाद है उस पर लड़की को यह हक़ न दिया जाये, मनकूला जायदाद पर दिया जाये । जो पैसा देना है उस पर दिया जाये । यहां हम क्या देखते हैं कि अगर एक आदमी के तीन लड़के हैं और चौथी लड़की है और उसकी जायदाद २० हजार रुपये की है, तो ढाई हजार रुपये लड़की के हिस्से में आ गया । जायदाद ऐसी बुरी चीज है कि हो सकता है कि लड़की का तो बाप के साथ या अपने भाई के साथ प्यार भी हो, लेकिन जो जमाई आयेगा वह उनके साथ मुकदमेबाजी करेगा । गो बाप की जायदाद २० हजार रुपये की है, लेकिन वह कहेगा कि नहीं, वह तो ३० हजार रुपये की है, या ४० हजार रुपये की है । इस तरह से झगड़ा बढ़ जायेगा ।

ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनके पास एक ट्रक है, लारी है, जिसकी कीमत मान लीजिये १५,००० हजार रुपये है । वह अपनी लड़की को कहां से उस लारी के हिस्से की कीमत दे सकेंगे ? पैसा तो वह दे नहीं सकेंगे क्योंकि उन के पास है ही नहीं । बहन कहेगी कि हमारा इतना पैसा है वह दो । नतीजा यह होगा कि उनका लारी का रोजगार जो था जिससे वह अपनी रोटी चलाते थे, वह भी बन्द हो जायेगा, और उनका काम नहीं चलेगा । इन छोटी छोटी बातों को भी देखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है, वह हमारे मुल्क की हवा के मुताबिक नहीं हमारी बिरादरी की हालत के मुताबिक़ नहीं, है, इसको बिल्कुल इस की मौजूदा सूरत में

[सरदार अकर पुरी]

नहीं पास होना चाहिये । इससे आप एक बड़ा खराब तूफान खड़ा कर देंगे । अगर हम ऐसे सब मेम्बरों से जो कि इस तरह की बातें करते हैं यह कह दें कि इसको पास करो, तो यह पास हो जायेगा, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह पास करने के काबिल नहीं है, यह हमारे मुल्क के हालात के खिलाफ है ।

अभी जो हमारी बहन ने कहा कि लड़की को ससुर की जायदाद में भी हिस्सेदार बनायें । अगर वह चाहें तो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन उनको दो जगह हिस्सेदार न बनायें । कहीं ऐसा न हो कि वह बाप की जायदाद में भी हिस्सेदार हो जायें और ससुर की जायदाद में भी हिस्सेदार हो जायें । इस वास्ते मैं अर्ज़ करूंगा कि आप इस बिल को पास करने का नतीजा अच्छी तरह सोच लें तब पास करें । इसके खिलाफ मुल्क में बड़ी हवा है और इस मुखालिफ हवा के होते हुये इसको पास कर देना मुल्क के नुक्सान में होगा, फायदे में नहीं होगा ।

श्री चिंतारिया (महेन्द्रगढ़) : मैं इस बात के विरुद्ध तो नहीं हूं कि बहनों को जायदाद में हक न हो । उन्हें हक जरूर होना चाहिये और जमाना यह बताता है कि हर वक्त होना चाहिये । लेकिन जिस तरह यह हक दिया जा रहा है इस बिल में, मैं उसके बिल्कुल विरुद्ध हूं । इससे सिवा इसके कि समाज में फ्रस्ट्रेशन आये, गड़बड़ी आये, और कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता । कोई सामाजिक सुधार का कानून तब बनता है जब उसकी मांग हो । मुझे नहीं दिखाई देता कि इसकी मांग देश के अन्दर है । खैर मांग न सही, जरूरत तो हो लेकिन मुझे जरूरत भी नहीं दिखाई देती । यहां बहुत सी दलीलें दी गई हैं, मैं उन सब के हक में हूं, लेकिन उनको दोहराना नहीं चाहता ।

मैं इसके बारे में एक दो बातें बता देना चाहता हूं । इससे बहनों को कोई फायदा होना नहीं है । जायंट फैमिली रहे या न रहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है । यह बिल शास्त्रों के अनुसार चलता है, या विरोधी है, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है । लेकिन हमें सोचना चाहिये कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, देश में उन्नति कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि देश की उपज बढ़ाई जाये, उसमें यह हमारा कार्य कितना मददगार साबित होगा । सब से पहले मैं अपने दोस्त मालवीय जी को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही अपनी बहिनों को भी मुबारकबाद देता हूं कि उनका पक्ष लेने वाले मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में बहिनें ज़रूर उनको ही वोट देंगी । खैर, यह तो एक जुमला मोतर्ज़ा था ।

एक तरफ तो हम चाहते हैं कि जमीन टिलर आफ़ दि स्वाइल के पास जाये, ताकि वह ज्यादा काम करे और उपज बढ़ाये और साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि हम भिन्न भिन्न टुकड़ों में बंटी हुई भूमि को एक टुकड़े में कर दें, उनको कान्सालिडेट कर दें, ताकि वहां ज्यादा अच्छी तरह से काम हो सके । लेकिन यह बिल दोनों बातों के खिलाफ़ है । एक गांव में मील आधा मील के फ़र्क से टुकड़े होते हैं, लेकिन इसके बाद लड़की का हक होने से पांच सौ या एक हजार मील परे वे टुकड़े हो जायेंगे । तो क्या अब उन टुकड़ों को वहां से उठा कर कान्सालिडेशन किया जायेगा या दो टुकड़े करके दोनों जगह काश्त करायेंगे ? इस तरह उपज बढ़ेगी नहीं, बल्कि वह घटेगी ।

सिर्फ यही बात नहीं है । मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं । हमारे दोस्त कहते हैं कि हम देहात में फिरते हैं । लेकिन अगर वे वाकई फिरते होते, तो यह न कहते कि इससे देहात में खराबी नहीं होगी । हमारे गांव में एक एक दो दो घर ऐसे होते हैं, जिनके

यहां औलाद नहीं होती और वे अपनी लड़की और जमाई को अपने घर बिठा देते हैं। आज नहीं बल्कि दस दस पुश्तें हो गई हैं, अगर झगड़ा चलता है, तो उस घर के साथ तमाम गांव का विरोध चलता है और पुश्तों चलता रहता है और आज जब कि इस कानून के जरिये घर घर में जमाई बिठाये जा रहे हैं, घर घर में लड़ाई और झगड़ा होगा। जिन लोगों को देहात की हालत मालूम है, वे महसूस करेंगे कि इस बिल को किसी हालत में पास करना ठीक न होगा। लेकिन जिन्होंने हमारे देहात की हालत नहीं देखनी है, सिर्फ यह देखना है कि बाहर की दुनिया – पश्चिमी, मग़रिबी दुनिया – हमको प्रोग्रेसिव कहे, तो बेशक इस कानून को पास कर लें–– लेकिन मुल्क में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुल्क कभी इसकी तारीफ नहीं करेगा। हम तो उसी काम को प्रोग्रेसिव कहेंगे, जिससे देश की कोई ज़रूरत पूरी हो। जो मुल्क को झगड़े, तफरीक, गल्ती, बुराई और लोगों की आमदनी कम करने की तरफ़ ले जाता है वह रेट्रोग्रेड स्टेप ही कहलायेगा, प्राग्रेसिव नहीं, यह मेरा ख्याल है।

यह देश गरीबों का है। इसमें ९५ प्रतिशत लोग गरीब हैं। फिर भी यहां पर गरीब से गरीब बाप अपनी लड़की के लिये अपनी हैसियत से ज्यादा करने की कोशिश करता है। उसके बच्चे चाहे गुदड़ी में सोते हों, लेकिन शादी के वक्त वह अपनी लड़की को रेशमी रज़ाई और रेशमी बिस्तर देता है। बच्चे चाहे ट्टी खटिया पर सोते हों, लेकिन लड़की को वह निवारी पलंग देता है। घर में चाहे वह मिट्टी के बर्तनों में खाना खाता हो, लेकिन लड़की को वह पीतल और चांदी का सेट देता है। घर की बहू चाहे फटी साड़ी में लिपटी हो, बच्चे चाहे फटे पुराने कपड़े पहनें हों, लेकिन लड़की को वह पांच दस जोड़े दे ही देता है। जिन लोगों की ज़मीन है दो चार एकड़ जमीन है वे ज़मीन की आमदनी से–ज़मीन की कीमत से भी इतना कर्ज़ ले कर लड़की को देते हैं कि बेटे पुश्तों तक उतार नहीं सकते। फिर भी हमारे दोस्त कहते हैं, हमारी बहनें कहती हैं कि स्त्रियों को कोई हक नहीं है। आज आप उन्हें उनके असली हक से वंचित कर रहे हैं। चार पांच ऐसे लोग होंगे, जो मालदार होंगे और लड़की को पूरा हक़ नहीं देते होंगे, लेकिन ९५ फी सदी गरीब आदमी अपने सारे लड़कों के होते हुये अपनी लड़की के लिये अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। ऐसा होते हुये भी अगर हमारी बहनें और उनके पक्षपाती कहें कि उनको कुछ नहीं दिया जाता है और वे ऐसी बुरी हालत में हैं, तो मुझे ताज्जुब होता है और ख्याल होता है कि या तो वे यहां की हालत की तरफ आंखें बन्द किये हुयें हैं या खोले तो हुये हैं, लेकिन कुछ देखना नहीं चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय और गवर्नमेंट से कहूंगा कि वे इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को न भेजें, बल्कि इसको वापस ले लें। यहां पर कोई प्रैस्टीज का सवाल नहीं है और न ही होना चाहिये। मुल्क की ज़रूरत, पार्टी की ज़रूरत और तमाम ज़रूरतों को देख कर ही काम करना चाहिये।

साथ ही मैं यह भी अर्ज़ करूंगा कि अगर हम से पार्टी लाइन पर वोट दिलाया गया, तो हमारी कान्शैन्स के खिलाफ़ होगा, हमारी कांस्टीच्युएन्सी के खिलाफ़ होगा, डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। इसलिये आप सोच समझ कर ह्विप ईशू करें और हमको आज़ादी-ए-राय का हक़ दें। अगर आप पार्टी की सलाह और मशविरे से काम करना चाहते हैं तो इसको वापस ले लें। बस मुझे इतना ही कहना था।

श्री के० आर० शर्मा (ज़िला मेरठ––पश्चिम) : यह अजीब किस्म का बिल हमारे सामने पेश किया गया है। इस बिल के ज़रिये हमारे ला मिनिस्टर साहब एक बहुत

[श्री के० आर० शर्मा]

अच्छा काम बहुत गलत तरीके से करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जिस हालत में यह बिल है, मैं उसका किसी तरीके से समर्थन नहीं कर सकता। यह कहने से मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं लड़कियों और स्त्रियों को .....

इसी समय श्री चिनारिया अपने स्थान पर बैठे बैठे मूर्छित हो गये।

श्री के० आर० शर्मा अपनी जगह पर बैठ गये।

सभापति महोदय : क्या हुआ है ?

एक माननीय सदस्य : श्री चिनारिया मूर्छित हो गये हैं ; और दम तोड़ रहे हैं।

सभापति महोदय : अब सभा कुछ क्षणों के लिये स्थगित होगी।

इसके पश्चात् लोक सभा स्थगित हुई।

लोक-सभा पौने छः बजे पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

श्री चिनारिया का निधन

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उपाध्यक्ष महोदय हम सब ने इस सभा में हुई एक दुःखद घटना को देखा है। एक सदस्य जिनको हम भली भांति जानते रहे हैं तथा जो यहां और अन्यत्र हमारी प्रक्रियाओं में प्रायः भाग लेते रहे हैं, ने अपने भाषण को समाप्त करने के तत्काल पश्चात् ही दम तोड़ दिया। सभापति महोदय ने यह सोच कर यह मूर्च्छा क्षणिक होगी तथा वह पुनः ठीक हो जायेंगे अथवा विश्राम करके चेतना लाभ करेंगे बैठक का कार्य स्थगित कर दिया। उनकी मूर्च्छा बढ़ती गई और वह होश में न आये अब उन डाक्टरों के मत से, जिन्होंने उनकी परीक्षा की, ज्ञात होता है कि वह कभी होश में नहीं आयेंगे।

यदि इस सभा के किसी सदस्य अथवा किसी सहयोगी की मृत्यु हो जाती है तो बड़ी दुःखद बात होती है ; और ऐसे अवसर पर सभा के लिये विभिन्न प्रकार से दुःख व्यक्त करना स्वाभाविक है। किन्तु यदि ऐसी मृत्यु सभा-भवन के अन्दर ही सदस्य के यहां होते हुये और अपना कर्तव्य पालन करते हुये हो जाये तो वह अधिक शोकप्रद बात हो जाती है। हम सभी ने यह दुःखद घटना देखी है और हम सब यहां केवल इस बात से कि वह हमारे सहयोगी तथा साथी थे, प्रत्युत उन परिस्थितियों में जिन में उनकी मृत्यु हमारी आंखों के सामने हुई है, बहुत दुखी हुये हैं। हमें उनकी मृत्यु पर भारी शोक प्रकट करना है, और अपना शोक संदेश उनके परिवार वालों तक पहुंचाना है।

श्रीमान्, यह स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में सभा के लिये कार्य जारी रखना अनुचित होगा। अतः मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि सभा स्थगित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा के नेता की भावनाओं से पूर्णतः सहमत हूं। और मुझे निश्चय है कि यहां आप में से हर एक की यही भावना होगी। श्री चिनारिया का, निस्संदेह कार्य करते निधन हुआ है। इससे और अधिक दुःखद घटना क्या हो सकती है कि उन्होंने भाषण समाप्त किया और नीचे बैठते ही समाप्त हो गये। बहुत वर्ष पहले इसी प्रकार की एक और घटना हुई थी। शोक की बात है कि ऐसी घटना हुई है। मैं आशा करता हूं कि उनकी स्मृति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा के सभासद एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिये अब सभा स्थगित होगी। यह इस सत्र का अन्तिम दिन है, अतः अब सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित होगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चत तिथि के लिये स्थगित हुई।